

एकीकृत रिपोर्ट और  
लेखा परीक्षित वार्षिक खाते  
**Integrated Report &  
Annual Accounts  
2022-23**



**Central Medical Services Society**  
Department of Health & Family Welfare  
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

## Vision

To be an efficient, transparent & professionally managed autonomous public body in the field of procurement, supply chain, logistics and management of health sector supplies in India.

## दूरदर्शिता

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की आपूर्तियों के प्रापण, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स और देखरेख के क्षेत्र में एक कुशल, पारदर्शी एवं पेशेवर तरीके से संचालित स्वायत्त सार्वजनिक निकाय बनना।

## Mission

To procure high quality health sector goods in a transparent and cost-effective manner in line with the directives of the Government of India and ensure timely and uninterrupted supply of health sector goods & services for the citizens of the country.

## मिशन

भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता की हेल्थ सेक्टर वस्तुओं की पारदर्शी एवं किफायती तरीके से प्रापण करना और देश के नागरिकों के लिए हेल्थ सेक्टर वस्तुओं एवं सेवाओं की समयबद्ध एवं निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करना।

# एकीकृत रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक खाते

**Integrated Report & Audited Annual Accounts**

**2022-23**

Central Medical Services Society  
Department of Health & Family Welfare  
Ministry of Health & Family Welfare  
Government of India







डॉ. मनसुख मांडविया

Dr. Mansukh Mandaviya

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्री  
Hon'ble Union Minister for Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers



प्रो. एसपी सिंह बघेल

Prof. S.P. Singh Baghel

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री  
Hon'ble Minister of State for Health and Family Welfare



डॉ. भारती प्रविण पवार

Dr. Bharati Pravin Pawar

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री  
Hon'ble Minister of State for Health and Family Welfare



### Annual Report

Sl. No.	Content	Page No.
1.	CEO's Report	1
2.	Overview	2
3.	Organisation and Infrastructure	3-7
4.	Major Activities and Achievements	8
5.	Resolution	9
6.	Governing Body	10

### वार्षिक रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	सी.ई.ओ. की रिपोर्ट	11
2.	अवलोकन	12
3.	संगठन एवं बुनियादी संरचना	13-17
4.	प्रमुख कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ	18
5.	संकल्प	19
6.	शासी निकाय	20

### Audited Report

Sl. No.	Content	Page No.
1.	Draft SAR of CAG & Reply of CMSS	21-38
2.	Final CAG Letter with SAR	39-46
3.	Annual Accounts 2022-23	47-85

### लेखा परीक्षित रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का निर्णयक पत्र	86-93
2.	वार्षिक खाते 2022-2023	94-131



# CEO's Report

On behalf of the Governing Body, I have great pleasure in presenting the 10th Annual Report of the Central Medical Service Society together with the audited Statement of Accounts and the CAG's report thereon for the financial year ending 31st March, 2023.

During the financial year 2022-23, CMSS transported & delivered goods worth Rs. 1804.47 Crores from its warehouses to State Programme Consignee, released payment worth Rs. 1457.09 Crores to the suppliers and finalized fresh procurement cases worth Rs. 1017.72 Crores. Out of Rs. 1017.72 Crores of procurement cases finalized, Rs. 887.79 Crores (87%) procurement were of indigenously manufactured goods in compliance with Make-in India Programme of Government of India. In another milestone achievement, during the year, Tender finalization time, from receipt of indent to award of contract, was reduced to less than 60 days.

Some of the important procurement finalized during the year includes procurement of ARV Drugs, HIV Test kits, Reagents/ consumables & Condoms worth Rs. 604.25 Crore for National Aids Control Programme and Anti TB drugs & Testing Kits worth Rs. 327.93 Crores for National Tuberculosis Elimination Programme.

We have 18 warehouses spread across the country and located at or nearest to the State capitals. All the warehouses have been enabled with online inventory control software and material handling equipment. A panel of accredited laboratories is in place for testing the quality of pharmaceutical products.

With quality manpower, having expertise in all functional areas of supply chain, and well-established procedures, which have evolved over a decade of experience, CMSS is committed to improve up its own benchmark in supply chain management of health sector goods.

**(Rajesh Gupta)**  
DG & CEO  
Central Medical Services Society

- 1) A fully autonomous Central Procurement Agency (CPA), by the name of Central Medical Services Society (CMSS), was formed in the year 2012 in Department of Health & Family Welfare to eliminate some procurement related deficiencies and lack of professional procurement expertise in the Ministry to procure/distribute quality health sector goods in more transparent, efficient, and cost effective manner. CMSS has been registered under the Societies Registration Act 1860.
- 2) The CMSS has an ex-officio Chairman, the Additional Secretary in-charge of procurement in the Ministry of Health & Family Welfare. There is a full time Director General & Chief Executive Officer, a Joint Secretary level officer, responsible for overall management of Society. He is assisted by 06 General Managers, each responsible for the functions of Procurement, Logistics & Supply Chain, Finance, Quality Assurance & Administration.
- 3) General Managers are assisted by 7 Assistant General Managers. The IT responsibility is outsourced and managed by C-DAC. The total manpower in the head office comprises of six (06) General Managers, seven (07) Assistant General Managers and seventeen (17) support staff (Administrative Officer, Account Officer, Managers, Private Secretary and Office Assistant). The warehouses are managed by a Warehouse Manager (Pharmacist), a Junior Pharmacists, a DEO & a HK (Unskilled) Staff.
- 4) Presently, CMSS have 18 warehouses spread across the country and located at or nearest to the State capitals. All the warehouses were IT enabled with online inventory control software and material handling equipment. CMSS has fool proof quality control system. A panel of accredited laboratories is in place for testing the quality of pharmaceutical products.
- 5) CMSS is self sustaining Autonomous Body, set up with one time grant of Rs. 50.00 Crores, & has been procuring drugs, Medical equipments and Contraceptives for its various National Health Programmes since 2015.



# Organization and Infrastructure

## 1.1 INTRODUCTION

The CMSS is functioning as an independent, professional and autonomous agency for purchasing medicines, vaccines, contraceptives and medical equipment's for all disease control programmes of the Union Health Ministry. The CMSS is responsible for quality control and distribution of above mentioned health sector goods to the State Governments and UTs by setting up IT enabled State level warehouses in 50 locations spread across the country. The main objectives of the CMSS are:

- To procure health sector goods efficiently.
- To put in place transparent and competitive systems for procurement so that goods are procured at competitive rates.
- To put in place foolproof systems for quality control so that the user gets quality products; quality will be the main driver restricting tender participation to firms of high standard.
- To set up and manage an efficient supply chain.
- To put in place an MIS to prevent stock outs and excess inventory and also to reduce wastage, if not eliminate it.
- To standardize specifications, tender procedure, documents, billing and payment systems.
- To interact with the Ministry and State governments on requirement of health sector goods, their standardization and quality control.
- To assist the EPW in its efforts on States procurement reforms.
- To give technical and managerial assistance to States on procurement and logistics.
- To deal with procurement and distribution with the service provider and the user in view and improve the system based on their feedback.
- To function with service as the prime motive rather than profit.
- To promote rational use of drugs.

## 1.2 LEGAL STATUS

The CMSS is a registered society under the Societies Registration Act of 1860.

## 1.3 ORGANISATIONAL STRUCTURE

The CMSS has an ex-officio Chairman, the additional secretary in charge of procurement in the Ministry. There is a full time DG&CEO, a joint secretary level officer, responsible for overall management of society. He is assisted by General Managers, each responsible for the following functions:

- Procurement
- Logistics
- Finance
- Quality Assurance
- Administration

General Managers are assisted by 7 Assistant General Managers. The IT responsibility is outsourced and managed by C-DAC. The total manpower in the head office comprises of 06 General Managers, 07 Assistant General Managers and 17 support staff (Administrative Officer, Account Officer, Managers, and Private Secretary).


The warehouses are managed by a Warehouse Manager (Pharmacist), a Junior Pharmacist, a DEO & a HK(Unskilled ) Staff.

CAG empanelled Chartered Accountant Firm appointed as Internal Audit to certify Annual Accounts before the same is placed before GB, CMSS.




The Organizational structure of the CMSS is as given below:

## CMSS-Organogram



## 1.4 OUR FOOTPRINTS

The CMSS has warehouses in 18 locations to serve all State Governments and Union Territories.



## 1.5 LIST OF WAREHOUSES

Sr. No.	Warehouse Location	States/UTs covered by the Warehouses
1.	Agartala	Tripura, Manipur & Mizoram
2.	Ahmedabad	Gujarat
3.	Bengaluru	Karnataka
4.	Bhopal	Madhya Pradesh
5.	Zirakpur	Chandigarh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu & Kashmir
6.	Chennai	Tamil Nadu
		Pondicherry
		Andaman & Nicobar Islands
7.	Bhubaneswar	Odisha
8.	Delhi	Delhi
9.	Guwahati	Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland and Sikkim
10.	Hyderabad	Telangana and Andhra Pradesh
11.	Jaipur	Rajasthan
12.	Kolkata	West Bengal
13.	Lucknow	Uttar Pradesh
14.	Mumbai	Maharashtra, Goa, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu
15.	Patna	Bihar
16.	Raipur	Chhattisgarh
17.	Ranchi	Jharkhand
18.	Trivandrum	Kerala, Lakshadweep

## 1.6 IT SOFTWARE

The CMSS conducts its operations through a web based online inventory control system with features of complete supply chain management from CDAC. The IT system has been customized and has been functioning since 1st December 2016. All the transactions made IT-driven from issuing of Purchase Order, Supply Receipt, Sampling/Testing and issue of stocks, thus eliminating the delays and manual errors.

## 1.7 QUALITY CONTROL

Quality is considered as the main driver in procurement undertaken by the CMSS.

The aim of QA in Public Pharmaceutical Procurement / Supply System is to ensure that each medicine / product reaching to a patient is of desired quality.

CMSS adopt Post-dispatch inspection/pre-dispatch inspection for ensuring that quality medicines are received.

Apex level Govt. & NABL approved laboratories such as AIIMS, IPC, CIPET, IPFT, NIB, EQDC, ICMR-NARI, RMRIMS, IIBAT, Shriram Labs, Arbro, EFRAC are empanelled testing of samples.

With this, the arrangements for testing the procured drugs are in place to ensure that quality is met in every batch that are distributed to the State and Union Territory authorities.

CMSS remains committed to its objective of ensuring Quality.

## **1.8 PERFORMANCE PARAMETERS FOR THE CMSS**

Based on the objectives set for the CMSS some broad performance parameters are as given below:

- (1) All State warehouses should have at least 3 month's requirement of the State as the normal stock.
- (2) No drug/vaccine will be wasted on account of time expiry.
- (3) Procurement process and placing of orders should be based on a calendar and Long Term Agreement for the annual demand.
- (4) Transparent two bid procedure and standard tender document are in place.
- (5) Payment to suppliers within 60 days of receipt of supplies including the time for testing.
- (6) All the Court matters are handled effectively and no adverse decisions were passed by any Hon'ble Court.

# *Major Activities and Achievements*

## **2.1 MEETINGS OF THE GOVERNING BODY**

In the Financial Year 2022-23, 09 meetings (80<sup>th</sup>, 81<sup>st</sup>, 82<sup>th</sup>, 83<sup>rd</sup>, 84<sup>th</sup>, 85<sup>th</sup>, 86<sup>th</sup>, 87<sup>th</sup> & 88<sup>th</sup>) of the Governing Body were convened on 11<sup>th</sup> May 2022, 24<sup>th</sup> June 2022, 27<sup>th</sup> July- 2022, 14<sup>th</sup> September-2022, 27<sup>th</sup> September- 2022, 10<sup>th</sup> November- 2022, 07<sup>th</sup> December-2022, 20<sup>th</sup> January- 2023, 24<sup>th</sup> March- 2023 respectively. Important procurement decisions taken were:

During the year 2022-23, procurement cases worth Rs. 1017.73 crores were finalized by CMSS. Details are as below: -

- Procurement of FWP for the total value of Rs. 47.33 Crores
- Procurement of NVBDCP for the total value of Rs. 38.19 Crores
- Procurement of NTEP for the total value of Rs. 327.93 Crores
- Procurement of NACP for the total value of Rs. 604.25 Crores

## **2.2 FUNCTIONING OF WAREHOUSES**

There are at present 18 warehouses at various locations across the country to serve the needs of States and UTs.

## **2.3 IT SOFTWARE**

As per the requirement of CMSS “e-Aushadhi” software was customized by CDAC. All the transactions are made IT-driven such as issuing of Purchase Order, Supply Receipt, Sampling/ Testing and issue of stocks, thus eliminating the delays and manual errors.

## **2.4 WAREHOUSE STAFF**

Each warehouse is managed by the team comprising of Warehouse Manager (Pharmacist), Junior Pharmacist, DEO and one HK (unskilled) staff.





# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I - खण्ड 1

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 260]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

### RESOLUTION

**New Delhi, the 26th October, 2013**

No. S-12012/59/2011-EPW, - The Government has decided to establish a fully autonomous central procurement agency (CPA) as a society under the Societies Registration Act, 1860 for efficient procurement and distribution of health sector goods.

2. Accordingly, the Central Medical Services Society (CMSS) has been registered under the Societies Registration Act, 1860 on 22nd March 2012 vide Registration No. S/094/2012 with its Registered office at Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi – 110011.
3. The CMSS will be responsible for procuring health sector goods in a transparent and cost effective manner and distributing them to the States/UT's by setting up an IT enabled supply chain infrastructure including warehouses in 50 locations.
4. The main objective of CMSS is to ensure uninterrupted supply of health-sector goods to the State Government which will then maintain the flow to the govt. health facilities such as district hospitals, primary health centers and community health centers.
5. CMSS will follow a totally transparent process with a two bid system for procurement and all decisions on procurement will be taken by the CMSS without any reference to the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). The Ministry will however, be responsible for policy decisions concerning procurement and for monitoring its performance.
6. The CMSS will also assist the state governments to set up similar organizations in states to reform their procurement.

KESHAV DESIRAJU, Secy.

## GOVERNING BODY

Sr. No	Name	Designation
1	Ms. V. Hekali Zhimomi	AS, MoHFW & Chairman GB, CMSS
2	Sh. Jai Deep Kumar Mishra	AS & FA, MoHFW
3	Ms. Roli Singh	AS&MD, MoHFW
4	Sh. Rajesh Gupta	DG & CEO, CMSS
5	Sh. Rajiv Manjhi	JS (NCVBDC), MoHFW
6	Sh. Rajeev Wadhawan	Advisor (Cost), MoHFW
7	Dr. P Ashok Babu	JS (RCH), MoHFW
8	Dr. Rajeev Singh Raghuvanshi	DCG(I), MoHFW
9	Dr. Shobini Rajan	DDG( NACO), MoHFW
10	Dr. R P Joshi	DDG(NTEP), MoHFW
11	Dr. Tanu Jain	Director, NCVBDC, MoHFW
12	Dr. Sila Dev	Addl. Commissioner, CHD, MoHFW
13	Dr. Sandhya Kabra	Dy. Commissioner, NVHCP, MoHFW
14	Dr. Govind Bansal	Director, FWP, MoHFW
15	Dr. Veena Dhawan	Joint Commissioner, UIP, MoHFW
16	Sh. Manoj Kumar Sinha	DS ( Procurement), MoHFW
17	Smt. G. Anupama	Addl. Chief Secretary, Deptt of HFW, Govt. of Haryana.
18	Sh. Bhupinder S. Bhalla	Principal Secretary(H & FW), Govt. of NCT of Delhi
19	Sh. Deepak Jacob	MD, TNMSCL, Chennai
20	Sh. Balamurali D	MD, KMSCL, Thiruvananthapuram
21	Ms. Anupama Jorwal	MD, RMSCL, Rajasthan



## सी. ई. ओ. की रिपोर्ट

शासी निकाय की ओर से, मुझे 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खातों के विवरण और उस पर सीएजी की रिपोर्ट के साथ केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) की 10वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएमएसएस ने अपने गोदामों से राज्य कार्यक्रम कंसाइनी तक 1804.47 करोड़ रुपये का माल पहुंचाया और वितरित किया, आपूर्तिकर्ताओं को 1457.09 करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया और 1017.72 करोड़ रुपये के नए खरीद मामलों को अंतिम रूप दिया। अंतिम रूप दिए गए 1017.72 करोड़ रुपये के खरीद मामलों में से, 887.79 करोड़ रुपये (87%) की खरीद भारत सरकार के मेक-इन इंडिया कार्यक्रम के अनुपालन में स्वदेशी रूप से निर्मित वस्तुओं की थी। वर्ष के दौरान एक और मील का पत्थर उपलब्धि में, निविदा को अंतिम रूप देने का समय, मांगपत्र की प्राप्ति से लेकर अनुबंध देने तक, घटाकर 60 दिन से भी कम कर दिया गया।

वर्ष के दौरान अंतिम रूप से तय की गई कुछ महत्वपूर्ण खरीद में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 604.25 करोड़ रुपये की एआरवी दवाओं, एचआईवी परीक्षण किट, अभिकर्मकों/उपभोज्य सामग्रियों और कंडोम की खरीद और राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए 327.93 करोड़ रुपये की एंटी टीबी दवाओं और परीक्षण किटों की खरीद शामिल है।

हमारे 18 गोदाम देश भर में फैले हुए हैं और राज्यों की राजधानियों में या उनके नजदीक स्थित हैं। सभी गोदामों को ऑनलाइन इन्वेंट्री नियंत्रण सॉफ्टवेयर और सामग्री प्रबंधन उपकरण के साथ सक्षम किया गया है। फार्मास्युटिकल उत्पादों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का एक पैनल मौजूद है।

गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति, आपूर्ति श्रृंखला के सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अच्छी तरह से स्थापित प्रक्रियाओं के साथ, जिसने हमारे एक दशक के अनुभव को विकसित किया है, सीएमएसएस स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में अपने स्वयं के बेंचमार्क को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

(राजेश गुप्ता)

डीजी एवं सीईओ  
केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

1) कुछ खरीद संबंधी कमियों और पेशेवर खरीद विशेषज्ञता की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में वर्ष 2012 में केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) के नाम से एक पूर्ण स्वायत्त केंद्रीय प्रापण एजेंसी (सीपीए) का गठन किया गया था, ताकि मंत्रालय अधिक पारदर्शी, कुशल और लागत प्रभावी तरीके से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्र के सामान की खरीद/वितरण कर सके। सीएमएसएस को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है।

2) सीएमएसएस में एक पदेन अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में खरीद का प्रभारी अतिरिक्त सचिव होता है। एक पूर्णकालिक महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जो सोसायटी के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। उन्हें 06 महाप्रबंधकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें से प्रत्येक प्रापण, रसद और आपूर्ति श्रृंखला, वित्त, गुणवत्ता आश्वासन और प्रशासन के कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

3) महाप्रबंधकों को 7 सहायक महाप्रबंधकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आईटी जिम्मेदारी सी-डैक द्वारा आउटसोर्स और प्रबंधित की जाती है। प्रधान कार्यालय में कुल जनशक्ति में छह (06) महाप्रबंधक, सात (07) सहायक महाप्रबंधक और सत्रह (17) सहायक कर्मचारी (प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, प्रबंधक, निजी सचिव और कार्यालय सहायक) शामिल हैं। गोदामों का प्रबंधन एक वेयरहाउस मैनेजर (फार्मासिस्ट), एक जूनियर फार्मासिस्ट, एक डीईओ और एक हाउसकीपिंग (अकुशल) स्टाफ द्वारा किया जाता है।

4) वर्तमान में, सीएमएसएस के देश भर में 18 गोदाम हैं जोकि राज्य की राजधानियों में या उनके नजदीक स्थित हैं। सभी गोदाम ऑनलाइन इन्वेंट्री नियंत्रण सॉफ्टवेयर और सामग्री प्रबंधन उपकरण के साथ आईटी सक्षम हैं। सीएमएसएस में फुलप्रूफ गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली है। फार्मास्युटिकल उत्पादों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का एक पैनल मौजूद है।

5) सीएमएसएस एक आत्मनिर्भर स्वायत्त निकाय है, जिसे 50.00 करोड़ रुपये के एकमुश्त अनुदान के साथ स्थापित किया गया है, और 2015 से अपने विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और गर्भ निरोधकों की खरीद कर रहा है।

# संगठन एवं बुनियादी संरचना

## 1.1 परिचय

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस), केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए दवाएं, टीके, गर्भनिरोधक और चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए एक स्वतंत्र, पेशेवर और स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) देश भर में फैले 50 स्थानों में आईटी सक्षम राज्य स्तरीय गोदामों की स्थापना करके राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपर्युक्त स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों के गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण के लिए जिम्मेदार है। सीएमएसएस के मुख्य उद्देश्य हैं:-

- स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं का कुशलतापूर्वक प्रापण करना।
- प्रापण के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित करना ताकि प्रतिस्पर्धी दरों पर सामान का प्रापण किया जा सके।
- गुणवत्ता नियंत्रण के लिए फुलप्रूफ सिस्टम स्थापित करना ताकि उपयोगकर्ता को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलें। गुणवत्ता उच्च स्तर की फर्मों के लिए निविदा भागीदारी को प्रतिबंधित करने वाला मुख्य मानक होगा।
- दक्ष आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना और प्रबंधन करना।
- स्टॉक आउट और अतिरिक्त इन्वेंट्री को रोकने के लिए एक एमआईएस स्थापित करना और बर्बादी को कम करना, यदि उसे बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता।
- विनिर्देशों, निविदा प्रक्रिया, दस्तावेजों, बिलिंग और भुगतान प्रणालियों का मानकीकरण करना।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों की आवश्यकता, उनके मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ बातचीत करना।
- राज्यों के प्रापण सुधारों पर अपने प्रयासों में ईपीडब्ल्यू की सहायता करना।
- प्रापण और रसद पर राज्यों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता देना।
- सेवा प्रदाता और उपयोगकर्ता के साथ खरीद और वितरण से निपटने के लिए और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर प्रणाली में सुधार करना।
- लाभ के बजाय सेवा के साथ मुख्य उद्देश्य के रूप में कार्य करना।
- औषधियों के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना।

## 1.2 विधिक – स्थिति

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस), सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है।

## 1.3 संगठनात्मक संरचना

मंत्रालय में प्रापण के प्रभारी अतिरिक्त सचिवपदेन अध्यक्ष हैं। एक पूर्णकालिक महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो कि एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, वे सोसायटी के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें 06 महाप्रबंधकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, प्रत्येक निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है:

- प्रापण
- संभार तंत्र
- वित्त
- गुणवत्ता आश्वासन
- प्रशासन


महाप्रबंधकों की सहायता 7 सहायक महाप्रबंधकों द्वारा की जाती है। आईटी की जिम्मेदारी सी-डैक द्वारा आउटसोर्स और प्रबंधित की जाती है। प्रधान कार्यालय में कुल कर्मचारियों में 06 महाप्रबंधक, 07 सहायक महाप्रबंधक और 17 सहायक कर्मचारी (प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, प्रबंधक, निजी सचिव और ऑफिस सहायक) शामिल हैं। गोदामों का प्रबंधन एक फार्मासिस्ट, एक जूनियर फार्मासिस्ट, एक डीईओ और एक हाउस्कीपिंग कर्मचारी (अकुशल) द्वारा किया जाता है।

सीएजी द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म को जीबी, सीएमएसएस के समक्ष रखे जाने से पहले वार्षिक खातों को प्रमाणित करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा के रूप में नियुक्त किया गया है।




केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) की संगठनात्मक संरचना नीचे दी गई है:

### सीएमएसएस का संगठनात्मक चार्ट



## 1.4 गोदामों का स्थान

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए सीएमएसएस के 18 गोदाम हैं।



## 1.5 गोदामों की सूची

क्र. स.	गोदामों के स्थान	गोदामों के अंतर्गत आने वाले राज्य/संघ क्षेत्र
1	अगरतला	त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम
2	अहमदाबाद	गुजरात
3	बैंगलोर	कर्नाटक
4	भोपाल	मध्यप्रदेश
5	चैनई	तमिलनाडु
		पॉन्डिचेरी
		अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
6	भुवनेश्वर	ओडिसा
7	दिल्ली	दिल्ली
8	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम
9	हैदराबाद	तेलंगाना और आंध्रप्रदेश
10	जयपुर	राजस्थान
11	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
12	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
13	मुंबई	महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगरहवेली, दमन और दीव
14	पटना	बिहार
15	रायपुर	छत्तीसगढ़
16	रांची	झारखंड
17	तिरुवनंतपुरम	केरल, लक्षदीप
18	जीरकपुर	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू – कश्मीर

## 1.6 आई0 टी0 साफ्टवेयर

सीएमएसएस संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की विशेषताओं के साथ एक वेब आधारित ऑनलाइन सूची नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से अपना संचालन करता है। सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण, अनुसंधान और परीक्षण के बाद “ई-औषधि” – दवा वितरण और प्रबंधन के लिए एक आईटी प्रणाली को सी-डैक से आउटसोर्स किया गया है। आईटी प्रणाली को काम के अनुकूल किया गया है और 1 दिसंबर 2016 से इसे प्रयोग में लाया गया है। मानवीकृत त्रुटियों को समाप्त करते हुए सभी आईटी-चालित लेन-देन, खरीद आदेश जारी करने, आपूर्ति रसीद, नमूनाकरण/परीक्षण और स्टॉक जारी करने में देरी को दूर कर दिया गया है।

## 1.7 गुणवत्ता नियंत्रण

सीएमएसएस द्वारा किए जाने वाले खरीद सुधार में गुणवत्ता को मुख्य संचालक माना जाता है। गुणवत्ता नीति अपने स्थान पर लागू है।

सार्वजनिक औषधि खरीद/आपूर्ति प्रणाली में गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोगी तक पहुंचने वाली प्रत्येक दवा/उत्पाद वांछित गुणवत्ता का हो।

गुणवत्ता वाली दवाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट प्रेषण निरीक्षण अपनाया गया।

एम्स, आईपीसी, सिपेट, आईपीएफटी, एनआईबी, ईक्यूडीसी, आईसीएमआर-एनएआरआई, आरएमआरआईएमएस, आईआईबीएटी, श्रीरामलैब्स, अरबो, ईएफआरएसी और एनआईसीईडी जैसी शीर्ष स्तरीय सरकारी और एनबीएल प्रयोगशालाओं को नमूनों के परीक्षण के लिए पैनल में रखा गया था।

इसके साथ ही, जाँच की इस व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया की क्रय की गई प्रत्येक औषधि जिसका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को वितरित किया गया उनके प्रत्येक बैच की उचित गुणवत्ता हो।

सीएमएसएस गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है।

## 1.8 सीएमएसएस के लिए कार्य—निष्पादन पैरामीटर

सीएमएसएस के लिए निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर कुछ व्यापक कार्य—निष्पादन मानदंड नीचे दिए गए हैं:-

- (1) सभी राज्य गोदामों में राज्य की कम से कम 3 महीनों की जरूरत सामान्य स्टॉक के रूप में होनी चाहिए।
- (2) समय बीत जाने की दृष्टि से किसी भी औषधि/टीके की बर्बादी को रोकना।
- (3) प्रापण प्रक्रिया एवं क्रयादेश, कैलेंडर और वार्षिक माँग के लिए दीर्घकालिक करार पर आधारित होना चाहिए।
- (4) पारदर्शी दो-बोली प्रक्रिया एवं मानक निविदा दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं।
- (5) आपूर्ति प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया जाए, जिसमें परीक्षण में लगने वाला समय भी सम्मिलित है।
- (6) न्यायालय के सभी मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाया गया और किसी भी माननीय न्यायालय से कोई प्रतिकूल निर्णय पारित नहीं किया गया।



# प्रमुख कार्यकलाप एवं उपलब्धियां

## 2.1 शासी निकाय की बैठकें

वित्तीयवर्ष 2022 – 2023 में शासी निकाय की 9 बैठकें (80वीं, 81वीं, 82वीं, 83वीं, 84वीं, 85वीं, 86वीं, 87वीं, 88वीं) 11 मई 2022, 24 जून 2022, 27 जुलाई 2022, 14 सितम्बर 2022, 27 सितम्बर 2022, 10 नवंबर 2022, 07 दिसम्बर 2022, 20 जनवरी 2023, और 24 मार्च 2023, आयोजित की गई। इनमें प्रापण संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

वर्ष 2022–23 के दौरान सीएमएसएस द्वारा 1017.73 करोड़ रुपये के खरीद मामलों को अंतिम रूप दिया गया। विवरण इस प्रकार हैं:—

- एफडब्ल्यूपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 47.33 करोड़
- एनवीबीडीसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 38.19 करोड़
- एनटीईपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 327.93 करोड़
- एनएसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 604.25 करोड़

## 2.2 गोदामों का कार्यकलाप

वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में विभिन्न स्थानों पर 18 गोदाम हैं।

## 2.3 आई0 टी0 साफ्टवेयर

“ई-औषधि” सॉफ्टवेयर को सीएमएसएस की आवश्यकता के अनुसार सी-डैक द्वारा अनुकूल किया गया था। अब यह “ई-औषधि” सॉफ्टवेयर पूरी तरह कार्यात्मक है। सभी लेन-देन आईटी संचालित होते हैं जैसे खरीद आदेश, आपूर्ति रसीद, नमूनाकरण/परीक्षण और स्टॉक जारी करना, इस प्रकार देरी और मानवीकृत त्रुटियों को समाप्त या कम कर दिया गया है।

## 2.4 गोदामों में कर्मचारी

गोदामों का प्रबंधन एक फार्मासिस्ट, एक जूनियर फार्मासिस्ट, एक डीईओ और एक हाउस्कीपिंग (अकुशल) कर्मचारी द्वारा किया जाता है।



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग 1 - खण्ड 1  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 260]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय  
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)  
संकल्प

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2013

संख्या एस-12012/59/2011-ई पी डब्ल्यू-सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र वस्तुओं के प्रभावी प्रापण और वितरण के लिए, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के तौर पर एक पूर्णतः स्वायत्त केंद्रीय प्रापण एजेंसी (सी पी ए) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

2. तदनुसार केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 22 मार्च 2012 को पंजीकरण संख्या एस/094/2012 के तहत पंजीकृत कर लिया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड़, नई दिल्ली-110011 में है।

3. सीएमएसएस स्वास्थ्य सेवा वस्तुओं का पारदर्शी और लागत प्रभावी तरीके से प्रापण करने तथा उन्हें 50 स्थलों पर गोदामों सहित एक आईटी सक्षम आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करने, राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

4. सीएमएसएस का प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी वस्तुओं की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की आपूर्ति बनी रहे।

5. सीएमएसएस प्रापण के लिए दो-बोली व्यवस्था (टू बिड सिस्टम) की एक पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और प्रापण के संबंध में सभी निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संदर्भ के बिना सीएमएसएस द्वारा लिए जाएंगे। तथापि प्रापण और इसके निष्पादन की निगरानी से संबंधित नीतिगत निर्णयों के लिए मंत्रालय जिम्मेदार होगा।

6. सीएमएसएस, राज्य सरकारों को उनके राज्यों में प्रापण व्यवस्था में सुधारने के लिए इसी प्रकार के संगठनों की स्थापना में भी सहायता करेगा।

केशव देसिराजु, सचिव

## शासी निकाय

क्र. सं.	नाम	पद
1.	सुश्री वी. हेकाली झिमोमी	अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं अध्यक्ष शासी निकाय सीएमएसएस
2.	श्री जयदीप कुमार मिश्रा	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3.	सुश्री रोली सिंह	अपर सचिव एवं निदेशक सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
4.	श्री राजेश गुप्ता	महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएमएसएस
5.	श्री राजीव मांझी	संयुक्त सचिव (एनसीवीबीडीसी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
6.	श्री राजीव वधावन	सलाहकार (लागत), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
7.	डॉ. पी. अशोक बाबू	संयुक्त सचिव (आरसीएच), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
8.	डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी	डीसीजी (आई), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
9.	डॉ. शोबिनी राजन	डीडीजी (एनएसीओ), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
10.	डॉ आर. पी. जोशी	डीडीजी (एनटीईपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
11.	डॉ तनु जैन	निदेशक, एनसीवीबीडीसी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
12.	डॉ सिला देव	अतिरिक्त आयुक्त, सीएचडी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
13.	डॉ संध्या काबरा	उप. आयुक्त, एनवीएचसीपी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
14.	डॉ. गोविंद बंसल	निदेशक, एफडब्लूपी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
15.	डॉ. वीणा धवन	संयुक्त आयुक्त, यूआईपी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
16.	श्री मनोज कुमार सिन्हा	डीएस (खरीद), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
17.	श्रीमती जी. अनुपमा	अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय विभाग, हरियाणा सरकार
18.	श्री भूपिंदर एस. भल्ला	प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
19.	श्री दीपक जैकब	प्रबन्ध संचालक, टीएनएमएससीएल, चेन्नई
20.	श्री बालमुरली डी.	प्रबन्ध संचालक, केएमएससीएल, तिरुआनंतपुरम
21.	सुश्री अनुपमा जोरवाल	प्रबन्ध संचालक, आरएमएससीएल, राजस्थान

सं. :- ए.एम.जी-IV / एम.स.आर / सी.एम.एस.एस / २०२३-२५ / २१



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा  
(केंद्रीय व्यय)  
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग  
Office of the Director General of Audit  
(Central Expenditure)  
Indian Audit and Accounts Department  
SPEED POST

22 AUG 2023

प्रोमी

उप-निदेशक (ए.एम.जी.IV)

दिनांक:

नई दिल्ली,

मैं वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था, नई दिल्ली के लेखाओं पर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित कर रही हूँ।

आपसे आग्रह है कि आप इस पत्र के प्राप्त करने के 10 दिन की अवधि के भीतर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्यों एवं आंकड़ों की पृष्टि करके अपनी टिप्पणियाँ यदि कोई हों, दोहरी प्रति में भेज दें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि इस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं है तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्य एवं आंकड़े पुष्टिकृत समझ लिए जाएंगे।

सादर,

भवनिष्ठा,

प्रोमी

श्री राजेश गुप्ता,  
महानिदेशक,  
केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी,  
द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग,  
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

एम (एम)

CMSS
Dy. No. 2206
Dated 24/08/23

Ph. : 91-11-23702422  
Fax : 91-11-23702271

D.G.A.C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi-110002  
e-mail : dgace@cag.gov.in



## **Draft Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Central Medical Services Society for the year ended 31 March 2023**

We have audited the attached Balance Sheet of the Central Medical Services Society (CMSS), as at 31 March 2023, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 20 (l) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted up to the period 2022-23. These financial statements are the responsibility of the management of CMSS. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinions.
4. Based on our audit, we report that:
  - i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
  - ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Ministry of Finance, Government of India;
  - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the CMSS in so far as it appears from our examination of such books;
  - iv. We further report that:

### **A. Balance Sheet**

#### **A.1 Liabilities**

##### **A.1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule-7) - Rs. 995.79 crore**

**A.1.1.1** The above do not include liabilities for expenses due but not paid amounting to Rs. 4.70 lakh. This has resulted in understatement of Current Liabilities and Provision as well as Expenditure and overstatement of Capital Fund by Rs. 4.6 lakh. The CMSS should follow the accrual system of accounting and expenses/income pertaining to current year should be included in Accounts.

Name of Firm	Description	Month/Year	Amount in Rs.
M/s Pace Publication	Photocopier Bill	Feb & March, 2023	16289

M/s Pace Publication	Photocopier	Feb & March, 2023	15875
M/s Vision Solution	Laptop & All in one	March, 2023	278525
Advocate Fee	Legal Fee	Jan, 2022 to March, 2023	121079
Advocate Fee	Legal Fee	March, 2023	37865
<b>Total</b>			<b>469633</b>

## A.2 Assets

### A.2.1 Current Assets, Loans, Advances, etc (Schedule-11) — Rs. 1225.47 crore

**A.2.1** An amount of Rs. 5.5.66 crore has been shown as Stock in trade in the current assets. It includes the value of expired medicines worth Rs. 66.62 crore (medicines worth Rs. 45.97 crore expired during the year 2022-23). As these expired medicines cannot be treated as goods to be supplied/sold, these are required to be reduced from the inventory. However, non-reduction of value of expired medicine from the stock resulted in overstatement of Current Assets.

The responsibility of loss is not fixed (whether it is of the CMSS or of the client i.e. Ministry/Departments). Thus, this has resulted in overstatement of Current Assets by Rs. 66.62 crore, overstatement of General Fund by Rs. 20.65 crore and understatement of Expenditure by Rs. 45.97 crore (if the responsibility rests with CMSS) and overstatement of Current Liabilities by Rs. 45.97 crore (if the responsibility rests with client Ministry /Department). Similar observation (Comment No. A.1.1.1) was issued to CMSS on accounts of CMSS for the year 2021-22. However, no remedial action has been taken by the CMSS.

### A.2.1 Current Assets, Loans, Advances, etc. (Schedule-11) - Rs. 1225.47 crore

**A.2.1.1** The CMSS has outstanding advances of Rs. 1.57 lakh as on 31.03.2023, however, the same has not been reflected under the Current Assets. This has resulted in understatement of Current Assets and overstatement and overstatement of Expenditure by Rs. 1.57 lakh. Details are as under -

#### Outstanding Advances durement 2020 - 23

Name of Firm	Name of Office	Amount in Rs.
Ware house, Ahmedabad	Mr. Divakar	7456
Ware house, Ahmedabad	Mr. Krunal Panchal	3500
Ware house, Bhopal	Dr. Shakti Kumar	5168
Ware house, Zirakpur	Arun Kumar Verma	37520
Ware house, Zirakpur	Arun Kumar Verma	23323
Ware house, Zirakpur	Arun Kumar Verma	18554
Ware house, Patna	Shalini Singh	30000
Ware house, Patna	Shalini Singh	8960
<b>Total</b>		<b>157373</b>



### A.2.2 Fixed Assets (Schedule - 8) - Rs. 6.05 crore

**A.2.2.1** The CMSS has purchased Books & Periodicals of Rs. 59,987 during the year 2022-23. However, the same was not included in Fixed Assets. This has resulted in understatement of Fixed Assets and overstatement of Expenditure by like amount.

### B. General

**B.1** Refund of TDS of an amount of Rs. 10.49 crore is due from Income Tax Department pertaining to the period 2013-14 to 2017-18 and 2021-22 to 2022-23. Efforts needs to be made to get the refund from the income Tax Department.

**B.2** As per schedule - 8 (Fixed Assets), CMSS disclosed assets valued at Rs. 6.05 crore as on 31st March 2023. An Assets Register require to be maintained in Form GFR-22 under General Financial Rules 2017 was not maintained by the CMSS. In the absence of proper Assets Register, the value of Assets could not be verified in audit.

**B.3** CMSS shows various outstanding / recoverable charges amounting to Rs. 62.57 Cr. under Current Assets. However, these are carried over the years as detailed below:

(Amount in crores)

Schedule - 11 (Current Assets, Loans, Advances, etc.)	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Head - Lab Testing funds recoverable		12.09 Cr	11.08 Cr	7.29 Cr
Head - Transportation Charges (warehouse) recoverable	6.11 Cr	11.88 Cr	12.03 Cr	7.25 Cr
Head - Administrative Charges Recoverable		55.36 Cr	33.66 Cr	48.03 Cr
<b>Total</b>				<b>62.57</b>

CMSS shall take urgent steps to recover these outstanding amounts.

**B.4** CMSS shows various outstanding liabilities/payable charges amounting to Rs. 42.93 crore under Current Liabilities. However, these are carried over the years as detailed below:

Amount in

Schedule 7 (Current Liabilities)	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Head Liquidated Damages	1.28 Cr	14.31 Cr	26.06 Cr	63.18 Cr	103.66 Cr	152.92 Cr	35.66 Cr
Head Security Deposit & EMD	9.79 Cr	7.23 Cr	5.14 Cr	2.39 Cr	7.66 Cr	6.61 Cr	7.27 Cr
							42.93

CMSS shall take urgent steps to refund/reconcile these outstanding amounts.

**B.5** A fund amounting to Rs. 5.00 crore was released to CMSS for meeting expenditure related to Corona virus Covid-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package. Fund being for specific purpose should be routed through Earmarked/Endowment Fund (Schedule-3).



- B.6** As per point no. 10 (TDS Reconciliation) of notes to accounts, TDS as per Book of Account is Rs. 3,54,24,361.60 and as per form 26 AS was Rs. 3,54,29,143.95/-. Thus the difference of Rs. 4782.35 needs to be reconciled.
- B.7** Fixed Assets (Schedule - 8) has been incorrectly titled position as on 31st March, 2022, Whereas it should be 31st March, 2023. This needs to be rectified.
- B.8** Vouchers have not been prepared in duplicate.

**C. Grants-in-aid**

CMSS had received one time Grants-in-aid (non-recurring) of Rs. 50.00 crore from Ministry of Health & Family Welfare during the year 2012-13 and no further grant was received. Out of this Grant, CMSS had Rs. 27.00 crore as opening balance on 01.04.2022 and earned interest of Rs. 1.67 crore, during the year 2022-23. No expenditure was incurred during the year, leaving an unspent balance of Rs. 28.67 crore, as on 31 March 2023.

For and on behalf of C&AG of India

-Sd-

Place: New Delhi

Director General of Audit  
(Central Expenditure)

Date:

राजेश गुप्ता

महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

**RAJESH GUPTA**

Director General & Chief Executive Officer



भारत सरकार  
केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

**Central Medical Services Society**

Ministry of Health and Family Welfare

Government of India

Tel. : 011-21410850

Email : rajesh.gupta66@gov.in

दिनांक: ०५-०९-२०२३

आदरणीय महोदया

मैं वर्ष २०२२-२३ के लिए केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था के लेखाओं पर ड्राफ्ट पृथक प्रतिवेदन प्राप्त किया है।

वर्ष २०२२-२३ के लिए केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था के लेखाओं पर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करके अपनी टिप्पणियां इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

भवनिष्ठ,

राजेश गुप्ता

राजेश गुप्ता

राजेश गुप्ता / Rajesh Gupta  
महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Director General & Chief Executive Officer  
केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी / Central Medical Services Society  
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / Ministry of Health and Family Welfare  
भारत सरकार / Government of India

श्रीमती प्रोमी

उप-निदेशक (ए. एम. जी. IV)

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा

(केंद्रीय व्यय)

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग

Central Medical Services Society

2<sup>nd</sup> Floor, Vishwa Yuvak Kendra, Pt. Uma Shankar Marg, Teen Murti Marg, Chanakyapuri, New Delhi - 110 021

S. No.	SAR -Para Reference	Audit Remarks	CMSS Reply																												
	<b>A. Balance Sheet</b>																														
	<b>A.1 Assets.</b>																														
1.	<b>A.1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule-7A) - Rs. 995.79 crore.</b>	The above do not include liabilities for expenses due but not paid amounting to Rs. 4.70 lakh. This has resulted in Provisions as well as Expenditure and overstatement of Capital Fund by Rs. 4.70 lakh. The CMSS should follow the accrual system pertaining to current year should be included in Accounts.	CMSS has created provision for expenditure incurred but not paid or processed the bill as on 31.03.2023 during FY 2022-23 for an amount of Rs. 2,06,75,398/-. However, the listed items have been missed out and the same has been subsequently booked in the year 2023-24. CMSS will ensure the compliance of the same from FY 2023-24 onwards.																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of Firm</th><th>Description</th><th>Month/year</th><th>Amount in Rs.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>M/s Pace Publication</td><td>Photocopier Bill</td><td>Feb &amp; March, 2023</td><td>16,289</td></tr> <tr> <td>M/s Pace Publication</td><td>Photocopier Bill</td><td>Feb &amp; March, 2023</td><td>15,875</td></tr> <tr> <td>M/s Vision Solution</td><td>Laptop &amp; All in one</td><td>March, 2023</td><td>2,78,525</td></tr> <tr> <td>Advocate Fee</td><td>Legal Fee</td><td>Jan, 2022 to March, 2023</td><td>1,21,079</td></tr> <tr> <td>Advocate Fee</td><td>Legal Fee</td><td>March, 2023</td><td>37,865</td></tr> <tr> <td colspan="3">Total</td><td>4,69,633</td></tr> </tbody> </table>	Name of Firm	Description	Month/year	Amount in Rs.	M/s Pace Publication	Photocopier Bill	Feb & March, 2023	16,289	M/s Pace Publication	Photocopier Bill	Feb & March, 2023	15,875	M/s Vision Solution	Laptop & All in one	March, 2023	2,78,525	Advocate Fee	Legal Fee	Jan, 2022 to March, 2023	1,21,079	Advocate Fee	Legal Fee	March, 2023	37,865	Total			4,69,633	
Name of Firm	Description	Month/year	Amount in Rs.																												
M/s Pace Publication	Photocopier Bill	Feb & March, 2023	16,289																												
M/s Pace Publication	Photocopier Bill	Feb & March, 2023	15,875																												
M/s Vision Solution	Laptop & All in one	March, 2023	2,78,525																												
Advocate Fee	Legal Fee	Jan, 2022 to March, 2023	1,21,079																												
Advocate Fee	Legal Fee	March, 2023	37,865																												
Total			4,69,633																												
	<b>A. 2 Assets</b>																														
2.	<b>A.1.2 Current Assets, Loans, Advances, etc. (Schedule-11) - Rs. 1225.47 crore</b>	An amount of Rs 505.66 crore has been shown as Stock in trade in the current assets. It includes the value of expired medicines worth Rs 66.62 crore (medicines worth Rs 45.97 crore expired during the year 2022-23). As these expired medicines cannot be treated as goods to be supplied/ sold, these are required to be reduced from the inventory. However, non-reduction of value of expired medicine from the stock resulted in overstatement of Current Assets.	<p>CMSS is the temporary custodian of medicines procured on behalf of programme divisions which are temporarily stored at warehouses.</p> <p>The issue of medicines for consumption are done as and when issue/ dispatch request is sent by the programme division. As the stock/medicines belongs to programme divisions, any loss on account of expired stock will rest with the programme divisions. The responsibility of the programme division has been fixed.</p> <p>Programme wise breakup have been placed below:</p>																												

	<p>The responsibility of loss is not fixed (whether it is of the CMSS or of the client i.e., Ministry/ Departments). Thus, this has resulted in overstatement of Current Assets by Rs. 66.62 crore, overstatement of General Fund by Rs 20.65 crore and understatement of expenditure by Rs 45.97 crore (if the responsibility rests with MSS) and overstatement of current liability by Rs 45.97 crore (if the responsibility rests with client Ministry/Department). Similar observation (Comment No. A.1.1.1) was issued to CMSS on accounts of CMSS for the year 2021-22. However, no remedial action has been taken by the CMSS.</p>	<table><tr><th>PD</th><th>Total</th></tr><tr><td>FWP</td><td>4,76,63,302</td></tr><tr><td>NACO</td><td>18,95,57,461</td></tr><tr><td>NVBDC</td><td>3,00,02,029</td></tr><tr><td>NVHCP</td><td>23,55,066</td></tr><tr><td>NTEP</td><td>39,66,46,456</td></tr><tr><td><b>Total</b></td><td><b>66,62,24,314</b></td></tr></table> <p>As stock belongs to respective programme divisions, as per Rule 33(4) of GFR 2017 CMSS has reported the respective programme divisions to obtain write off approval of the expired stock as per the appropriate delegation of authority of MoHFW.</p> <p>Further the modalities for disposal stand approved by the governing body of CMSS in its 74th meeting.</p> <p>CMSS has already started disposal of expired medicines as per the provision of Bio Medical Waste Management Guidelines 1988/2016 and as per relevant provisions of GFR 2017 and passed necessary entries in the books of accounts.</p> <p>CMSS has already disposed of expired medicine worth Rs. 2.98 crore during the year 2022-23 out of the total expired medicines of Rs. 5.95 Crore up to FY 2020-21 for which write off approval is obtained. The disposal of balance expired medicines worth Rs 2.97 Cr is in progress. (This has been mentioned under notes to account Serial no. 4.)</p> <p>The write off approval for the medicine expired during FY 2021-22 &amp; FY 2022-23 is awaited from respective programme divisions.</p>	PD	Total	FWP	4,76,63,302	NACO	18,95,57,461	NVBDC	3,00,02,029	NVHCP	23,55,066	NTEP	39,66,46,456	<b>Total</b>	<b>66,62,24,314</b>
PD	Total															
FWP	4,76,63,302															
NACO	18,95,57,461															
NVBDC	3,00,02,029															
NVHCP	23,55,066															
NTEP	39,66,46,456															
<b>Total</b>	<b>66,62,24,314</b>															



	<b>A.2.1.1 Current As- sets, Loans, Advances, etc. (Sched- ule-11) - Rs 1225.47 crore</b>	<p>The CMSS has outstanding advances of Rs 1.57 lakh as on 31.03.2023, however, the same has not been reflected under the Current Assets. This has resulted in understatement of Current Assets and overstatement of Expenditure by 21.57 lakh. Details are as under - Outstanding Advances during 2022-23</p> <table><tr><th>Name of Firm</th><th>Name of Office</th><th>Amount in Rs</th></tr><tr><td>Warehouse, Ahmedabad</td><td>Mr. Divakar</td><td>7456</td></tr><tr><td>Warehouse, Ahmedabad</td><td>Mr. Krunal Panchal</td><td>3500</td></tr><tr><td>Warehouse, Bhopal</td><td>Dr. Shakti Kumar</td><td>5168</td></tr><tr><td>Warehouse, Zirakpur</td><td>Arun Kumar Verma</td><td>37520</td></tr><tr><td>Warehouse, Zirakpur</td><td>Arun Kumar Verma</td><td>23323</td></tr><tr><td>Warehouse, Zirakpur</td><td>Arun Kumar Verma</td><td>18554</td></tr><tr><td>Warehouse, Hyderabad</td><td>G. Ravi Kiran</td><td>22892</td></tr><tr><td>Warehouse, Patna</td><td>Shalini Singh</td><td>3000</td></tr><tr><td>Warehouse, Patna</td><td>Shalini Singh</td><td>8960</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>157373</td></tr></table>	Name of Firm	Name of Office	Amount in Rs	Warehouse, Ahmedabad	Mr. Divakar	7456	Warehouse, Ahmedabad	Mr. Krunal Panchal	3500	Warehouse, Bhopal	Dr. Shakti Kumar	5168	Warehouse, Zirakpur	Arun Kumar Verma	37520	Warehouse, Zirakpur	Arun Kumar Verma	23323	Warehouse, Zirakpur	Arun Kumar Verma	18554	Warehouse, Hyderabad	G. Ravi Kiran	22892	Warehouse, Patna	Shalini Singh	3000	Warehouse, Patna	Shalini Singh	8960	Total		157373	<p>Advances has been given for the 18 Warehouse locations as on 31.03.23, we have booked and adjusted for 13 ware house locations.</p> <p>The Advance amount listed is as per the entries in Advance Register. “Rs 157,373.00 has been taken from the Advances Register, which was not updated after due adjustment of advances and booking expenditure as on 31-03-2023, however as per tally the net advances is Rs. 13,488/- only as on 31-03-2023 (Refer Schedule-11). The advance register has been duly updated and the advances has been adjusted.</p>
Name of Firm	Name of Office	Amount in Rs																																		
Warehouse, Ahmedabad	Mr. Divakar	7456																																		
Warehouse, Ahmedabad	Mr. Krunal Panchal	3500																																		
Warehouse, Bhopal	Dr. Shakti Kumar	5168																																		
Warehouse, Zirakpur	Arun Kumar Verma	37520																																		
Warehouse, Zirakpur	Arun Kumar Verma	23323																																		
Warehouse, Zirakpur	Arun Kumar Verma	18554																																		
Warehouse, Hyderabad	G. Ravi Kiran	22892																																		
Warehouse, Patna	Shalini Singh	3000																																		
Warehouse, Patna	Shalini Singh	8960																																		
Total		157373																																		
	<b>A.2.2.1 Fixed Assets (Schedule-8)-Rs 6.05 crore</b>	<p>The CMSS has purchased Books &amp; Periodicals of Rs 59,987 during the year 2022-23. However, the same was not included in Fixed Assets. This has resulted in understatement of Fixed Assets and overstatement of Expenditure by like amount.</p>	<p>The book has been purchased from the Indian pharmacopeia Commission (IPC) which contains the latest rules and regulation regarding Drug &amp; Pharmaceuticals Products &amp; Industries and the book need to be procured as and when any amendment is made to relevant provisions.</p> <p>It was considered as a revenue expenditure as operational effective life was taken as one year only.</p> <p>However, the issue is noted and accounting treatment will be ensured for such transactions in future.</p>																																	
B	<b>General</b>																																			



<b><u>B.1</u></b>	Refund of TDS of an amount of Rs 10.49 crore is due from Income Tax Department pertaining to the period 2013-14 to 2017-18 and 2021-22 to 2022-23. Efforts needs to be made to get their fund from the Income Tax Department.	<p>The TDS refund for the FY 2021-22 has received on 03.05.2023 for Rs. 5.41 crore.</p> <p>The ITR for FY 2022-23 has not been filed yet, as due date of filling is 30.09.2023 on which refund of Rs. 3.54 crore, TDS for FY 2022-23 will be due.</p> <p>The Balance ITR Refund amount pending is Rs. 1.54 crore related to the older financial years i.e. (FY 2013-14 to 2017- 18) for which we are in the process of engaging a Chartered firm to help us in the recovery proceeding of the same.</p>																									
<b><u>B.2</u></b>	As per Schedule - 8 (Fixed Assets), CMSS disclosed assets valued at 26.05 crore as on 31st March 2023. An Assets Register required to be maintained in Form GFR-22 under General Financial Rules 2017 was not maintained by the CMSS. In the absence of Proper Assets Register, the value of Assets could not be verified in audit.	CMSS has been maintaining the FA register as per internal format but as suggested, CMSS will now update the same as per the GFR format from FY 2023- 24 onwards. And also ensure that all active Fixed Assets as on 31.03.2023 is also updated in the register.																									
<b><u>B.3</u></b>	<p>CMSS shows various outstanding/ recoverable charges amounting to Rs 62.57 Cr. under Current Assets. However, these are carried over the years as detailed below:</p> <p style="text-align: center;">(Amount in crores)</p> <table><tr><th>Schedule - 11 (current Assets, Loans, Advances, etd.)</th><th>2019-20</th><th>2020-21</th><th>2021-22</th><th>2022-23</th></tr><tr><td>Head-Lab testing Funds recoverable</td><td>-</td><td>12.09 Cr</td><td>11.08 Cr</td><td>7.29 Cr</td></tr><tr><td>Head Transportation Charges (warehouse) recoverable</td><td>6.1 cr</td><td>11.88 Cr</td><td>12.03 Cr</td><td>7.2 Cr</td></tr><tr><td>Head Administrative Charges Recoverable</td><td>-</td><td>55.36 Cr</td><td>33.66 Cr</td><td>48.03 Cr</td></tr><tr><td colspan="4">Total</td><td>62.57</td></tr></table> <p>CMSS shall take urgent steps to refund/ reconcile these outstanding amounts.</p>	Schedule - 11 (current Assets, Loans, Advances, etd.)	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	Head-Lab testing Funds recoverable	-	12.09 Cr	11.08 Cr	7.29 Cr	Head Transportation Charges (warehouse) recoverable	6.1 cr	11.88 Cr	12.03 Cr	7.2 Cr	Head Administrative Charges Recoverable	-	55.36 Cr	33.66 Cr	48.03 Cr	Total				62.57	<p>The following outstanding is related to all the respective programmes and CMSS is following up for release of fund from respective PD. As on 30-08-2023 CMSS has recovered Rs. 7.12 Crore out of Rs. 48.03 Cr.</p>
Schedule - 11 (current Assets, Loans, Advances, etd.)	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23																							
Head-Lab testing Funds recoverable	-	12.09 Cr	11.08 Cr	7.29 Cr																							
Head Transportation Charges (warehouse) recoverable	6.1 cr	11.88 Cr	12.03 Cr	7.2 Cr																							
Head Administrative Charges Recoverable	-	55.36 Cr	33.66 Cr	48.03 Cr																							
Total				62.57																							

<b><u>B.4</u></b>	<p>CMSS shows various outstanding liabilities/ payable charges amounting to Rs 42.93 crore under Current Liabilities. However, these are carried over the years as detailed below:</p> <p style="text-align: center;">(Amount in crores)</p> <table><tr><th>Schedule 7 (current liabilities)</th><th>2016-17</th><th>2017-18</th><th>2018-19</th><th>2019-20</th><th>2021-22</th><th>2022-23</th></tr><tr><td>Head liquidated damages</td><td>1.25 Cr</td><td>14.3 Cr</td><td>26.07 Cr</td><td>103.66 Cr</td><td>152.92 Cr</td><td>35.66 Cr</td></tr><tr><td>Head security deposit &amp; EMD</td><td>9.79 Cr</td><td>7.23 Cr</td><td>2.39 Cr</td><td>7.66 Cr</td><td>6.61 Cr</td><td>7.27 Cr</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>42.93 Cr</td></tr></table> <p>CMSS shall take urgent steps to refund/ reconcile these outstanding amounts.</p>	Schedule 7 (current liabilities)	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2021-22	2022-23	Head liquidated damages	1.25 Cr	14.3 Cr	26.07 Cr	103.66 Cr	152.92 Cr	35.66 Cr	Head security deposit & EMD	9.79 Cr	7.23 Cr	2.39 Cr	7.66 Cr	6.61 Cr	7.27 Cr							42.93 Cr	<p>The cumulative Liquidity Damage” amount recovered as on 31-03-2022 was Rs. 152.92 Cr</p> <p>Out of that Rs. 145.62 Cr has been refunded to the respective programmes division. and the balance Rs 7.30 Cr will be ‘refund back during the FY 2023-24. The Cumulative LD as on 31-03-2023 is Rs 35.66 Cr only.</p> <p>Security Deposit &amp; EMD money will be returned to the respective Supplier after the closure/completion of the contract /tender &amp; duly approved by procurement department of CMSS. The above outstanding of SD &amp; EMD will be refunded gradually.</p>
Schedule 7 (current liabilities)	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2021-22	2022-23																								
Head liquidated damages	1.25 Cr	14.3 Cr	26.07 Cr	103.66 Cr	152.92 Cr	35.66 Cr																								
Head security deposit & EMD	9.79 Cr	7.23 Cr	2.39 Cr	7.66 Cr	6.61 Cr	7.27 Cr																								
						42.93 Cr																								
<b><u>B.5</u></b>	<p>A fund amounting to Rs 5.00 crore was released to CMSS for meeting expenditure related to Corona virus (Covid-19) outbreak crisis during the year 2021-22 from Covid-19 Emergency Response and Health System Preparedness Package. Fund being for specific purpose should be routed through Earmarked/ Endowment Fund (Schedule -3).</p>	<p>Rs. 5 Crore was released by MOHFW to CMSS. for management of medical equipment’s oxygen concentrators to be given to Govt. of India by Japan Govt under JAICA. Since then, the project has been revised at MOHFW end. Hence, CMSS will refund the full amount along with interest earned to MoHFW.</p>																												
<b><u>B.6</u></b>	<p>As per point no.10 (TDS Reconciliation) of notes to accounts, TDS as per Book of Account is Rs 3,54,24,361.60 and as per form 26 AS was Rs 3,54,29,143.95/-.Thus the difference of 4782.35 needs to be reconciled.</p>	<p>The difference in 26AS and TDS as per books is due to wrong income tax TDS return filed by one of the Supplier M/s. Corporate Channel India Pvt Ltd, the supplier mistakenly given credit to the CMSS for Rs. 4782.35/-, CMSS has informed the concerned supplier to revised their TDS return accordingly.</p>																												
<b><u>B.7</u></b>	<p>Fixed Assets (Schedule- 8) has been incorrectly titled position as on 31st March, 2022 whereas it should be 31st March, 2023. This needs to be rectified.</p>	<p>The date in Schedule 8 is inadvertently typed as 31.03.2022 instead of 31 03.2023. This is a typo error and will be corrected.</p>																												

	<b><u>B.8</u></b>	Vouchers have not been prepared in duplicate.	CMSS is following the approach of Audit around the Computer and keeps the records of all the transactions payments, and expenditure incurred etc. in hard copy in the respective files and the same can be verified from the Tally software also. However as recommended we will comply the same and keep a copy of vouchers along with invoice in the bound books as well for FY 2023-24.
<b>C</b>	<b><u>Grants-in-aids</u></b>		
		CMSS had received one-time Grants-in-aid (non-recurring) of Rs 50.00 crore from Ministry of Health & Family Welfare during the year 2012-13 and no further grant was received. Out of this Grant, CMSS had Rs 27.00 crore as opening balance on 01.04.2022 and earned interest of 1.67 crore, during the year 2022-23. No expenditure was incurred out of this grant during the year, leaving an unspent balance of 28.67 crore, as on 31st March 2023.	Agreed

For Central Medical Services Society

**Rajesh Gupta**  
DG & CEO



क्रमांक संख्या	एसएआर – पैरा संदर्भ का मसौदा	लेखापरीक्षा टिप्पणियां	सीएमएसएस उत्तर																												
	<b>अ. बैलेंस शीट</b> <b>अ.1 देनदारियां</b>																														
1.	<b>अ.1.1</b> वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची –7अ) – 995.79 करोड़ रुपये।	<p>उपर्युक्त में देय खर्चों के लिए देनदारियां शामिल नहीं हैं, लेकिन 4.70 लाख रुपये की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं और प्रावधानों के साथ-साथ व्यय और पूंजीगत निधि के 4.70 लाख रुपये के ओवरस्टेटमेंट की कमी हुई है। सीएमएसएस को लेखांकन की उपार्जन प्रणाली का पालन करना चाहिए और चालू वर्ष से संबंधित व्यय / आय को खातों में शामिल किया जाना चाहिए।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>कर्म का नाम</th><th>विवरण</th><th>माह / वर्ष</th><th>राशि रुपये में</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मेसर्स पेस प्रकाशन</td><td>फोटो क्रापियर बिल</td><td>फ़ब / मार्च 2023</td><td>16,289</td></tr> <tr> <td>मेसर्स पेस प्रकाशन</td><td>फोटो क्रापियर बिल</td><td>फ़ब &amp; मार्च 2023</td><td>15,875</td></tr> <tr> <td>मेसर्स विजन सोल्यूशन</td><td>लैपटॉप और आल इन वन</td><td>मार्च, 2023</td><td>2,78,525</td></tr> <tr> <td>एडवोकेट फीस</td><td>कानूनी शुल्क</td><td>जन., 2022 जब मार्च, 2023</td><td>1,21,079</td></tr> <tr> <td>एडवोकेट फीस</td><td>कानूनी शुल्क</td><td>मार्च, 2023</td><td>37,865</td></tr> <tr> <td colspan="3">कुल</td><td>4,69,633</td></tr> </tbody> </table>	कर्म का नाम	विवरण	माह / वर्ष	राशि रुपये में	मेसर्स पेस प्रकाशन	फोटो क्रापियर बिल	फ़ब / मार्च 2023	16,289	मेसर्स पेस प्रकाशन	फोटो क्रापियर बिल	फ़ब & मार्च 2023	15,875	मेसर्स विजन सोल्यूशन	लैपटॉप और आल इन वन	मार्च, 2023	2,78,525	एडवोकेट फीस	कानूनी शुल्क	जन., 2022 जब मार्च, 2023	1,21,079	एडवोकेट फीस	कानूनी शुल्क	मार्च, 2023	37,865	कुल			4,69,633	<p>सीएमएसएस ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 2,06,75,398 / – रुपये की राशि के लिए 31.03.2023 तक किए गए खर्च के लिए प्रावधान बनाया है, लेकिन बिल का भुगतान या प्रसंस्करण नहीं किया है। हालांकि, सूचीबद्ध आइटम छूट गए हैं और उन्हें बाद में वर्ष 2023–24 में बुक किया गया है। सीएमएसएस वित्त वर्ष 2023–24 से इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगा।</p>
कर्म का नाम	विवरण	माह / वर्ष	राशि रुपये में																												
मेसर्स पेस प्रकाशन	फोटो क्रापियर बिल	फ़ब / मार्च 2023	16,289																												
मेसर्स पेस प्रकाशन	फोटो क्रापियर बिल	फ़ब & मार्च 2023	15,875																												
मेसर्स विजन सोल्यूशन	लैपटॉप और आल इन वन	मार्च, 2023	2,78,525																												
एडवोकेट फीस	कानूनी शुल्क	जन., 2022 जब मार्च, 2023	1,21,079																												
एडवोकेट फीस	कानूनी शुल्क	मार्च, 2023	37,865																												
कुल			4,69,633																												
	<b>अ.2 संपत्ति</b>																														
2.	<b>अ.2.1</b> वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम, आदि (अनुसूची-11) – रु 1225.47 करोड़	<p>चालू परिसंपत्तियों में व्यापार में स्टॉक के रूप में रु 505.66 करोड़ की राशि दिखाई गई है। इसमें 66.62 करोड़ रुपये की एक्सपायर्ड दवायें (वर्ष 2022–23 के दौरान एक्सपायर्ड 45.97 करोड़ रुपये की दवाएं) शामिल हैं। चूंकि इन समाप्त हो चुकी दवाओं को आपूर्ति/बेची जाने वाली वस्तुओं के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसलिए इन्हें इन्वेंट्री से कम करना आवश्यक है। तथापि, स्टॉक से समाप्त हो चुकी दवाओं के मूल्य में कमी न होने के परिणामस्वरूप चालू आस्तियों का ओवरस्टेटमेंट हुआ।</p>	<p>सीएमएसएस कार्यक्रम प्रभागों की ओर से खरीदी गई दवाओं का अस्थायी संरक्षक है जो अस्थायी रूप से गोदामों में संग्रहीत की जाती हैं।</p> <p>उपभोग के लिए दवाइयों का निर्गम कार्यक्रम प्रभाग द्वारा जारी किए जाने/प्रेषण अनुरोध भेजे जाने पर किया जाता है। चूंकि स्टॉक/दवाइयां कार्यक्रम प्रभागों से संबंधित हैं, इसलिए समाप्त हो चुके स्टॉक के कारण कोई भी हानि कार्यक्रम प्रभागों के पास होगी। कार्यक्रम प्रभाग की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। कार्यक्रमवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:</p>																												



		<p>हानि की जिम्मेदारी निर्धारित नहीं की जाती है (चाहे वह सीएमएसएस की हो या ग्राहक अर्थात् मंत्रालय/विभागों की)। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों का ओवरस्टेटमेंट किसके द्वारा किया गया है?</p> <p>66.62 करोड़ रुपये, जनरल फंड का 20.65 करोड़ रुपये का ओवरस्टेटमेंट और 45.97 करोड़ रुपये का खर्च कम करना (यदि जिम्मेदारी सीएमएसएस के पास है) और मौजूदा देयता को 45.97 करोड़ रुपये तक बढ़ा-चढ़ाकर बताना (यदि जिम्मेदारी ग्राहक मंत्रालय/विभाग की है)। इसी तरह का अवलोकन (टिप्पणी संख्या अ.1.1.1) सीएमएसएस को वर्ष 2021-22 के लिए सीएमएसएस के खातों पर जारी किया गया था। तथापि, सीएमएसएस द्वारा कोई उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<table><tr><th>प्रोग्राम डिवीजन</th><th>कुल</th></tr><tr><td>एफ डब्लू पी</td><td>4,76,63,302</td></tr><tr><td>नाको</td><td>18,95,57,461</td></tr><tr><td>एनवीडीबीवीसी</td><td>3,00,02,029</td></tr><tr><td>एनवीएचसीवी</td><td>23,55,066</td></tr><tr><td>एनटीईपी</td><td>39,66,46,456</td></tr><tr><td>कुल</td><td>66,62,24,314</td></tr></table>	प्रोग्राम डिवीजन	कुल	एफ डब्लू पी	4,76,63,302	नाको	18,95,57,461	एनवीडीबीवीसी	3,00,02,029	एनवीएचसीवी	23,55,066	एनटीईपी	39,66,46,456	कुल	66,62,24,314
			प्रोग्राम डिवीजन	कुल													
एफ डब्लू पी	4,76,63,302																
नाको	18,95,57,461																
एनवीडीबीवीसी	3,00,02,029																
एनवीएचसीवी	23,55,066																
एनटीईपी	39,66,46,456																
कुल	66,62,24,314																
	<p>चूँकि कि स्टॉक संबंधित कार्यक्रम प्रभागों से संबंधित है, इसलिए जीएफआर 2017 के नियम 33 (4) के अनुसार सीएमएसएस ने संबंधित कार्यक्रम प्रभागों को एमओएचएफडब्ल्यू के प्राधिकरण के उचित प्रत्यायोजन के अनुसार एक्सपायर्ड हो चुके स्टॉक के राइट ऑफ अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सूचित किया है।</p> <p>इसके अलावा, निपटान के तौर-तरीकों को सीएमएसएस के शासी निकाय द्वारा अपनी 74 वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है।</p> <p>सीएमएसएस ने बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइंस 1988/2016 के प्रावधानों के अनुसार और जीएफआर 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार पहले ही एक्सपायर्ड दवाओं का निपटान शुरू कर दिया है और बही-खातों में आवश्यक प्रविष्टियां पारित कर दी हैं।</p> <p>सीएमएसएस ने वित्त वर्ष 2020-21 तक 5.95 करोड़ रुपये की कुल एक्सपायर्ड दवाओं में से वर्ष 2022-23 के दौरान 2.98 करोड़ रुपये की एक्सपायर्ड दवाओं का पहले ही निपटारा कर दिया है, जिसके लिए राइट ऑफ अनुमोदन प्राप्त हो गया है। शेष 2.97 करोड़ रुपये की एक्सपायर्ड दवाओं के निपटान का कार्य प्रगति पर है। (यह नोट टू अकाउंट सीरियल नंबर 4 के तहत उल्लिखित किया गया है।)</p>																

			वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान समाप्त हो चुकी दवा के लिए राइट ऑफ अनुमोदन संबंधित कार्यक्रम प्रभागों से प्रतीक्षित है।																																
अ.2.1.1 वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम, आदि (अनुसूची-11) – रु 1225.47 करोड़	<p>सीएमएसएस के पास 31.03.2023 तक 1.57 लाख रुपये का बकाया अग्रिम है, हालांकि, इसे वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत प्रतिबिंबित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप चालू आस्तियों की संख्या में कमी आई है और व्यय में 1.57 लाख रुपये की वृद्धि हुई है। विवरण निम्नानुसार हैं :</p> <p>2022-23 के दौरान बकाया अग्रिम:</p> <table><tr><th>कर्म का नाम</th><th>कार्यालय का नाम</th><th>राशि रुपये में</th></tr><tr><td>अहमदाबाद गोदाम</td><td>श्री दिवाकर</td><td>7456</td></tr><tr><td>अहमदाबाद गोदाम</td><td>श्री करुनल पांचाल</td><td>3500</td></tr><tr><td>भोपाल गोदाम</td><td>डॉ शक्ति</td><td>5168</td></tr><tr><td>जीरकपुर गोदाम</td><td>अरुण कुमार वर्मा</td><td>37520</td></tr><tr><td>जीरकपुर गोदाम</td><td>अरुण कुमार वर्मा</td><td>23323</td></tr><tr><td>जीरकपुर गोदाम</td><td>अरुण कुमार वर्मा</td><td>18554</td></tr><tr><td>हैदराबाद गोदाम</td><td>जी.रवि किरण</td><td>22892</td></tr><tr><td>पटना गोदाम</td><td>शालिनी सिंह</td><td>30000</td></tr><tr><td>पटना गोदाम</td><td>शालिनी सिंह</td><td>8960</td></tr><tr><td></td><td>कुल</td><td>157373</td></tr></table>	कर्म का नाम	कार्यालय का नाम	राशि रुपये में	अहमदाबाद गोदाम	श्री दिवाकर	7456	अहमदाबाद गोदाम	श्री करुनल पांचाल	3500	भोपाल गोदाम	डॉ शक्ति	5168	जीरकपुर गोदाम	अरुण कुमार वर्मा	37520	जीरकपुर गोदाम	अरुण कुमार वर्मा	23323	जीरकपुर गोदाम	अरुण कुमार वर्मा	18554	हैदराबाद गोदाम	जी.रवि किरण	22892	पटना गोदाम	शालिनी सिंह	30000	पटना गोदाम	शालिनी सिंह	8960		कुल	157373	<p>31.03.23 तक 18 गोदाम स्थानों के लिए अग्रिम दिया गया है, हमने 13 वेयर हाउस स्थानों के लिए बुकिंग और समायोजन किया है,</p> <p>सूचीबद्ध अग्रिम राशि अग्रिम रजिस्टर में प्रविष्टियों के अनुसार है। “अग्रिम रजिस्टर से 157,373.00 रुपये लिए गए हैं, जिसे 31-03-2023 तक अग्रिम और बुकिंग व्यय के उचित समायोजन के बाद अपडेट नहीं किया गया था, हालांकि टैली के अनुसार शुद्ध अग्रिम 31-03-2023 तक केवल 13,488 रुपये है (अनुसूची-11 देखें)। अग्रिम रजिस्टर को विधिवत अद्यतन किया गया है और अग्रिमों को समायोजित किया गया है।</p>
कर्म का नाम	कार्यालय का नाम	राशि रुपये में																																	
अहमदाबाद गोदाम	श्री दिवाकर	7456																																	
अहमदाबाद गोदाम	श्री करुनल पांचाल	3500																																	
भोपाल गोदाम	डॉ शक्ति	5168																																	
जीरकपुर गोदाम	अरुण कुमार वर्मा	37520																																	
जीरकपुर गोदाम	अरुण कुमार वर्मा	23323																																	
जीरकपुर गोदाम	अरुण कुमार वर्मा	18554																																	
हैदराबाद गोदाम	जी.रवि किरण	22892																																	
पटना गोदाम	शालिनी सिंह	30000																																	
पटना गोदाम	शालिनी सिंह	8960																																	
	कुल	157373																																	
अ.2.2.1 अचल संपत्ति (अनुसूची-8) – रु 6.05 करोड़	<p>सीएमएसएस ने वर्ष 2022-23 के दौरान रु 59,987 की किताबें और पत्रिकाएं खरीदी हैं। हालांकि, इसे अचल संपत्तियों में शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अचल आस्तियों का विवरण कम हो गया है और व्यय में इतनी ही राशि की वृद्धि हुई है।</p>	<p>पुस्तक को भारतीय फार्माकोपिया आयोग (आईपीसी) से खरीदा गया है, जिसमें ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में नवीनतम नियम और विनियमन शामिल हैं और जब भी प्रासंगिक प्रावधानों में कोई संशोधन किया जाता है, तो पुस्तक को खरीदने की आवश्यकता होती है।</p> <p>इसे राजस्व व्यय के रूप में माना जाता था क्योंकि परिचालन प्रभावी जीवन केवल एक वर्ष के रूप में लिया जाता था।</p> <p>हालांकि, इस मुद्दे को नोट किया गया है और भविष्य में इस तरह के लेनदेन के लिए लेखांकन उपचार सुनिश्चित किया जाएगा।</p>																																	

ब.	सामान्य																											
ब.1	आयकर विभाग से 2013-14 से 2017-18 और 2021-22 से 2022-23 की अवधि के लिए 10.49 करोड़ रुपये की टीडीएस राशि का रिफंड बकाया है। आयकर विभाग से फंड प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है।		वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टीडीएस रिफंड 03.05.2023 को 5.41 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर अभी तक दाखिल नहीं किया गया है, क्या कि भरने की नियत तारीख 30.09.2023 है, जिस पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.54 करोड़ रुपये का रिफंड बकाया होगा। लंबित आईटीआर रिफंड राशि पुराने वित्तीय वर्षों यानी (वित्त वर्ष 2013-14 से 2017-18) से संबंधित 1.54 करोड़ रुपये है, जिसके लिए हम इसकी वसूली कार्यवाही में मदद करने के लिए एक चार्टर्ड फर्म को नियुक्त करने की प्रक्रिया में हैं।																									
ब.2	अनुसूची-8 (अचल संपत्ति) के अनुसार, सीएमएसएस ने 31 मार्च 2023 तक 6.05 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा किया। सामान्य वित्तीय नियम 2017 के तहत फॉर्म जीएफआर-22 में बनाए जाने के लिए आवश्यक संपत्ति रजिस्टर सीएमएसएस द्वारा नहीं रखा गया था। उचित संपत्ति रजिस्टर के अभाव में, लेखा परीक्षा में परिसंपत्तियों के मूल्य का सत्यापन नहीं किया जा सका।		सीएमएसएस आंतरिक प्रारूप के अनुसार एफए रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है, लेकिन जैसा कि सुझाव दिया गया है, सीएमएसएस अब वित्त वर्ष 2023-24 से जीएफआर प्रारूप के अनुसार इसे अपडेट करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि 31.03.2023 तक सभी सक्रिय अचल संपत्तियां भी रजिस्टर में अपडेट कर दी गई हैं।																									
ब.3	सीएमएसएस चालू परिसंपत्तियों के तहत 62.57 करोड़ रुपये की राशि के विभिन्न बकाया/वसूली योग्य प्रभागों को दर्शाता है। हालांकि, ये वर्षों से किए जाते हैं जैसा कि नीचे बताया गया है:  (राशि करोड़ में)		निम्नलिखित बकाया राशि सभी संबंधित कार्यक्रमों से संबंधित है और सीएमएसएस संबंधित कार्यक्रम प्रभाग से निधि जारी करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है। 30-08-2023 तक सीएमएसएस ने 48.03 करोड़ रुपये में से 7.12 करोड़ रुपये की वसूली की है।																									
	<table><tr><td>अनुसूची - 11 (वर्तमान संपत्ति, ऋण, अगति, आदि)</td><td>2019-20</td><td>2020-21</td><td>2021-22</td><td>2022-23</td></tr><tr><td>ईड- लेव डेविल्टा फंड वसूली योग्य</td><td>—</td><td>12.09 को.</td><td>11.08 को.</td><td>7.29 को.</td></tr><tr><td>ईड- परिवहन शुल्क (गोद. ल.) वसूली योग्य</td><td>6.1 को.</td><td>11.88 को.</td><td>12.03 को.</td><td>7.2 को.</td></tr><tr><td>ईड- प्रशासनिक प्रभाग वसूली योग्य</td><td>—</td><td>55.36 ल.</td><td>33.66 ल.</td><td>48.03 ल.</td></tr><tr><td colspan="4">कुल</td><td>62.57</td></tr></table>		अनुसूची - 11 (वर्तमान संपत्ति, ऋण, अगति, आदि)	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	ईड- लेव डेविल्टा फंड वसूली योग्य	—	12.09 को.	11.08 को.	7.29 को.	ईड- परिवहन शुल्क (गोद. ल.) वसूली योग्य	6.1 को.	11.88 को.	12.03 को.	7.2 को.	ईड- प्रशासनिक प्रभाग वसूली योग्य	—	55.36 ल.	33.66 ल.	48.03 ल.	कुल				62.57	
अनुसूची - 11 (वर्तमान संपत्ति, ऋण, अगति, आदि)	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23																								
ईड- लेव डेविल्टा फंड वसूली योग्य	—	12.09 को.	11.08 को.	7.29 को.																								
ईड- परिवहन शुल्क (गोद. ल.) वसूली योग्य	6.1 को.	11.88 को.	12.03 को.	7.2 को.																								
ईड- प्रशासनिक प्रभाग वसूली योग्य	—	55.36 ल.	33.66 ल.	48.03 ल.																								
कुल				62.57																								
		सीएमएसएस इन बकाया राशियों की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाये।																										



ब.4	<p>सीएमएसएस वर्तमान देनदारियों के तहत 42.93 करोड़ रुपये की विभिन्न बकाया देनदारियों/देय शुल्कों को दर्शाता है। हालांकि, ये वर्षों से किए जाते हैं जैसा कि नीचे बताया गया है:</p> <p>(राशि करोड़ में)</p> <table><tr><th>वर्ष</th><th>2018-17</th><th>2017-16</th><th>2016-15</th><th>2015-14</th><th>2014-13</th><th>2013-12</th><th>2012-11</th><th>2011-10</th></tr><tr><td>सीएमएसएस देनदारियाँ</td><td>1.28 ₹</td><td>14.21 ₹</td><td>25.08 ₹</td><td>85.18 ₹</td><td>122.85 ₹</td><td>122.02 ₹</td><td>22.88 ₹</td><td></td></tr><tr><td>सीएमएसएस देय शुल्क</td><td>6.79 ₹</td><td>7.22 ₹</td><td>6.14 ₹</td><td>2.28 ₹</td><td>7.88 ₹</td><td>8.81 ₹</td><td>7.27 ₹</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>42.92 ₹</td><td></td></tr></table> <p>सीएमएसएस इन बकाया राशियों को वापस करने/उनका मिलान करने के लिए तत्काल कदम उठाये।</p>	वर्ष	2018-17	2017-16	2016-15	2015-14	2014-13	2013-12	2012-11	2011-10	सीएमएसएस देनदारियाँ	1.28 ₹	14.21 ₹	25.08 ₹	85.18 ₹	122.85 ₹	122.02 ₹	22.88 ₹		सीएमएसएस देय शुल्क	6.79 ₹	7.22 ₹	6.14 ₹	2.28 ₹	7.88 ₹	8.81 ₹	7.27 ₹									42.92 ₹		<p>31-03-2022 को वसूल की गई संचयी तरलता क्षति की राशि 152.92 करोड़ रुपये थी।</p> <p>इसमें से 145.62 करोड़ रुपये संबंधित कार्यक्रम प्रभाग को वापस कर दिए गए हैं। और शेष 7.30 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वापस कर दिए जाएंगे। 31-03-2023 तक संचयी एलडी केवल 35.66 करोड़ रुपये है।</p> <p>अनुबंध/निविदा के समापन/पूरा होने और सीएमएसएस के खरीद विभाग द्वारा विधिवत अनुमोदित होने के बाद संबंधित आपूर्तिकर्ता को सुरक्षा जमा और ईएमडी धन वापस कर दिया जाएगा। एसडी और ईएमडी का उपरोक्त बकाया धीरे-धीरे वापस कर दिया जाएगा।</p>
वर्ष	2018-17	2017-16	2016-15	2015-14	2014-13	2013-12	2012-11	2011-10																														
सीएमएसएस देनदारियाँ	1.28 ₹	14.21 ₹	25.08 ₹	85.18 ₹	122.85 ₹	122.02 ₹	22.88 ₹																															
सीएमएसएस देय शुल्क	6.79 ₹	7.22 ₹	6.14 ₹	2.28 ₹	7.88 ₹	8.81 ₹	7.27 ₹																															
							42.92 ₹																															
ब.5	<p>कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज से वर्ष 2021-22 के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) प्रकोप संकट से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए सीएमएसएस को 5.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई। विशिष्ट प्रयोजन के लिए होने के कारण निधि निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची-3) के माध्यम से भेजी जानी चाहिए।</p>	<p>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जेएआईसीए के तहत जापान सरकार द्वारा भारत सरकार को दिए जाने वाले चिकित्सा उपकरणों के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के प्रबंधन के लिए सीएमएसएस को 5 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। तब से, परियोजना को एमओएचएफडब्ल्यू के द्वारा संशोधित किया गया है। इसलिए, सीएमएसएस एमओएचएफडब्ल्यू को अर्जित ब्याज के साथ पूरी राशि वापस कर देगा।</p>																																				
ब.6	<p>खातों में नोट के बिंदु संख्या 10 (टीडीएस मिलान) के अनुसार, खाता पुस्तिका के अनुसार टीडीएस 3,54,24,361.60 रुपये है और फॉर्म 26 एस के अनुसार 3,54,29,143.95 रुपये है। इस प्रकार रु 4782.35 के अंतर को सही करने की आवश्यकता है।</p>	<p>बही-खातों के अनुसार 26एस और टीडीएस में अंतर एक आपूर्तिकर्ता मेसर्स कॉरपोरेट चैनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दाखिल गलत आयकर टीडीएस रिटर्न के कारण है, आपूर्तिकर्ता ने गलती से सीएमएसएस को 4782.35 रुपये का क्रेडिट दे दिया है, सीएमएसएस ने संबंधित आपूर्तिकर्ता को सूचित किया है कि वे तदनुसार अपने टीडीएस रिटर्न को संशोधित करें।</p>																																				
ब.7	<p>अचल संपत्तियों (अनुसूची-8) को गलत तरीके से 31 मार्च, 2022 तक की स्थिति शीर्षक दिया गया है, जबकि यह 31 मार्च, 2023 होनी चाहिए। इसे ठीक करने की जरूरत है।</p>	<p>अनुसूची 8 में तारीख अनजाने में 31.03.2023 के बजाय 31.03.2022 के रूप में टाइप की गई है। यह एक टाइपिंग त्रुटि है इसे ठीक कर दिया जाएगा।</p>																																				



	<b>ब.8</b>	वाऊचर डुप्लीकेट में तैयार नहीं किए गए हैं।	सीएमएसएस लेखा परीक्षा के दृष्टिकोण का अनुसरण कंप्यूटर के द्वारा कर रहा है और सभी लेनदेन भुगतानों और किए गए व्यय आदि के रिकॉर्ड हार्ड कॉपी में संबंधित फाइलों में रखता है और इसे टैली सॉफ्टवेयर से भी सत्यापित किया जा सकता है। हालांकि, जैसा कि सिफारिश की गई है, हम इसका पालन करेंगे और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जिल्द बुक में चालान के साथ वाऊचर की एक प्रति भी रखेंगे।
<b>स</b>	<b>अनुदान सहायता</b>		
	<b>स.1</b>	सीएमएसएस को वर्ष 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से 50.00 करोड़ रुपये का एकमुश्त सहायता अनुदान (गैर-आवर्ती) प्राप्त हुआ था और आगे कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। इस अनुदान में से सीएमएसएस के पास 01.04.2022 को प्रारंभिक शेष राशि के रूप में 27.00 करोड़ रुपये थे और वर्ष 2022-23 के दौरान 1.67 करोड़ रुपये का ब्याज अर्जित किया गया था। वर्ष के दौरान इस अनुदान में से कोई व्यय नहीं किया गया, जिससे 31 मार्च 2023 तक 28.67 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि बची रही।	सहमत, नोट स्वयं व्याख्यात्मक है।

केन्द्रीय औषधि सेवा सोसाइटी

**राजेश गुप्ता**

महानिदेशक एवं मुख्य  
कार्यपालक अधिकारी



संख्या : ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स./2023-24/ 314

कार्यालय महानिदेशक  
लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय)  
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110 002  
Office of the Director General of Audit  
(Central Expenditure)  
Indraprastha Estate New Delhi - 110 002

प्रोमी

उप - निदेशक (ए.एम.जी-IV)

21 SEP 2023

दिनांक:

महोदय,

केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था के वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गई है तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र संख्या ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स./2023-24/313 दिनांक: 20/9/2023 को जारी किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान कुछ विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अतः इन विसंगतियों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है कि इन पर उचित सुधारात्मक कारवाई की जाये।

अनुलग्नक: यथोपरि

सादर

भवदीया,

प्रोमी

श्री राजेश गुप्ता,  
महानिदेशक,  
केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था,  
द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग,  
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

**Annexure to DO letter No. AMG-IV/TAB/CMSS/2023-24/**

1. Current Liabilities and Provisions (Schedule -7) – Rs 995.79 crore  
The above do not include liabilities for expenses due but not paid amounting to Rs 4.70 lakh. This has resulted in understatement of Current Liabilities and Provisions as well as Expenditure and overstatement of Capital Fund by Rs 4.70 lakh. The CMSS should follow the accrual system of accounting and expenses/income pertaining to current year should be included in Accounts.

Name of Firm	Description	Month/Year	Amount in Rs
M/s Pace Publication	Photocopier Bill	Feb & March 2023	16289
M/s Pace Publication	Photocopier	Feb & March 2023	15875
M/s Vision Solution	Laptop & All in One	March, 2023	278525
Advocate Fee	Legal fee	Jan, 2022 to March, 2023	121079
Ad locate Fee	Legal fee	March, 2023	37865
		Total	469633

2. Fixed Assets (Schedule - 8) – Rs 6.05 crore  
The CMSS has purchased Books & Periodicals of Rs 59,987 during the year 2022-23. However, the same was not included in Fixed Assets. This has resulted in understatement of Fixed Assets and overstatement of Expenditure by like amount.
3. CMSS shows various outstanding liabilities/ payable charges amounting to Rs 42.93 crores under Current Liabilities. However, these are carried over the years as detailed below:

(Amount in Crores)

Schedule 7 (Current Liabilities)	2016-17	2017 -18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
Head Liquidated Damages	1.28 Cr	14.31 Cr	26.06Cr	63.18Cl	103.66Cr	152.92 Cr	35.66 Cr
Head Security Deposit& EMD	9.79 Cr	7.23Cr	5.14 Cr	2.39Cr	7.66 Cr	6.61 Cl	7.27 Cr

CMSS shall take urgent steps to refund/reconcile these outstanding amounts.

4. As per point no.10 (TDS Reconciliation) of notes to accounts TDS as per Book of Account is Rs 3,54,24,361.60 and as per form 26 AS was Rs 3,54,29,143.95. Thus, the difference of Rs 4782.35 needs to be reconciled
5. Fixed Assets (Schedule - 8) has been incorrectly titled position as on 31st March. 2022' whereas it should be 31st March 2023. This needs to be rectified.
6. Vouchers have not been prepared in duplicate.




**कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)**  
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)  
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002  
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स./2023-24/

दिनांक:

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,  
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, B-ब्लॉक,  
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023.



**विषय :** वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय धिकित्सा सेवा संस्था, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

**महोदय / महोदया ,**

मैं केंद्रीय धिकित्सा सेवा संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के प्रमाणित वार्षिक लेख की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124 को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2022-23 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व धर्मा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

अनुलग्नक, यथोपरि

भवदीया,

- हस्ता -

(प्रोमी)

उप - निदेशक (ए.एम.जी-IV)




✓ ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स./2023-24/313 दिनांक:

21 SEP 2023

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, श्री राजेश गुप्ता, महानिदेशक, केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था, द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124 को भेजी जाए।

अनुलग्नक: यथोपरि

  
(प्रोमी)

उप - निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स./2023-24 /

दिनांक:

केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित प्रधान निदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अद्योषित की जाती है।

यह पत्र महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

- हस्ता -  
(प्रोमी)

उप - निदेशक (ए.एम.जी-IV)

## **Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Central Medical Services Society for the year ended 31 March 2023**

We have audited the attached Balance Sheet of the Central Medical Services Society (CMSS) as at 31 March 2023, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The Audit has been entrusted up to the period 2022 – 23. These financial statements are the responsibility of the management of CMSS. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-sum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinions.

4. Based on our audit, we report that:

- i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & . Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Ministry of Finance, Government of India;
- iii. In our opinion, proper books of accounts and other- relevant records have been maintained by the CMSS in so far as it appears from our examination of such books;
- iv. We further report that:

### **A. Balance Sheet**

#### **A1 Assets**

##### **A.1.1 Current Assets, Loans, Advances, etc. (Schedule -11) — Rs 1225.47 crore**

**A.1.1.1** An amount of Rs 505.66 crore has been shown as Stock in trade in the current assets. It includes the value of expired medicines worth Rs 66.52 crore (medicines worth Rs 45.97 crore expired during the year 2022-23). As these expired medicines cannot be treated as goods to be supplied/ sold, these are required to be reduced from the inventory. However, non-reduction of value of expired medicine from the stock resulted in overstatement of Current Assets.

The responsibility of loss is not fixed. Thus, this has resulted in overstatement of Current Assets by Rs 66.62 crore, overstatement of General Fund by Rs 20.65 crore and understatement of expenditure by Rs 45.97 crore and overstatement of current liability by Rs 45.97 crore. Similar observation (Comment No. A 1 1.1) was issued to CMSS on accounts of CMSS for the year 2021-22. However, no remedial action has been taken by the CMSS

## **B. General**

**B.1** Refund of TDS of an amount of Rs 10.49 crore is due from Income Tax Department pertaining to the period 2013 – 14 to 2017 – 18 and 2021 – 22 to 2022 – 23. Efforts needs to be made to get the refund from the Income Tax Department.

**B.2** As per Schedule - 8 (Fixed Assets), CMSS disclosed assets valued at Rs 6.05 crore as on 31 March 2023. An Assets Register required to be maintained in Form GFR-22 under General Financial Rules 2017 was not maintained by the CMSS

**B.3** CMSS shows various outstanding/ recoverable charges amounting to Rs 62.57 crore under Current Assets. However, these are carried over the years as detailed below

(Amount in crores)				
Schedule - 11 (Current Assets, Loans, Advanc- es, etc.)	2019-20	2020 - 21	2021-22	2022-23
Head - Lab Testing funds recoverable		12.09	11.08	7.29
Head - Transpor- tation Charges (warehouse) recoverable	6.11	11.08	12.03	7.25
Head -Adminis- trative Charges Recoverable		55.36	33.66	48.03
<b>Total</b>				<b>62.57</b>

CMSS shall take urgent steps to recover these outstanding amounts.

**B.4** A fund amounting to Rs 5.00 crore was released to CMSS for meeting expenditure related to Corona virus (Covid-19) outbreak crisis during the year 2021- 22 from Covid -19 Emergency Response and Health System Preparedness Package. Fund being for specific purpose should be routed through Earmarked/Endowment Fund (Schedule -3).

## **C. Grants-in-aid**

CMSS had received one-time Grants-in-aid (non-recurring) of Rs 50.00 crore from Ministry of Health & Family Welfare during the year 2012-13 and no further grant was received. Out of this Grant, CMSS had Rs 27.00 crore as opening balance on 01.04.2022 and earned interest of Rs



1.67 crore, during the year 2022-23. No expenditure was incurred out of this grant during the year, leaving an unspent balance of Rs 28.67 crore, as on 31 March 2023.

#### **D. Management Letter**

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of management of CMSS through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and accordingly to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes in Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Central Medical Services Society as at 31 March 2023; and

b. In so far as it relates to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India

Place: New Delhi  
Date: 20.09.2023

Sd/-  
(Rajiv Kumar Pandey)  
Director General of Audit  
(Central Expenditure)



## **Annexure**

**1. Adequacy of Internal audit system**

There is no internal audit department in CMSS. The Internal audit of the CMSS for the period 2022 – 23 was conducted by the Chartered Accountant.

**2. System of physical verification of Cash in hand**

The physical verification of Cash in hand was conducted up to 31.03.2023.

**3. System of physical verification of Assets**

The physical verification of fixed assets was conducted up to 31.03.2023.

**4. System of physical verification of inventory**

- i) The physical verification of inventory like books and publications, stationery and other consumable was conducted upto 31.03.2023.
- ii) Physical verification of Medicines (inventory) was conducted in phased manner for six ware houses (out of 18) up to March, 2023.

**5. Regularity in payments of statutory dues**

As per accounts, no payment for over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.03.2023.

## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

### BALANCE SHEET As at 31st March'2023

(Amount in Rupees)

Particulars	Schedule	2022-23	2021-22
<b><u>Corpus/ General Fund and Liabilities</u></b>			
Corpus Fund	1	261,625,205	261,625,205
General Fund	1	2,095,624,422	1,943,662,942
Reserves and Surplus	2	-	-
Earmarked/Endowment Funds	3	-	-
Secured Loans and Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans and Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	9,957,905,818	22,856,804,791
<b>Total</b>		<b>12,315,155,445</b>	<b>25,062,092,938</b>
<b><u>Assets</u></b>			
Fixed Assets	8	60,472,716	62,603,493
Investments- From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investment- Others	10	-	-
Current Assets, Loans Advances etc.	11	12,254,682,729	24,999,489,445
<b>Miscellaneous Expenditure</b>		-	-
(To the Extent not written off or Adjusted)			
<b>Total</b>		<b>12,315,155,445</b>	<b>25,062,092,938</b>
Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet			
As per our report of even date attached			

DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

### INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

As at 31st March'2023

(Amount in Rupees)

Particulars	Schedule	2022-23	2021-22
<b>Income</b>			
Income from Sales/Services	12	306,385,264	430,607,372
Value of Goods Transferred to NVBDCP	25	652,177,398	495,665,691
Value of Goods Transferred to FWP	25	719,243,271	493,883,421
Value of Goods Transferred to NTEP (RNTCP)	25	9,539,004,260	7,517,243,303
Value of Goods Transferred to NACO	25	5,083,456,303	8,032,090,479
Value of Goods Transferred to NVHCP	25	253,569,237	898,929,507
Value of Goods Transferred to UIP	25	1,695,895,453	3,597,650,374
Value of Goods Transferred to CDSCO	25	37,989,142	816,560
Value of Goods Transferred to CHD	25	61,721,145	135,904,807
Value of Goods Transferred to PSA Medical Oxygen Plant	25	-	1,000,764,320
Value of Goods Transferred to JSR Oxygen Cylinders	25	-	890,517,680
Value of Goods Transferred for Testing & Expired Medicine Disposed-off	26	51,510,485	-
Grants/Subsidies	13	-	-
Fees/Subscription	14	-	-
Income from Investments	15	-	-
Income From Royalty, Publication, etc.	18	-	-
Interest Earned	17	51,226,643	50,183,474
Other Income	16	9,041,813	91,173,012
Increase/(Decrease) in stock of Finished Goods and Work-in-Progress	19	-3,277,738,088	2,108,467,652
<b>Total - A</b>		<b>15,183,482,325</b>	<b>25,743,897,652</b>

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

Expenditures			
Purchase of Goods on behalf of NVBDCP	24	712,107,767	388,007,089
Purchase of Goods on behalf of Department of Family Planning (FWP)	24	809,548,177	364,943,909
Purchase of Goods on behalf of NTEP (RNTCP)	24	6,705,673,853	10,300,645,796
Purchase of Goods on behalf of NACO	24	4,735,278,678	8,125,192,529
Purchase of Goods on behalf of NVHCP	24	59,935,869	471,493,649
Purchase of Goods on behalf of UIP	24	1,694,104,859	3,524,558,243
Purchase of Goods on behalf of CDSCO	24	37,537,182	816,560
Purchase of Goods on behalf of CHD	24	62,642,219	111,298,043
Purchase of Goods on behalf of PSA Medical Oxygen Plant	24	-	1,000,764,320
Purchase of Goods on behalf of JSR Oxygen Cylinders	24	-	890,517,680
Prior Period Purchase	24	-	-
Establishment & Administrative Expenses	20	206,162,547	194,940,207
Operative Expenses	21	-	-
Expenditure on Grants, Subsidies Etc.	22	-	-
Interest Expenses	23	-	-
Depreciation (Corresponding to Schedule 8)	8	8,529,694	8,594,094
<b>Total - B</b>		<b>15,031,520,845</b>	<b>25,381,772,119</b>
<b>Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)</b>		<b>151,961,480</b>	<b>362,125,533</b>

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS





# CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

## RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT

As at 31st March'2023

(Amount in Rupees)

Receipts	2022-23	2021-22	Payments	2022-23	2021-22
<b>I. Opening Balances</b>			I. Establishment & Administrative Expenses	190,294,265	182,422,604
a) Cash in Hand	-	8,341			
b) Bank Balances			II. Transportation Charges	32,426,388	34,477,914
SBI, Nirman Bhawan SB A/c No. 32719062216	146,344	1,592,487,556			
IDBI SB A/c No. 0127104000022163	597,139	579,603	III. Testing Expenses	34,058,132	51,118,578
SBI A/c No. 38019940410 (Bhopal W/H)	42	16,565			
SBI CHD, A/c No. 40049381344	150,000	45,587,134	IV. Investment- FDR Create	-	20,233,418,644
SBI FWP, A/c No. 39923834554	150,000	1,800,287			
SBI NACO, A/c No. 39924350550	150,000	8,031,748	V. EMD / SD & Performance Guarantee Refunded	27,692,735	40,824,077
SBI NTEP, A/c No. 39924196110	150,000	1,403,342			
SBI NVBDCP, A/c No. 39923991528	150,000	142,198,587	VI. Refund to Programme & FDR Interest	3,236,139,612	607,138,365
SBI NVHCP, A/c No. 39923836801	150,000	168,350			
SBI PM CARES Fund A/c No. 39935538663	100,260	18,536,214	VII. Duties & Taxes	302,733,887	484,730,671
SBI UIP, A/c No. 39923801992	36,602	23,918,937			
SBI PM CARES-II Fund A/c No. 40161300626	712,267	-	VIII. Fixed Assets Purchased/ Capitalised	6,246,564	8,323,333
FD BALANCE			IX. Payment for Purchase of Medicines and Medical Devices	14,462,014,158	23,257,301,303
FDR CREATED	15,868,268,120	-			
			X. Tour Advance	2,302,773	3,061,946
II. Interest Received					
Term Deposit (Net of TDS)	278,769,549	-	PM Care-II Remittance (HITES & DEBEL)	-	5,884,751,674
Saving Bank Account	26,982,496	41,844,026			
III. Other Receipts					

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

Scrap Sale & Misc. Receipts	-	-	FDR Balance		
FDR Encashed	-	28,475,045,938	FDR Investment- closing Balance	6,136,733,934	-
Income Tax Refund	57,086,630	83,471,950			
Other Receipts	7,061,874	14,856,678	XI. Closing Balances		
IV. Earnest Money Deposits	40,535,669	3,219,228	a) Cash in Hand	-	-
			b) Bank Balances		
V. Procurement Funds from Programme			SBI, Nirman Bhawan SB A/c No. 32719062216	72,801	146,344
CRPF	21,162,060	10,831,424	IDBI SB A/c No. 0127104000022163	246,421	597,139
National Vectors Borne Disease Control Programme (NVBDP)	313,406,683	517,406,282	SBI A/c No. 38019940410 (Bhopal W/H)	14,593	43
Department of Family Planning (FWP)	598,716,294	105,974,336	SBI CHD, A/c No. 40049381344	100,508	150,000
National Aids Control Programme (NACO)	4,696,881,946	3,356,462,111	SBI FWP, A/c No. 39923834554	100,945	150,000
National Tuberculosis Elimination Programme (RNTCP)	1,484,968,442	5,931,004,209	SBI NACO, A/c No. 39924350550	2,077	150,000
National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	10,678,532	515,275,050	SBI NTEP, A/c No. 39924196110	126,317	150,000
Universal Immunisation Programme (UIP)	1,057,132,730	2,742,742,092	SBI, NVBDP, A/c No. 39923991528	1,116,052	150,000
Child Health Development (CHD)	57,785,791	94,987,640	SBI NVHCP, A/c No. 39923836801	102,355	150,000
JSR - Oxygen Cylinder	-	933,814,648	SBI PM CARES Fund A/c No. 39935538663	100,000	100,260
PM CARES Fund -II	-	6,078,280,000	SBI UIP, A/c No. 39923801992	100,835	36,602
JICA	-	50,000,000	SBI PM CARES-II Fund A/c No. 40161300626	100,000	712,267.00
FWP (EPW) THERMOMETER	-	109,489	CMSS ICICI ACC.028601001837	140,167,623	-
National Tobacco Testing Laboratories (NTTLs)	31,252,584	-	CMSS PNB A/C NO.0153000110128688	107,351	
PM CARE-ONGC A/C	19,918,272	-			
<b>Total</b>	<b>24,573,100,327</b>	<b>50,790,061,765</b>	<b>Total</b>	<b>24,573,100,327</b>	<b>50,790,061,765</b>

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

### SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2023

#### SCHEDULE 1: CORPUS/CAPITAL FUND

(Amount in Rupees)

Particulars	2022-23	2021-22
A. Corpus Fund	261,625,205	261,625,205
B. General Fund	1,943,662,942	1,581,537,409
C. Add: Net Balance of Income and Expenditure A/c (Excluding Interest on Initial Grant B above)	151,961,480	362,125,533
<b>FUND BALANCE AT THE YEAR END</b>	<b>2,357,249,627</b>	<b>2,205,288,147</b>

#### SCHEDULE 2: RESERVES AND SURPLUS

(Amount in Rupees)

Particulars	2022-23	2021-22
1) <b>Capital Reserve</b>		
As per last account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
2) <b>Revaluation Reserve</b>		
As per last account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
3) <b>Special Reserve</b>		
As per last account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
4) <b>General Reserve</b>		
As per last account	-	-
Additions during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

### SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2023

#### SCHEDULE 3: EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		Fund Based Break Up				Totals	
		One Time Grant	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
A)	Opening Balance of the Funds						
B)	Addition to the Funds						
i)	Donation/Grants	-	-	-	-	-	-
ii)	Income from Investment made on account of Funds	-	-	-	-	-	-
iii)	Other Additions/deductions (Surplus/deficit Trfd. From Inc. & Exp.)						
	<b>TOTAL (A+B)</b>	-	-	-	-	-	-
C)	Utilization/Expenditure towards Objectives of Funds						
i)	Capital Expenditure						
	Fixed Assets	-	-	-	-	-	-
	Others	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-
ii)	Revenue Expenditure						
	Salaries, Wages and allowances etc.	-	-	-	-	-	-
	Rent	-	-	-	-	-	-
	Other administrative expenses	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL C</b>						
	<b>NET BALANCE AS AT YEAR END (A+B+C)</b>	-	-	-	-	-	-

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS





# CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001

(PAN AABAC6275F)

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2023

### SCHEDULE 4: SECURED LOANS AND BORROWINGS (Amount in Rupees)

Particulars		2022-23	2021-22
1)	Central Government	-	-
2)	State Government (Specify)	-	-
3)	Financial Institutions		
	a) Term Loan	-	-
	b) Interest Accrued and Due	-	-
4)	Banks		
	a) Term Loan	-	-
	Interest Accrued and Due	-	-
	b) Other Loans (Specify)	-	-
	Interest Accrued and Due	-	-
5)	Other Institutions and Agencies	-	-
6)	Debenture and Bonds	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

### SCHEDULE 5: UNSECURED LOANS AND BORROWINGS (Amount in Rupees)

Particulars		2022-23	2021-22
1)	Central Government	-	-
2)	State Government (Specify)	-	-
3)	Financial Institutions		
	a) Term Loan	-	-
	b) Interest Accrued and Due	-	-
4)	Banks		
	a) Term Loan	-	-
	Interest Accrued and Due	-	-
	b) Other Loans (Specify)	-	-
	Interest Accrued and Due	-	-
5)	Other Institutions and Agencies	-	-
6)	Debenture and Bonds	-	-
7)	Fixed Deposit	-	-
8)	Other (Specify)	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

### SCHEDULE 6: DEFERRED CREDIT LIABILITIES (Amount in Rupees)

Particulars		2022-23	2021-22
1)	Acceptance Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-	-
2)	Others (Security Deposit of Electrical & Civil Work)	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



# CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001

(PAN AABAC6275F)

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2023

### SCHEDULE 7: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount in Rupees)

Particulars	2022-23	2021-22
<b>A) CURRENT LIABILITIES</b>		
1) <b>Sundry Creditors</b>		
a) For Goods	1,914,472,080	2,081,219,143
b) For Others	528,613	1,567,845
2) <b>Advance Received From Programmes</b>		
a) CDSCO	37,463,901	75,453,043
b) FWP	-	125,596,087
c) NACO	1,258,725,635	2,569,020,927
d) NVBDCP	12,977,368	159,599,133
e) NVHCP	189,240,289	433,174,801
f) PAO CRPF	-	10,526,165
g) NTEP	5,112,943,592	12,476,242,473
h) UIP	-	481,246,941
i) CHD	38,399,787	46,940,364
j) JSR Oxygen Cylinder	22136134.63	15,997,323
k) PM Cares Fund	524,946,370	536,416,590
l) PM Cares Fund II	55,391,657	55,391,657
m) JICA	50,000,000	50,000,000
n) MoH&FW Thermometer	-	105,000
o) National Tobacco Testing Laboratories (NTTLs)	30,360,000	
3) <b>Interest Accrued but not due on :</b>		
a) Secured Loans/Borrowings		
b) Unsecured Loans/borrowings		
4) <b>Statutory Liabilities :</b>		
a) Overdue		
b) Others		
5) <b>Other Current Liabilities</b>		
Earnest Money Deposit-IP	-	-
Earnest Money Deposit-Other	-	-
Security Deposit (Civil & Electrical work)	-	-
Liquidated Damages-Purchase	-	-
Liquidated Damages-Lab Testing	-	-

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

	Sampling & Testing Advance		21,236,754	70,386,418
	Liquidated Damages		356,566,387	1,529,209,791
	Performance Guarantee		-	-
	Security Deposit & Earnest Money Deposit		72,699,403	66,147,405
	Other Deductions		19,491	19,491
	Warehouse Imprest		20,330	38,985
	Interest Payable to various Programmes		234,140,639	2,028,200,143
	CDSCO Interest Payable	8,217,997	-	-
	CHD Interest Payable	72,131	-	-
	FWP Interest Payable	4,081,649	-	-
	NACO Interest Payable	24,463,165	-	-
	NVBDCP Interest Payable	-	-	-
	NVHCP Interest Payable	1,798,122	-	-
	RNTCP Interest Payable	174,508,067	-	-
	UIP Interest Payable	-	-	-
	JICA Interest Payable	2,644,900	-	-
	PM Care Fund Interest Payable	17,383,088	-	-
	NTTL-Interest Payable	971,520		
	<b>TOTAL - A</b>		<b>9,932,268,429</b>	<b>22,812,499,725</b>
<b>B)</b>	<b>STATUTORY LIABILITIES</b>			
	TDS - IT - Payable		1,506,752	2,311,600
	TDS (IT)		-	-
	OUTPUT-IGST		4,508	
	RCM-IGST Payable		66,011	55,542
	RCM-CGST Payable		30,414	14,076
	RCM-SGST Payable		30,414	14,076
	<b>TOTAL-B</b>		<b>10,860,630.50</b>	<b>30,653,489</b>
<b>C)</b>	<b>PROVISIONS</b>			
	Audit Fee Payable		117,400	234,800
	Cab Hiring Charges		185,850	-
	Electricity Charges		-	152,121
	Leave Encashment Payable		2,833,140	2,133,682
	Gratuity Payable		3,475,878	4,571,831
	Telephone & Internet Expenses		24,696	24,696
	Manpower Outsource Charges		2,325,254	-
	Internal Audit Payable		112,100	112,100
	Data Hosting Charges (C-DAC Charges) Payable		4,970,452	6,422,347
	Warehouse Rent Payable		389,400	-
	Tender Advertising Charges Payable		342,588	-
	<b>TOTAL - C</b>		<b>14,776,758.31</b>	<b>13,651,577</b>
	<b>TOTAL (A+B+C)</b>		<b>9,957,905,818</b>	<b>22,856,804,791</b>

# CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001

(PAN AABAC6275F)

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2022

### SCHEDULE 8: FIXED ASSETS

(Amount in Rupees)

Description		GROSS BLOCK					DEPRECIATION				NET BLOCK		
		WDV as on 01-04-2021	Additions During the year for more than 180 days	Additions During the year for Less than 180 days	Deletion during the Year	Depreciation Rate	Depreciation Charged on Opening WDV	On Additions During the year for more than 180 days	On Additions During the year for Less than 180 days	On Deduction during the year	Total Depreciation	As at the Current year end	As at the Previous year end
A.	FIXED ASSETS												
1	BUILDING												
	Civil Renovation Work	5,276,047	-	-	-	10%	527,605.00	-	-	-	527,605.00	4,748,441.93	5,276,047
	Civil & Electrical Work (W/H)	19,671,823	-	-	-	10%	1,967,182.00	-	-	-	1,967,182.00	17,704,641.07	19,671,823
2	FURNITURE & FIXTURES												
	Centre Table	332,497	-	-	-	10%	33,250.00	-	-	-	33,250.00	299,247.27	332,497
	Chair (Plastic)	22,542	-	-	-	10%	2,254.00	-	-	-	2,254.00	20,287.88	22,542
	Chairs	911,092	23,124.00	92,960.00	-	10%	91,109.00	2,312.00	4,648.00	-	98,069.00	929,106.95	911,092
	Conference Table	120,757	-	-	-	10%	12,076.00	-	-	-	12,076.00	108,681.21	120,757
	Glass Boards	9,534	-	-	-	10%	953.00	-	-	-	953.00	8,581.05	9,534
	Pin up Boards	15,799	-	-	-	10%	1,580.00	-	-	-	1,580.00	14,218.68	15,799
	Notice Board	-	-	2,100.00	-	10%	-	-	105.00	-	105.00	1,995.00	-
	Sign Board Installation & Fittings	-	-	54,740.00	-	10%	-	-	2,737.00	-	2,737.00	52,003.00	-
	Side Table	162,856	-	-	-	10%	16,286.00	-	-	-	16,286.00	146,570.13	162,856
	Sofa Set	84,782	-	-	-	10%	8,478.00	-	-	-	8,478.00	76,303.85	84,782
	Steel Almirah	246,887	-	42,484.00	-	10%	24,689.00	-	2,124.00	-	26,813.00	262,557.79	246,887
	Steel Table	79,965	-	-	-	10%	7,996.00	-	-	-	7,996.00	71,968.81	79,965
	Table (Plastic)	1,278	-	-	-	10%	128.00	-	-	-	128.00	1,149.58	1,278
	Tender Box	1,076	-	-	-	10%	108.00	-	-	-	108.00	968.17	1,076
	Wooden Table	176,451	-	42,780.00	-	10%	17,645.00	-	2,139.00	-	19,784.00	199,447.12	176,451
	Warehouse Furniture	391,085	-	-	-	10%	39,108.00	-	-	-	39,108.00	351,976.77	391,085
	Wooden Almirah	8,424	-	24,890.00	-	10%	842.00	-	1,245.00	-	2,087.00	31,227.00	8,424
	Tables	15,927	-	-	-	10%	1,593.00	-	-	-	1,593.00	14,334.30	15,927
	White Board Presentation	29,736	-	-	-	10%	2,974.00	-	-	-	2,974.00	26,762.00	29,736
	Aluminium Partition	-	260,150.00	193,700.00	-	10%	-	26,015.00	9,685.00	-	35,700.00	418,150.00	-
	Modular Work Stations	-	388,768.00	113,380.00	-	10%	-	38,877.00	5,669.00	-	44,546.00	457,602.00	-
	Iron Pipe and Fittings	-	-	24,520.00	-	10%	-	-	1,226.00	-	1,226.00	23,294.00	-



	Stainless Steel Sink	-	-	12,750.00	-	10%	-	-	638.00	-	638.00	12,112.00	-
	Standing Partition Panel	-	-	363,340.00	-	10%	-	-	18,167.00	-	18,167.00	345,173.00	-
3	OFFICE EQUIPMENT												
	A.C. 1.5 (Inverter)	503,558	-	-	-	15%	-	75,534.00	-	-	75,534.00	428,023.94	503,558
	A.C. 2.0 (Inverter)	758,961	-	-	-	15%	-	113,844.00	-	-	113,844.00	645,116.85	758,961
	Air Conditioners	398,606	-	284,152.00	-	15%	-	59,791.00	-	21,311.00	81,102.00	601,656.35	398,606
	Angle Racks	45,445	-	-	-	15%	-	6,817.00	-	-	6,817.00	38,628.25	45,445
	Battery	217,090	165,600.00	-	-	15%	-	32,564.00	24,840.00	-	57,404.00	325,286.00	217,090
	LED TV	79,051	-	340,000.00	-	15%	-	11,858.00	-	25,500.00	37,358.00	381,692.78	79,051
	Split AC	151,746	-	-	-	15%	-	22,762.00	-	-	22,762.00	128,983.80	151,746
	EPBX Machine	74,918	-	-	-	15%	-	11,238.00	-	-	11,238.00	63,680.49	74,918
	Fax Machine	2,439	-	-	-	15%	-	366.00	-	-	366.00	2,073.40	2,439
	Filing System	52,763	-	-	-	15%	-	7,914.00	-	-	7,914.00	44,848.84	52,763
	Hot Case	1,073	-	-	-	15%	-	161.00	-	-	161.00	912.37	1,073
	Multimedia Projector	22,685	-	-	-	15%	-	3,403.00	-	-	3,403.00	19,281.79	22,685
	Photocopier	148,877	-	-	-	15%	-	22,332.00	-	-	22,332.00	126,544.75	148,877
	Projection Screen	1,501	-	-	-	15%	-	225.00	-	-	225.00	1,276.43	1,501
	Telephone Set	19,651	-	1,790.00	-	15%	-	2,948.00	-	134.00	3,082.00	18,359.01	19,651
	Water Cooler	6,379	-	-	-	15%	-	957.00	-	-	957.00	5,422.48	6,379
	Gy ser	2,209	-	-	-	15%	-	331.00	-	-	331.00	1,877.96	2,209
	Paper Shredding Machine	4,370	-	-	-	15%	-	656.00	-	-	656.00	3,714.03	4,370
	Refrigerator	51,072	-	-	-	15%	-	7,661.00	-	-	7,661.00	43,411.13	51,072
	Spiral Binding Machine	2,631	-	-	-	15%	-	395.00	-	-	395.00	2,236.00	2,631
	Biometric Machine	7,754	-	-	-	15%	-	1,163.00	-	-	1,163.00	6,590.94	7,754
	Oil Filled Room Heater	82,148	-	-	-	15%	-	12,322.00	-	-	12,322.00	69,825.64	82,148
	Room Heater	-	-	18,460.00	-	15%	-	-	-	1,385.00	1,385.00	17,075.00	-
	Fire Extinguisher	126,580	-	21,476.00	-	15%	-	18,987.00	-	1,611.00	20,598.00	127,457.83	126,580
	Air Purifier	30,630	24,989.00	-	-	15%	-	4,594.00	3,748.00	-	8,342.00	47,276.94	30,630
	Camera	243,235	-	-	-	15%	-	36,485.00	-	-	36,485.00	206,750.36	243,235
	CCTV Camera	51,987	-	-	-	15%	-	7,798.00	-	-	7,798.00	44,189.49	51,987
	Microwave Oven	12,501	-	-	-	15%	-	1,875.00	-	-	1,875.00	10,626.38	12,501
	Inverter-1	162,631	-	-	-	15%	-	24,395.00	-	-	24,395.00	138,235.50	162,631
	Shoe Shining Machine	6,373	-	-	-	15%	-	956.00	-	-	956.00	5,417.30	6,373
	Sony voice recorder	4,844	-	-	-	15%	-	727.00	-	-	727.00	4,117.15	4,844
	Techno Transparent Polymethyl Sheets	112,277	-	-	-	15%	-	16,842.00	-	-	16,842.00	95,435.35	112,277
	Water Dispenser	107,117	-	-	-	15%	-	16,068.00	-	-	16,068.00	91,049.00	107,117
	Oxygen Concentrators	55,250	-	-	-	15%	-	8,288.00	-	-	8,288.00	46,962.00	55,250
	Shelving Racks-1	133,918	-	-	-	15%	-	20,088.00	-	-	20,088.00	113,829.50	133,918
	Smart Television	-	235,520.00	-	-	15%	-	-	35,328.00	-	-	200,192.00	-
	Office Equipment	-	13,827.00	12,510.00	-	15%	-	-	938.00	-	-	23,325.00	-
	AO Smith 25L Water Heater	-	-	21,582.00	-	15%	-	-	1,619.00	-	-	19,963.00	-
	Kent RO Perk	-	-	111,388.00	-	15%	-	-	8,354.00	-	-	103,034.00	-
	Weighing Machine	-	-	24,013.00	-	15%	-	-	1,801.00	-	-	22,212.00	-



## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

### SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2023

#### SCHEDULE 9: INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rupees)

Particulars		2022-23	2021-22
1)	In Government Securities		
2)	Other Approved Securities	-	-
3)	Shares	-	-
4)	Debentures and Bonds	-	-
5)	Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6)	Other (to be specified)	-	-
TOTAL		-	-

#### SCHEDULE 10: INVESTMENTS - OTHERS

(Amount in Rupees)

Particulars		2022-23	2021-22
1)	In Government Securities		
2)	Other Approved Securities	-	-
3)	Shares	-	-
4)	Debentures and Bonds	-	-
5)	Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6)	Other- Term Deposit with SBI	-	-
TOTAL		-	-

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



# CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

## SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET As at 31st March' 2023

### SCHEDULE 11: CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES, ETC

(Amount in Rupees)

Particulars	2022-23		2021-22	
<b>A) CURRENT ASSETS</b>				
<b>1) Inventories :</b>				
a) Stores and Spares				
b) Loose Tools				
c) Stock in Trade				
Finished Goods		5,056,646,031		8,334,384,119
Child Health Programme - CHP	24,973,636		24,488,018	
Family Welfare Programme - FWP	293,325,208		149,063,307	
National Aids Control Programme - NACO	1,294,380,088		1,708,323,334	
National Vector Borne Disease Control Programme - NVBDCP	186,511,002		136,963,666	
National Vector Hepatitis Control Programme - NVHCP	95,398,814		338,060,114	
Revised National TB Control Programme - RNTCP	3,162,057,283		5,977,485,681	
Universal Immunization Programm - UIP	-		-	
Work in Progress				
Raw Material				
Stock of Stationary	240,705	240,705	189,225	189,225
<b>2) Sundry Debtors :</b>				
a) Debts outstanding for a period exceeding six months				
b) Others	-	-	-	-
<b>3) Cash Balance in Hand (Including Cheques/ Drafts and Imprest)</b>	-	-	-	-
<b>4) Bank Balance :</b>				
On Deposit Accounts	6,136,733,934		15,868,268,120	
On Saving Accounts				
SBI, Nirman Bhawan SB A/c No. 32719062216	72,801		146,345	
IDBI SB A/c No 0127104000022163	246,421		597,139	
SBI A/c No. 38019940410 (Bhopal W/H)	14,593		42	
SBI CHD, A/c No. 40049381344	100,508		150,000	
SBI FWP, A/c No. 39923834554	100,945		150,000	
SBI NACO, A/c No. 39924350550	2,077		150,000	
SBI NTEP, A/c No. 39924196110	126,317		150,000	
SBI, NVBDCP, A/c No. 39923991528	1,116,052		150,000	
SBI NVHCP, A/c No. 39923836801	102,355		150,000	
SBI PM CARES Fund A/c No. 39935538663	100,000		100,260	

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS





## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

	SBI UIP, A/c No. 39923801992	100,835		36,602	
	SBI PM CARES Fund A/c II No. 40161300626	100,000		712,267	
	CMSS ICICI ACC.028601001837	140,167,623			
	CMSS PNB A/C NO.0153000110128688	107,351			
		<b>6,279,191,813</b>	<b>6,279,191,813</b>	<b>15,870,760,775</b>	<b>15,870,760,775</b>
	b) With non-Scheduled Banks				
	On Current Accounts	-	-	-	-
	On Deposit Accounts	-	-	-	-
5)	Post Office - Saving Accounts				
	Less: Deductions during the year	-	-	-	-
	<b>TOTAL - A</b>		<b>11,336,078,549</b>		<b>24,205,334,119</b>
B)	<b>SUNDRY ASSETS &amp; LOANS &amp; ADVANCES AND OTHER ASSETS</b>				
	Advances and Other Amounts recoverable in cash or value to be received				
1	Security Deposits				
	a) MTNL Security	2,500	-	2,500	-
	b) Water Security	700	-	700	-
	c) LPG Gas Connection Security Deposit	6,707	-	6,707	-
	d) Telephone Security (Warehouse)	12,713		12,713	
		<b>22,620</b>		<b>22,620</b>	
2	Accrued Interest				
	a) Accrued interest on Savings Bank (SBI)	315,416	-	322,106	-
	b) Accrued Interest on Term Deposits	97,773,913	-	94,279,584	-
		<b>98,089,329</b>		<b>94,601,690</b>	
3	Advances Given				
	a) Staff Tour Advance	13,488	-	65,191	-
		<b>13,488</b>		<b>65,191</b>	
4	Other Current Assets				
	a) Recovery of Pay	-	-	-	-
	b) Income Tax Recoverable	104,943,130	-	126,605,398	-
	c) Warehouse Imprest	-	-	-	-
	d) Other Recoverables	-	-	149,956	-
	e) GST Electronic Cash Ledger	-	-	-814	-
	f) Lab Testing Funds - Recoverable	72,923,482	-	110,835,773	-
	g) Transportation Charges (Warehouse) - Recoverable	72,548,146	-	120,251,057	-
	h) Administrative Charges Recoverable	480,270,279	-	336,589,151	-
	i) PM Care ONGC Oxygen Concentrator Recoverable	-	-	5,035,304.00	-
	j) Funds Receivable from UIP	84,402,693			
	k) Funds Receivable from FWP	4,662,912			
	l) Gratuity Deposit with Court	728,101			
		<b>820,478,744</b>	<b>918,604,180</b>		<b>94,689,501</b>
	<b>TOTAL - B</b>	<b>918,604,180</b>	<b>918,604,180</b>	<b>94,689,501</b>	<b>794,155,326</b>
	<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>5,975,490,916</b>		<b>24,999,489,445</b>

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001

(PAN AABAC6275F)

### SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2023

#### SCHEDULE 12: INCOME FROM SERVICES

(Amount in Rupees)

Particulars		2022-23	2021-22
1)	<b>INCOME FROM SALES</b>		
	a) Sale of Finished Goods	-	-
	b) Sale of Raw Material	-	-
	c) Sale of Scraps	-	-
2)	<b>INCOME FROM SERVICES</b>		
	Administrative Charges for Procurement of NVBDCP	3,011,587	44,358,973
	Administrative Charges for Procurement of NVHCP	-	1,026,782
	Administrative Charges for Procurement of NTEP (RNTCP)	90,777,350	150,823,507
	Administrative Charges for Procurement of FWP	25,496,603	8,023,826
	Administrative Charges for Procurement of NACO	178,435,351	167,335,867
	Reversal of Administration Charges for Procurement of NACO	11,099,484	
	Administrative Charges for Procurement of UIP	-	107,460,165
	Administrative Charges for Procurement of CHD	-	4,127,556
	Administrative Charges-NTTL's	2,277,000	
	Administrative Charges for PM Cares ONGC	17,096,110	
	Administrative Charges for Procurement of PM CARES	-	58,708,806
	Administrative Charges for Procurement of Others	390,747	17,124,322.00
<b>TOTAL</b>		<b>306,385,264</b>	<b>430,607,372</b>

#### SCHEDULE 13: GRANTS/SUBSIDIES

(Amount in Rupees)

Particulars		2022-23	2021-22
<b>(Irrevocable Grants &amp; Subsidies Received)</b>			
1)	Central Government	-	-
2)	State Government	-	-
3)	Government Agencies	-	-
4)	Institutions/Welfare Bodies	-	-
5)	International Organisations	-	-
6)	Others (Specify)	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

### SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2023

#### SCHEDULE 14: FEES/SUBSCRIPTIONS

(Amount in Rupees)

Particulars		2022-23	2021-22
1)	Entry Fees		
2)	Annual Fees/Subscriptions	-	-
3)	Seminar/Programme Fees	-	-
4)	Consultancy/Coaching Fees	-	-
5)	Others (Specify)	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-

#### SCHEDULE: 15 INCOME FROM INVESTMENTS

(Amount in Rupees)

Particulars		Investment From Earmarked Funds		Investment- Others	
Income from Investments From Earmarked/ Endowment Transferred to Funds		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
1)	Interest				
	a) On Govt. Securities	-	-	-	-
	b) Other Funds/Debentures	-	-	-	-
2)	Dividends				
	a) On Shares	-	-	-	-
	b) On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
3)	Rents	-	-	-	-
4)	Others (Specify)- Term Deposits	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		-	-	-	-

#### SCHEDULE: 16 INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION, ETC.

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2022-23	2021-22
1)	Income from Royalty	-	-
2)	Income from Publications	-	-
3)	Tender Fee	-	-
4)	Security Forfeiture	-	30,000
5)	Other Receipts	128,423	35,239
6)	GST Interest of warehouses	-	2,346
7)	Prior period expenses reversal	3,195,222	84,851,917
8)	Interest Income on Income Tax Refund	5,714,160	6,253,510
9)	Rounding Off	4,008	-
<b>TOTAL</b>		<b>9,041,813</b>	<b>91,173,012</b>

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

### SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2023

#### SCHEDULE: 17 INTEREST EARNED

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		Investment From Earmarked Funds	
Income from Investments		2022-23	2021-22
1)	On Term Deposits :		
	a) With Scheduled Banks	409,368,959	438,278,308
	b) With Non-Scheduled Banks	-	-
	c) With Institutions	-	-
	d) Others	-	-
2)	On Savings Accounts :		
	a) With Scheduled Banks	27,092,657	40,051,482
	b) With Non-Scheduled Banks	-	-
	c) With Institutions	-	-
	d) Others	-	-
3)	On Loan		
	a) Employees/Staff	-	-
	b) Others	-	-
4)	Interest to be transferred to Programmes	-385,234,973	-428,146,316
5)	Interest on Debtors and Receivables	-	-
TOTAL		51,226,643	50,183,474

#### SCHEDULE 18: INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION, ETC.

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2022-23	2021-22
1)	Profit on Sales/Disposal of Assets		
	a) Owned Assets	-	-
	b) Assets acquired out of grants or received free of cost	-	-
2)	Export Incentives Realised	-	-
3)	Fees for Miscellaneous Services	-	-
4)	Miscellaneous Income	-	-
TOTAL		-	-

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS





## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001

(PAN AABAC6275F)

### SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2023

#### SCHEDULE 19: INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED

##### GOODS & WORK IN PROGRESS

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2022-23	2021-22
A)	Closing Stock		
	a) Finished Goods	5,056,646,031	8,334,384,119
	b) Work-in-Progress		
B)	Less: Opening Stock	8,334,384,119	6,225,916,467
	a) Finished Goods		
	b) Work-in-Progress		
NET INCREASE/(DECREASE) (A-B)		-3,277,738,088	2,108,467,652

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

### SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March'2023

#### SCHEDULE 20: ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2022-23	2021-22
a)	Salaries to OSD (Basic, DA & Gr. Pay)	6,088,245	3,720,861
b)	Pension Fund Contribution	-	-
c)	Leave Salary Contribution	-	-
d)	HRA Payout	-	-
e)	Medical Reimbursement	-	-
f)	News Paper Reimbursement	-	-
g)	Telephone Reimbursement	-	-
h)	LTC	-	-
i)	Salary Deputationists	-	-
	<b>Total</b>	<b>6,088,245</b>	<b>3,720,861</b>
b)	Emoluments to Others Personnels	27,117,933	27,439,890
c)	Administrative Expenses		
1	Advertisement expenses (Tender)	1,643,288	2,195,080
2	Annual Maintenance Contract- Printing and Photocopy	309,795	553,266
3	Audit Fee- CAG	386,990	117,400
4	Bank Charges	557	34,782
5	Books & Periodicals	59,987	36,250
6	Cab Hiring	2,673,149	1,861,424
7	Computer Repair & Maintenance	31,131	20,186
8	Corporate Videography Services	16,250	19,175
9	E-Aushadhi (C-DAC Data Hosting & Manpower Charges)	8,665,717	10,024,861
10	Electricity Charges (Warehouse)	738,991	2,088,841
11	Electricity & Water Charges	1,221,131	1,122,677
12	Food Charges	286,035	271,664
13	Honorarium	274,800	328,200
14	Hotel Charges	408,626	252,585
15	Interest on TDS	17,459	1,320
16	Late Fees on GST	-	-
17	Legal Expenses	1,132,982	316,167
18	Local Conveyance	654,437	814,543
19	Leave Encashment	960,032	571,365
20	Gratuity	-	2,200,366
21	Manpower Outsource (Warehouse)	30,806,946	22,996,876
22	Mineral Water Charges	65,555	25,700

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



PARTICULARS		2022-23	2021-22
23	Office Rent	37,463,092	31,381,614
24	Office Repair & Maint.	548,168	373,866
25	Other Office Expenses	-	-
26	Postage & Courier charges	393,811	1,677,895
27	Printing & Stationery	741,366	953,155
28	Professional Charges	15,930	356,850
29	Internal Audit Fees	112,100	112,100
30	Salaries (Warehouse Staff on Deputation)	-	-
31	Staff Welfare	463,940	111,896
32	Telephone & Internet Expenses	504,190	506,986
33	Transportation Charges	682,595	1,384,263
34	Travelling Expenses	999,594	386,582
35	Refreshment Expenses	308,660	204,730
36	Warehouse Rent	78,014,054	78,355,290
37	LPG Gas Charges	25,615	19,407
38	Workshop Expenses	-	64,000
39	JICS Project Expenses	-	171,567
40	Pantry Procurement Expenses	409,293	417,466
41	Warehouse Imperest	1,465,253	1,316,462
42	Installation Charges	-	-
43	Medicine Disposal Expense-Receipt A/c	-	-
44	Miscellaneous Exp.	5,250	8,341
45	Software Designing & Development Charges	-	-
46	Income Tax Paid	-	123,206
47	Other Advertisements	449,600	-
48	Prior Period Expenses	-	-
49	Short & Excess	-	1,052
<b>Total</b>		<b>206,162,547</b>	<b>194,940,207</b>

**SCHEDULE 21: OPERATIVE EXPENSES**

(Amount in Rupees)

S. No.	PARTICULARS	2022-23	2021-22
<b>OPERATIVE EXPENSES</b>			
1)	Labour Charges	-	-
2)	Transportation Charges (Warehouse)	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

**SCHEDULE 22: EXPENDITURE, GRANTS, SUBSIDIES ETC.**

(Amount in Rupees)

S. No.	PARTICULARS	2022-23	2021-22
1)	Grants given to Institutions/Organisations		
2)	Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

**SCHEDULE 23: INTEREST**

(Amount in Rupees)

S. No.	PARTICULARS	2022-23	2021-22
1)	On Fixed Loans		
2)	On Other Loans (Including Bank Charges)	-	-
3)	Others (Paid to Sports Ministry on Unutilised Grant)	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

### SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET As at 31st March'2023

#### SCHEDULE 24: PURCHASE OF GOODS (Amount in Rupees)

PARTICULARS		2022-23	2021-22
A)	National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP)	712,107,767	388,007,089
B)	Family Welfare Planning (FWP)	809,548,177	364,943,909
C)	National Tuberculosis Control Programme (NTEP)	6,705,673,853	10,300,645,796
D)	National AIDS Control Programme (NACO)	4,735,278,678	8,125,192,529
E)	National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	59,935,869	471,493,649
F)	Universal Immunisation Programme (UIP)	1,694,104,859	3,524,558,243
G)	Central Armed Police Forces (Assam Rifles, ITBP, SSB, BSF, CRPF, CISF)	-	-
H)	Central Drug Standard Control Organisation (CDSCO)	37,537,182	816,560
I)	Child Health Development (CHD)	62,642,219	111,298,043
J)	Medical Oxygen PSA Plant	-	1,000,764,320
K)	Oxygen Cylinder	-	890,517,680
L)	Prior Period Purchase	-	-
<b>Total</b>		<b>14,816,828,604</b>	<b>25,178,237,818</b>

#### SCHEDULE 25: COST OF GOODS TRANSFERRED TO PROGRAMME DIVISION (Amount in Rupees)

PARTICULARS		2022-23	2021-22
A)	National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP)	652,177,398	495,665,691
B)	Family Welfare Planning (FWP)	719,243,271	493,883,421
C)	National Tuberculosis Control Programme (NTEP)	9,539,004,260	7,517,243,303
D)	National AIDS Control Programme (NACO)	5,083,456,303	8,032,090,479
E)	National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	253,569,237	898,929,507
F)	Universal Immunisation Programme (UIP)	1,695,895,453	3,597,650,374
G)	Central Drug Standard Control Organisation (CDSCO)	37,989,142	816,560
H)	Child Health Programme (CHP)	61,721,145	135,904,807
I)	Medical Oxygen PSA Plant	-	1,000,764,320
J)	Oxygen Cylinder	-	890,517,680
<b>Total</b>		<b>18,043,056,208</b>	<b>23,063,466,142</b>

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS





## CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India  
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)  
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001  
(PAN AABAC6275F)

### SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET As at 31st March'2023

#### SCHEDULE 26: COST OF MEDICINE TRANSFERRED QC AND DISPOSAL. (Amount in Rupees)

PARTICULARS		2022-23	2021-22
A)	National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP)	165,654.44	11,116,201.39
B)	Family Welfare Planning (FWP)	7,926,034.30	9,494,526.20
C)	National Tuberculosis Control Programme (NTEP)	3,370,430.26	216,174.60
D)	National AIDS Control Programme (NACO)	9,619,916.23	8,957,511.06
E)	National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	633,094.18	-
F)	Child Health Programme (CHP)	10,941.86	-
Total		21,726,071.26	29,784,413.26

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## Notes to Accounts and Significant Accounting Policies in preparation of Financials for F.Y 2022-23

### 1. **Introduction**

Central Medical Services Society (CMSS) has been established with the approval of cabinet on 24.08.2011 as a central procurement agency (CPA) under the administrative control of Ministry of Health & Family Welfare of Govt. of India. CMSS was set up in 2012 registered under Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) for procurement of quality health sector goods and services required by Ministry of Health & Family Welfare, Government of India in a transparent and fair manner and make the health sector goods available at convenient locations for the benefit of the users by ensuring efficiency in the supply chain.

CMSS is under administrative control of Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India having registered office: Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110108, The society has its office at 2nd Floor of Vishwa Yuvak Kendra, Pandit Uma Shankar Dixit Marg, Teen Murti Marg, Chanakyapuri, New Delhi- 110021.

As per the mandate given by the cabinet, Central Medical Services Society is to act as a Central Procurement Agency (CPA) of Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India. Therefore, following major activities were performed by CMSS during the FY 2022-23.

Procurement, Storage and distributions of Medicines/drugs/medical devices for:

- a) Family Welfare Programme (FWP).
- b) National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP).
- c) National TB Elimination Programme (NTEP).
- d) National Aids Control Programme (NACP).
- e) National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP).
- f) Universal Immunisation Programme (UIP).
- g) Empanelment of Testing laboratories for quality testing of Medicines/drugs/medical devices and health sector goods.

### 2. **Statement of compliance**

The Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the law laid down in the respective applicable acts.

### 3. **Basis of preparation**

The Financial statements are prepared under the historical cost convention following accrual system of accounting except wherever stated otherwise.

### 4. **Procurement, Distribution & Closing Stock of Medicines and Medical Devices.**

During the year 2022-23, CMSS has procured medicines and medical devices worth Rs. 1482 Cr (approx.) on behalf of Programme Division and supplied material amounting to Rs. 1804 Cr (approx.) to respective Programme Divisions. CMSS having balance stock of Rs. 506 Cr (approx.) as on 31st March, 2023 lying in 18 warehouses of CMSS.

Value of goods purchased, goods transferred to program division and closing stock is shown in Income and Expenditure Account for presentation purpose only. The goods

were transferred to program division at the purchase price (includes all taxes & expenses). Therefore, it doesn't affect the revenue and expenditure of CMSS.

The closing stock of Rs. 506 Cr. (Approx) includes the expired medicine of Rs. 66.97 Cr. out of which Medicines worth of Rs. 45.97 Cr. was expired during the F.Y 2022-23. Further Medicine Expired amounting to Rs. 2.97 Cr. (approx.) was disposed off, during FY 2022-23 and the same doesn't form part of the closing stock.

Particulars	Amount
Op. Expiry Stock	23,62,66,807
Expiry Stock During FY 2022-23	45,97,41,922
Total Expiry	69,60,08,729
Disposal	-2,97,84,413
Net Expired Stock	66,62,24,316

#### 5. **Balance Sheet Items**

**Cash and Bank Balances as on 31st March, 2023**

**Cash Balance: Rs. Nil**

**Bank balances are as follows:**

Bank Name	Account No.	Balance as on 31.03.2023 (As per books of accounts)
SBI Saving Bank Account	32719062216	72,801.39
SBI A/c No. (Bhopal W/H)	38019940410	14,592.80
SBI CHD, A/c	40049381344	1,00,508.00
SBI FWP, A/c	39923834554	1,00,945.10
SBI NACO, A/c	39924350550	2,077.00
SBI NTEP, A/c	39924196110	1,26,317.00
SBI, NVBDCP, A/c	39923991528	11,16,052.00
SBI NVHCP, A/c	39923836801	1,02,355.00
SBI PM CARES Fund A/c	39935538663	1,00,000.10
SBI PM CARES II Fund A/c	40161300626	1,00,000.00
SBI UIP, A/c	39923801992	1,00,835.10
IDBI Saving Bank Account	0127104000022163	2,46,421.00
ICICI Bank (CNA A/c)	028601001837	14,01,67,623.00
Punjab National Bank	0153000110128688	1,07,351.33

#### 6. **Fixed Deposit**

The year end balances of Fixed Deposit made by the Society are summarized as below :-



Amount (Rs.)

S.No.	Bank Name	FDR No.	Balance as on 31.03.2023
1	IDBI BANK	0127105400106955	6,24,404.50
2	IDBI BANK	0127105400107792	9,02,190.00
3	IDBI BANK	0127105400107822	7,51,827.70
4	IDBI BANK	0127105000025726	25,03,262.00
5	IDBI BANK	04131060000061506	2,03,30,558.60
6	IDBI BANK	04131060000064284	1,99,00,000.00
<b>Total</b>			<b>4,50,12,242.80</b>

S.No.	Bank Name	FDR No.	Balance as on 31.03.2023
1	Punjab National Bank	15300PU00076221	4,14,99,332.00
<b>Total</b>			<b>4,14,99,332.00</b>

S.No.	Bank Name	FDR No.	Balance as on 31.03.2023
1	State Bank of India	39884255386	9,30,58,557.00
2	State Bank of India	41799275551	1,62,00,000.00
3	State Bank of India	37856902036	35,01,710.00
4	State Bank of India	38080701329	53,95,680.00
5	State Bank of India	38360039876	38,61,58,818.00
6	State Bank of India	38905890120	35,60,385.00
7	State Bank of India	38905891146	70,48,594.00
8	State Bank of India	38998361119	50,22,796.00
9	State Bank of India	39965775246	49,20,17,372.00
10	State Bank of India	40666918276	5,42,23,454.00
11	State Bank of India	40666924937	51,25,91,922.10
12	State Bank of India	40667049337	48,32,76,138.00
13	State Bank of India	41000613885	7,95,41,625.00
14	State Bank of India	40091585982	49,59,56,103.10
15	State Bank of India	40558225115	30,63,59,727.00
16	State Bank of India	40558225397	1,02,72,88,780.00
17	State Bank of India	40558225681	1,02,72,88,780.00
18	State Bank of India	40558225987	18,49,11,980.00
19	State Bank of India	40888153797	18,20,53,939.21
20	State Bank of India	41016635586	45,00,00,000.00
21	State Bank of India	41799388779	4,73,00,000.00



22	State Bank of India	41799391306	4,11,95,000.00
23	State Bank of India	41799392854	31,27,000.00
24	State Bank of India	41799394341	1,15,43,999.00
25	State Bank of India	41799504106	13,16,00,000.00
<b>Total</b>			<b>6,05,02,22,359.00</b>

**Note:** The Fixed deposit amounts mentioned above as on 31.03.2023 excludes Interest Accrued for Rs. 9,80,89,329/-

7. **Fixed Assets**

The CMSS has generally maintained proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of fixed assets (Property, Plant & Equipment's). Fixed assets register has been maintained by the CMSS.

8. **Deprecation**

Depreciation on the fixed assets has been charged on WDV basis at the rates prescribed under the Income Tax Act 1961.

9. **Inventory**

Inventories are valued on cost basis. All the details of Inventory maintained at 18 warehouses all over the country has been maintained in the software E-Aushadhi. The physical verification of Inventories have been done in phased manner for 6 warehouses during the FY 2022-23.

10. **TDS Reconciliation**

Particulars	2021-22
In Books of Account	3,54,24,361.60
In form 26AS	3,54,29,143.95
Difference	4,782.35

The Difference amount of TDS is due to the wrong filling of TDS return by the M/s. Corporate Channel in CMSS PAN instead of their party and further they have confirmed that they will revised the return..

11. **Employee Benefits**

Employee benefits include salaries, wages, gratuity, leave salary encashment towards un-availed earned leave, and other terminal benefits. As per the terms of employment of CMSS employees which are on roll of CMSS are eligible for Gratuity and Leave encashment, Provision for gratuity and leave encashment have been created during the F.Y. 2022-23.

A. Gratuity liability as on 31.03.2022 was calculated by taking into account the salary for the month of March' 22 and no. of days completed as on 31st March 2022 proportionately as per the following formulae: Gratuity Provision = (Monthly salary) \* No. of Years of Service\*15 / 26 and reduced by the provision already created as on 31.03.2021.

However, as advised in CAG Audit Report, the liability has been provided based on the Actuary valuation as on 31.03.2023. The liability as per the above mentioned process as on 31.03.2023 was Rs. 39,82,776/- and as per the Actuary valuation the

required liability as on 31.03.2023 is Rs. 34,75,877/-. Hence the differential amount of Rs. 5,06,899/- has been reversed and shown under the Prior period expense Reversal Head.

- B. The liability towards leave salary payable as on 31.03.2022 was calculated by taking into account the accrued earned leave as on 31st March 2022 restricting it to 10 days for every completed year of service and multiplying the same on the basis of per day salary based on the salary for the month of March 2022 and the Gross amount is reduced by the provision already created as on 31.03.2021.

However, as advised in CAG Audit Report, the liability has been provided based on the Actuary valuation as on 31.03.2023. The required liability as on 31.03.2023 as per the Actuary valuation is Rs. 28,33,140/-. And the same has been provided in the books of accounts for F.Y 2022-23.

## 12. **Transportation Charges**

Transportation Charges has been incurred by the CMSS for the movement of medicines and medical goods on behalf of various programmes from CMSS warehouse to Programme consignee locations. The same is shown as Current Assets as recoverable cost as on 31.03.2023 from various programmes as a reimbursement based on actual cost incurred.

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs.)
1.	Transportation charges receivable for 2022-23	7,25,48,146.15
<b>TOTAL</b>		<b>7,25,48,146.15</b>

## 13. **Revenue Recognition**

- (i) CMSS derives revenue mainly in the form of Administrative fee which is 3% / 1.9% fixed as per office Memorandum of MoH&FW for procurement of medicines and medical goods on behalf various programmes of MoH&FW.

Income from Administrative Charges is accounted on accrual basis on the basis of issue of LOA (Letter of Awards) or Purchase Orders for procurement of medicines and medical devices for the respective programmes. During the current FY 2022-23 Income from Administrative charges has been on accrual basis in compliance with the CAG Audit recommendation raised on administrative charges after Audit of CMSS Accounts for FY 2018-19:

Particulars	Amount (Rs.)
Administrative Charges Accrued During the FY (2022-23)	20,46,19,304.00

- (ii) Interest income is recognised on Savings and Fixed Deposits account kept with bank has been accounted for on accrual basis. Interest earned on fund received from various programmes for procurement of medicines has been shown as Interest refundable to programme under Current liabilities. Interest earned on the corpus and administration has been shown as income of CMSS.

Separate Bank Accounts have been opened for different Programmes. The total Interest earned and accrued as on 31st March 2023 has been allocated to different programmes after retaining interest earned on CMSS corpus amount based on the fund flow for each programme. As separate account has been opened for each of the regular programme



divisions the Interest earned is based on the Interest earned as on the FD's and balances linked with respective Bank accounts.

As fund received for one time procurement transaction, no separate bank A/c has been opened and the fund received has been kept in CMSS A/c, the interest accrued during the year has been calculated at the regular FD interest rate @ 3.2% per annum.

<b>Interest Allocation as on 31.03.2023</b>		
<b>Programmes</b>	<b>Fund balances</b>	<b>Interest Rate @ 3.2%</b>
JICA	5,10,12,500	16,32,400
JSR Oxygen Cylinder-II	2,68,52,958	8,59,295
Central Drug Standard Control Organization (CDSCO)	4,42,65,404	14,16,493
National Tobacco Testing Laboratories (NTTLs)	3,03,60,000	9,71,520

Interest income is recognised where the right to receive payment is established.

<b>Particulars</b>	<b>Amount (Rs.)</b>
Interest due to various Programmes for the current FY (2022-23)	23,41,40,639

\*The interest amount is inclusive of the interest allocated above table.

14. **Refund of Tax Deducted at Source during the FY 2022-23**

As per 26AS, following Income Tax are required to be refunded by the Income Tax department to the CMSS which are as follows:

(Amount in Rs.)

<b>Sl. No.</b>	<b>Financial Year</b>	<b>Income Tax to be refunded as on 31.03.2022</b>
1.	#2022-23	3,54,24,361.60
2.	*2021-22	5,40,60,348.00
3.	2017-18	76,04,300.00
4.	2015-16	33,57,730.00
5.	2014-15	43,91,270.00
6.	2013-14	1,05,120.00
	<b>Total</b>	10,49,43,129.60

\* Refund for F.Y. 2021-22 has been received on 03.05.2023.

# ITR for F.Y. 2022-23 is yet to be filed

15. **Court Cases:** As regards to the court cases, a contingent liability of Rs.7,28,101/- has been shown as the amount is deposited with the Chief Labour Commissioner Delhi (Gratuity) as a security against the ongoing court case for payment of Gratuity to Mr. Rajesh Bajaj, (Ex. GM Lsc).

S. No.	Forum / Court	Case	Brief of The Orders / Compliance
1	Labour Court	W.P.(C) 4565/2021 Rajesh Bajaj vs CMSS	1. On. 24.08.2022 the APPELLATE Authority did not hold the court. 2. On 23.11.2022 Rajesh Bajaj had filed a reply to our Appeal, which was handed over to us on the date of the hearing. The Gratuity Authority has granted time to file a rejoinder. The matter will now come up on 22.02.2023. 3. On 22.02.2023 The Ld. Commissioner was engaged in a conference, the matter did not get taken up. It has been adjourned to 05.07.2023.

No others court cases expected against CMSS as most of the cases are pertaining to Recovery of old payments, or Release of bank Guarantees and Revocation of Black listing etc. Refer cases table below:

S. No.	Forum / Court	Case	Brief of The Orders / Compliance
1.	Supreme Court of India	W.P. (C) No. 686/2022 Network of People Living with HIV/AIDS v. UOI & Ors.	1. On 12.09.2022 the notice was issued to the respondents. 2. ASG is representing all the respondents. 3. 22.10.2022 the matter was listed before the Registrar for completion of the pleadings. 4. 18.11.2022 In view of the letter circulated by the learned counsel on behalf of the petitioners for filing rejoinder affidavit, list the Special Leave Petition after three weeks.
2.	DHC	W.P.(C) 6929/2019 M/s Bharat Mineral & Chemical Industries Vs Union of India & Anr	1. Counter Affidavit filed by the respondent no. 2 with the condonation of delay application. 2. Application filed by the respondent seeking dismissal of the writ petition on the ground that petitioner has already undertaken before the MSEFC, Jaipur, not to press the present petition



			<p>3. Counter Affidavit for the application is filed by the petitioner.</p> <p>4. On 07.10.2022 the court heard the application seeking for dismissal. The court was apprised that an Arbitral Award had been rendered and a section 34 petition has been filed by CMSS challenging the said Arbitral Award. Further, in view of the blacklisting period having come to an end, the remaining issue in the writ petition is largely academic.</p> <p>However, the Court was of the view that as the Petitioner would have to declare his blacklisting in future tenders, the limited issue may be decided in the present writ petition.</p> <p>The Petitioner was directed to file the Arbitral Award before the Hon'ble Court, which was not on record. Accordingly, the matter has now been adjourned to 28.03.2023.</p> <p>5. On 28 .03.2023 After hearing some arguments, the Counsel for the Petitioner stated that he would have no objection to the petition being disposed of if it could be clarified that the blacklisting order passed would not be treated as a stigma on the Petitioner.</p> <p>The Court had directed that requisite instructions be sought in this regard. We request you to provide the same.</p> <p>The next date of hearing has been fixed as 19.07.2023.</p>
3.	DHC	<p>Arb.p. 1278/2022 Centurion Laboratories Pvt. Ltd Vs Centurion Laboratories Pvt. Ltd</p>	<p>1. Ms. Aakanksha Kaul, learned Standing Counsel appearing for the respondent on advance copy, accepts notice; and seeks time to file reply. Let reply to the petition be filed within 06 weeks; rejoinder thereto, if any, be filed within 04 weeks thereafter; with copies to the opposing counsel.</p> <p>2. The petitioner has filed the amendment application to the writ petition.</p> <p>3. Two weeks time granted to file the reply to the amendment.</p>

			<p>4. CMSS filed the reply to the Writ Petition and to the amendment application. The reply to the amendment application is under defect due to delay. The condonation of delay application needs to be filed before the NDOH.</p> <p>The condonation of delay application has been filed.</p> <p>5. The matter was listed before the court on 01.02.2023 and on the request of the petitioner the matter got adjourned to 10.03.2023.</p> <p>6. The matter was listed before the court on 10.03.2023 but due to Hon'ble judge was not holding the Court matter got adjourned to 06.04.2023</p> <p>7. The matter was listed before the court on 06.04.2023 but due to Hon'ble judge was not holding the Court matter got adjourned to 27.04.2023.</p> <p>8. The matter was disposed off as the petitioner withdrew the case and to send a proper arbitration invoking notice u/s 21 of the Arbitration and Conciliation Act.</p> <p>9. Vendor has sent an application to the purchaser u/s 21 of the Arbitration and Conciliation Act to appoint an arbitrator.</p> <p>10. Reply to the notice is under preparation.</p>
4	DHC	W.P.(C) 6769/2021 M/s Uttam Air Ltd. Vs. CMSS & Anr.	<p>1. CMSS blacklisted the petitioner for one year and asked the petitioner to submit the EMD amount of Rs. 5387480 on the ground that the petitioner not submitted the PBG amount to the respondent which was 5 – 10 % when the tender was opened but after that the Department of expenditure Ministry of Finance issued an OM for reduction in Performance Security existing 5-10% to 3%.</p>

			<p>2. Respondent no.1 submitted that in view of the recent guidelines issued by the Ministry of Finance on 02.11.2021, the impugned order will not come in the way of the petitioner in participating in any other tender floated by any party, except for the respondent.</p> <p>3. Pleadings are completed. Listed for final disposal. 16.11.2022 Petitioner did not come.</p> <p>4. 27.04.2023 the judge was not holding the court. Hence, the matter was adjourned to 05.10.2023.</p>
5.	Arbitration	<p>Arb. P 431 2021 M/s Centurion Laboratories, Division of Centurion Remedies P. Ltd. Vs. Central Medical Service Society</p>	<p>1. On 21.05.2022 CMSS filed an application under section 16 of the Arbitration and conciliation Act to reject the claim of the claimant as not maintainable.</p> <p>2. On 20. 07. 2022 order passed by the Arbitrator that the application under 16 is kept pending to be decided at the final stage after recording evidence.</p> <p>3. Statement of defence has been filed on 17.08.2022. Listed for Cross on 05.12.2022.</p> <p>4. On 05.12.2022 part cross examination of Shri Ambalal Patel was done. CE will be continued on 05.01.2023.</p> <p>5. 04.02.2023 the counsel of the OP was not available so the matter got adjourned to 25.02.2023.</p> <p>6. On 25.02.2023 the final CE was done and the arbitrator has asked the OP to file an application of Section 65 B and reply to the same to be filed by the CMSS. NDOH is 15.03.2023.</p> <p>7. The Claimant's application seeking to place on record Affidavits under Section 65B(4) of the Evidence Act of Mr. Ashok Kumar Aggarwal, Chartered Accountant and Mr. Rinkal patel, Accountant. Accordingly, Counsel drafted the reply of the same. Seeking approval of the same.</p>



			<p>8. On 15.03.2023 Matter got adjourned to 12.04.2023 as we took an extension to file the reply of the application under section 65 b. Extension of one week granted by the arbitrator to file the reply.</p> <p>9. Reply to the application under section 65 B has been filed.</p> <p>10. 12.04.2023 order was reserved against the Application U/s 65B (4) listed for 20.04.2023.</p> <p>11. On 20.04.2023 Application u/s 65 B (4) is allowed. The NDOH i.e. 16.05.2023 is fixed for cross examination of Accountant and Chartered Accountant.</p> <p>12. On 16.05.2023 Cross Examination of CW2 and CW3 is finished and discharged. The NDOH is fixed for the Cross Examination of our Witness AGM Sakshi Juneja.</p>
6.	Arbitration	Arb. M/S Rexion products India Vs. CMSS	<p>Arbitrators to be decided.</p> <p>They had proposed certain names, we objected to them. Now DIAC will propose the name.</p> <p>No intimation from DIAC yet, when last checked with DIAC, they said that they have neither deposited fee nor filed SOC so they can't proceed unless that's done.</p>
7.	Patiala Court	Case no. 6573/2019 State Vs. Ambalal Das Patel	<p>1. On 07.12.2022 NBW is issued against the three accused as they were not present at the time of hearing.</p> <p>2. Listed for Arguments.</p> <p>3. On 15.03.2023 the court held that further investigation is required in this matter.</p>
8.	MSEFC, Jaipur	RJ/02/RJS/01017  M/s Bharat Mineral & Chemical Industries Vs Union of India & Anr.	<p>1. Arbitral award has been passed by MSEFC on 12.11.2021. The same was challenged before the MSEFC by CMSS. CMSS filed an appeal under section 34 of the Arbitration &amp; Conciliation Act, 1996 challenging the Award of the MSEFC.</p> <p>2. Application filed by the BMCI under section 34(3) challenging that the application filed by the CMSS that it not under the limitation period.</p> <p>3. Reply is filed by the CMSS.</p>



			<p>4. Another Application filed by the BMCI under Section 19 of the MSME Act objecting as to the maintainability of the application for setting aside of award for no deposition of 75% of the awarded amount in the Court.</p> <p>75% of the award amount has been</p> <p>5. Listed for arguments on application filed by the BMCI.</p> <p>28.07.2022 Due to medical reasons, the Presiding Officer of the Commercial Court No. 1 was on leave. The next Court date in the matter is 27/08/2022.</p> <p>27.08.2022 The matter has been transferred from Commercial Court No. 1 where it was listed earlier, to Commercial Court No. 4.</p> <p>07.09.2022 it is to duly inform you that the next date in the matter is 22/09/2022. On the next date, the arguments on the two applications filed by BMCI shall take place before the Learned Commercial Court No.</p> <p>22.09.2022 The presiding Judge of the Learned Commercial Court No. 4 was on leave today and consequently, the Court was non-sitting.</p> <p>20.10.2022: the presiding officer was on half day and our matter didn't reach.</p> <p>24.11.2022. Due to strike in Jaipur the Court was non-sitting.</p> <p>22.02.2023 Due to strike in Jaipur the Court was non-sitting.</p> <p>24.03.2023 The matter was fiercely argued and one of the applications filed by the Respondent regarding the 75% pre-deposit has been disposed off. We have duly handed over the original Fixed Deposit Receipt (FDR) to the Learned Court on the directions of the Presiding Officer.</p> <p>The next date in the matter is 31/03/2023, on which the other application pertaining to limitation shall be heard by the Learned Court.</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>31.03.2023: The other party did not come the matter got adjourned to 06.04.2023.</p> <p>06.04.2023 the Presiding Officer of the Court being absent on the concerned Court date.</p>
9.	DHC	<p>W.P.(C) 1018/2023</p> <p>Radha Madhab Bandyopadhyay Vs. Central Medical Services Society (Cmss) And Others</p>	<p>1. The captioned matter was listed before the Hon'ble Delhi High Court on 27.02.2023 before HMJ Mini Pushkarna. We had apprised the court that the Petitioner was granted a hearing before a three member committee of CMSS and it was only after due consideration that his employment had been terminated. Additionally, that the Petitioner has been delinquent in performing the tasks and duties assigned to him. Further, the Court was also informed that he had falsely stated in his application that he had not been convicted previously by a court of law.</p> <p>2. The Hon'ble Judge has directed us to file the relevant documents with a counter-affidavit. The matter is now to come up on 12.05.2023.</p> <p>3. On 12.05.2023 Counsel submitted before the Hon'ble Court that the Counter affidavit has been filed but it is under objection. The Petitioner seeks time file a rejoinder. NDOH is 08.09.2023.</p>
10.	Arbitration Shimla	<p>Diagnocure Vs. CMSS</p>	<p>On 15.07.2022 notice was served to the CMSS for the non payment. Reply has been made against the notice dated 15.07.2022.</p> <p>1. On 05.09.2022 we submitted in the court that we have already paid a sum of Rs 1.82 Cr approx. to the supplier and only Rs.36Lacs approx amount is left to be paid, for which we have not received the invoices. The Council has asked us to bring the details of the payments made to the supplier like the transaction id or the UTR number etc. vide which the payments were made to the supplier on the next date of hearing. Since no one appeared on behalf of the supplier, the council has also said if they don't appear on the next date as well, they will drop the case.</p>

			<p>2. 05.12.2022 Order yet to come.</p> <p>3. File inspection in Shimla MSEFC. Arbitration initiated.</p> <p>4. On the First day of Arbitration i.e. 27.03.2023 the counsel for the Diagonocure will submit the Statement of claim and after that CMSS will submit their SOD within two weeks i.e. 10/04/2023. The next date of hearing will be decided after the submission of SOD.</p> <p>The Claimant submitted their SoC on 20.04.2023.</p> <p>We need to submit our SoD before NDOH i.e. 15.05.2023.</p> <p>On 15.05.2023 the SoD has been filed with an application to exempt us from appearing physically before the tribunal.</p>
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Previous Year's figures have been rearranged wherever considered necessary.
2. Excess administrative charges (3% instead of 1.9%) against demand no. CMSS/ FIN/048/2019-20/45 was provided for the Procurement for NACO during F.Y 2019-20. Now the same has been rectified in FY 2022-23.

**16. General Information-**

- (i) As per provisions of GFR, CMSS is regularly submitting periodical report on quarterly basis to MoH&FW for utilization of funds.
- (ii) CMSS has deducted liquidity damages (LD) on late delivery of goods of Rs. 33,93,10,855/- and on Lab Testing Charges of Rs. 23,15,636/- which has been shown as current liabilities as on 31.03.2023 as returnable to various programmes, After reconciliation of suppliers account and after completion of all supply against particular demands.
- (iii) There are at present 18 warehouses at various locations across the country to serve the needs of States and UTs. 15 warehouse space have been hired from Central Warehousing Corporation (CWC) and balance 3 warehouse from the private owners. The warehouses have been maintained suitably for storage of medicines.
- (iv) CMSS uses the customized software provided and maintained by C-DAC. All the transactions from issuing of Purchase Order, Receipt of goods, Issue of Goods for consumption and Medicines issued for Sampling/Testing are recorded in E-Aushadhi.
- (v) CMSS ensures compliance of specific Quality checks of all medicines purchased, the Quality Policy is in place. The aim of QA in Public Pharmaceutical Procurement / Supply System is to ensure that each medicine / product reaching to a patient is of desired quality. Apex level Govt. laboratories such as IPC, CDTL, NIMR, AIIMS, CIPET, EFRACL, EQDC, Arbro, Shri Ram, IIBAT and RMRIMS are empaneled for testing of samples.

(vi) The **Corpus Movement** is shown as follows:

<b>Particulars</b>	<b>Amount (Rs.)</b>
Balance Corpus Fund as on 31.03.2022	26,16,25,205
Balance General Fund as on 31.03.2022	1,94,36,62,942
Add/Less: Income transfer for the year 2022-23	15,19,61,479
Balance General Fund as on 31.03.2023	2,09,56,24,421
Balance Corpus Fund as on 31.03.2023	26,16,25,205

\*Interest on Corpus Rs. 1,67,41,920 (F.Y 2021-22 - Rs. 83,72,007 and F.Y 2022-23 - Rs. 83,69,913) is included in the Interest on General Fund A/c.





**कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)**  
Office of the Director General of Audit (Central Expenditure)  
डी जी ए सी आर भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002  
DGACR Building, Indraprastha Estate, New Delhi-110 002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.पि.से.स./2023-24/

दिनांक:

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,  
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, B-ब्लॉक,  
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023.

2599  
26/9/23  
21 SEP 2023  
SPEED POST

विषय : वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय / महोदया ,

मैं केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 2022-23 के प्रमाणित वार्षिक लेखों की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करती हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124 को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2022-23 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

अनुलग्नक, यथापरि

भवदीया,  
- हस्ता -  
(प्रोमी)  
उप - निदेशक (ए.एम.जी-IV)


✓ ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स./2023-24/313 दिनांक:

21 SEP 2023

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, श्री राजेश गुप्ता, महानिदेशक, केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था, द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग, घाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अद्योचित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124 को भेजी जाए।

अनुलग्नक: यथोपरि

  
(प्रो.जी.)

उप - निदेशक (ए.एम.जी-IV)

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स./2023-24 /

दिनांक:

केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित प्रधान निदेशक (स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124 को अद्योचित की जाती है।

यह पत्र महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय वयय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोपरि

- हस्ता -  
(प्रो.जी.)

उप - निदेशक (ए.एम.जी-IV)

## 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग ऑडिट रिपोर्ट

1. हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की धारा 20 (1) के तहत 31 मार्च 2023 तक केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) की संलग्न बैलेंस शीट, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और प्राप्तियाँ और भुगतान खाते का ऑडिट (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत किया है। ऑडिट को 2022-23 की अवधि तक सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण सीएमएसएस के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।

2. इस अलग लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भारत के महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा केवल लेखांकन उपचार के लिए वर्गीकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियामक) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ नियमितता) और दक्षता-योग-प्रदर्शन पहलू, आदि, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किए जाते हैं।

3. हमने अपना ऑडिट भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं या नहीं। ऑडिट में परीक्षण के आधार पर जांच करना, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल होता है। ऑडिट में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा ऑडिट हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारे ऑडिट के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
- ii) बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता और प्राप्तियाँ, इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित खातों के एक समान प्रारूप में तैयार किया गया है।
- iii) हमारी राय में, जहां तक ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है, सीएमएसएस द्वारा खातों की उचित पुस्तकें और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड बनाए रखे गए हैं।
- iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

### अ. तुलन पत्र

#### अ.1 संपत्ति

##### अ.1.1 वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम, आदि (अनुसूची -11) – 1225.47 करोड़ रुपये

अ.1.1.1 505.66 करोड़ रुपये की राशि को वर्तमान परिसंपत्तियों में स्टॉक इन ट्रेड के रूप में दिखाया गया है। इसमें 66.52 करोड़ रुपये की एक्सपायर्ड दवाओं का मूल्य (वर्ष 2022-23 के दौरान समाप्त हुई 45.97 करोड़ रुपये की दवाएं) शामिल हैं। चूंकि इन समाप्त हो चुकी दवाओं को आपूर्ति/बेची जाने वाली वस्तुओं के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसलिए इन्हें इन्वेंट्री से कम करना आवश्यक है। हालाँकि, स्टॉक से समाप्त हो चुकी दवा के मूल्य में कमी न करने के परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों का अधिक विवरण हुआ।

नुकसान की जिम्मेदारी तय नहीं है। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप वर्तमान परिसंपत्तियों में 66.62 करोड़



रुपये की अधिकता, सामान्य निधि में 20.65 करोड़ रुपये की अधिकता, व्यय में 45.97 करोड़ रुपये की कमी और वर्तमान देनदारी में 45.97 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसी तरह का अवलोकन (टिप्पणी संख्या अ 1 1.1) सीएमएसएस को वर्ष 2021-22 के लिए सीएमएसएस के खातों पर जारी किया गया था। हालाँकि, सीएमएसएस द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

## ब सामान्य

**ब.1** 2013-14 से 2017-18 और 2021-22 से 2022-23 की अवधि से संबंधित 10.49 करोड़ रुपये की टीडीएस राशि का रिफंड आयकर विभाग से बकाया है। आयकर विभाग से रिफंड प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है।

**ब.2** अनुसूची-8 (स्थिर संपत्ति) के अनुसार, सीएमएसएस ने 31 मार्च 2023 को 6.05 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति का खुलासा किया। सामान्य वित्तीय नियम 2017 के तहत फॉर्म जीएफआर -22 में बनाए रखने के लिए आवश्यक संपत्ति रजिस्टर सीएमएसएस द्वारा बनाए नहीं रखा गया था।

**ब.3** सीएमएसएस वर्तमान परिसंपत्तियों के तहत 62.57 करोड़ रुपये के विभिन्न बकाया/वसूली योग्य शुल्क दिखाता है। हालाँकि, इन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वर्षों तक आगे बढ़ाया जाता है।

(राशि करोड़ में)

अनुसूची - 11 (वर्तमान संपत्ति, ऋण, अग्रिम, आदि)	2019-20	2020 - 21	2021-22	2022-23
शीर्ष - वसूली योग्य प्रयोगशाला परीक्षण निधि		12.09	11.08	7.29
शीर्ष - परिवहन निधि	6.11	11.08	12.03	7.25
शीर्ष - प्रशासनिक निधि		55.36	33.66	48.03
<b>कुल</b>				<b>62.57</b>

सीएमएसएस इन बकाया राशियों की वसूली के लिए तत्काल कदम उठाएगा।

**ब.4** वर्ष 2021-22 के दौरान कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रकोप संकट से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए सीएमएसएस को कोविड-19 आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज से 5.00 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी। विशिष्ट उद्देश्य के लिए होने वाली निधि को निर्धारित/बंदोबस्ती निधि (अनुसूची-3) के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

## स. सहायता अनुदान

सीएमएसएस को वर्ष 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से 50.00 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान सहायता (गैर-आवर्ती) प्राप्त हुआ था और कोई और अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था। इस अनुदान में से, सीएमएसएस के पास 01.04.2022 को प्रारंभिक शेष राशि के रूप में 27.00 करोड़ रुपये थे और वर्ष 2022-23 के दौरान 1.67 करोड़ रुपये का ब्याज अर्जित किया। वर्ष के दौरान इस अनुदान से कोई व्यय नहीं किया गया, 31 मार्च 2023 तक 28.67 करोड़ रुपये की शेष राशि खर्च नहीं की गई।

## द. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को ऑडिट रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से सीएमएसएस प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता और प्राप्तियाँ और भुगतान खाता खातों की किताबों के अनुरूप हैं।



vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों और खातों में नोट्स के साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इस ऑडिट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन होते हैं। रिपोर्ट भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है।

ए. जहां तक यह 31 मार्च 2023 तक केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस)के मामलों की बैलेंस शीट से संबंधित है। और

बी. जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

भारत के सीएजी के लिए और उसकी ओर से।

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 20.09.2023

(राजीव कुमार पांडे)  
महानिदेशक लेखापरीक्षा  
(केन्द्रीय व्यय)

## अनुलग्नक

### 1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

सीएमएसएस में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग नहीं है। 2022-23 की अवधि के लिए सीएमएसएस का आंतरिक ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया गया था।

### 2. हाथ में नकदी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

हाथ में नकदी का भौतिक सत्यापन 31.03.2023 तक किया गया था।

### 3. परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन दिनांक 31.03.2023 तक किया गया।

### 4. सूची के भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

क) पुस्तकों और प्रकाशनों, स्टेशनरी आदि जैसी सूची का भौतिक सत्यापन अन्य उपभोज्य का संचालन 31.03.2023 तक किया गया।

ख) मार्च, 2023 तक छह वेयर हाउस (18 में से) के लिए चरणबद्ध तरीके से दवाओं (इन्वेंट्री) का भौतिक सत्यापन किया गया था।

### 5. वैधानिक बकाया के भुगतान में नियमितता

खातों के अनुसार, 31.03.2023 तक वैधानिक बकाया के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं था।



संख्या : ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स./2023-24/ 314

कार्यालय महानिदेशक  
लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय)  
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110 002  
Office of the Director General of Audit  
(Central Expenditure)  
Indraprastha Estate New Delhi - 110 002

प्रोमी

उप - निदेशक (ए.एम.जी-IV)

21 SEP 2023

दिनांक:

महोदय,

केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था के वर्ष 2022-23 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गई है तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र संख्या ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स./2023-24/ 313 दिनांक: 20/9/2023 को जारी किया गया है।  
लेखा परीक्षा के दौरान कुछ विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अतः इन विसंगतियों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है कि इन पर उचित सुधारात्मक कारवाई की जाये।

अनुलग्नक: यथोपरि

संलग्न

भवदीया,

प्रोमी

श्री राजेश गुप्ता,  
महानिदेशक,  
केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था,  
द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग,  
बाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

### 1. वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची -7) – 995.79 करोड़ रुपये

उपरोक्त में 4.70 लाख रुपये की राशि के देय लेकिन भुगतान न किए गए खर्चों की देनदारियां शामिल नहीं हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों और प्रावधानों के साथ-साथ व्यय को कम दिखाया गया है और पूंजीगत निधि को 4.70 लाख रुपये से अधिक बताया गया है। सीएमएसएस को लेखांकन की संचय प्रणाली का पालन करना चाहिए और चालू वर्ष से संबंधित व्यय/आय को खातों में शामिल किया जाना चाहिए।

फर्म का नाम	विवरण	माह/ वर्ष	राशि रुपये में
मेसर्स पेस प्रकाशन	फोटो कापियर बिल	फब/मार्च 2023	16289
मेसर्स पेस प्रकाशन	फोटो कापियर बिल	फब/मार्च 2023	15875
मैसर्स विजन सॉल्यूशन	लैपटॉप और आल ईन वन	मार्च, 2023	278525
एडवोकेट फीस	कानूनी शुल्क	जन., 2022 – मार्च, 2023	121079
एडवोकेट फीस	कानूनी शुल्क	मार्च, 2023	37865
कुल			469633

### 2. अचल संपत्ति (अनुसूची-8) – 6.05 करोड़ रुपये

सीएमएसएस ने वर्ष 2022-23 के दौरान 59,987 रुपये की किताबें और पत्रिकाएं खरीदी हैं। हालाँकि, इसे अचल संपत्तियों में शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों को कम बताया गया है और व्यय को भी उतनी ही राशि से अधिक बताया गया है।

3. सीएमएसएस वर्तमान देनदारियों के तहत 42.93 करोड़ रुपये की विभिन्न बकाया देनदारियों/देय शुल्कों को दर्शाता है। हालाँकि, इन्हें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार वर्षों से आगे बढ़ाया जा रहा है:

(राशि रुपये में)

अनुसूची - 7 (वर्तमान देनदारियां)	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
शीर्ष – परिनिर्धारण नुकसान	1.28 करोड़	14.31 करोड़	26.06 करोड़	63.18 करोड़	103.66 करोड़	152.92 करोड़	35.66 करोड़
शीर्ष – सुरक्षा जमा एवं ईएमडी	9.79 करोड़	7.23 करोड़	5.14 करोड़	2.39 करोड़	7.66 करोड़	6.61 करोड़	7.27 करोड़

सीएमएसएस इन बकाया राशियों की वापसी/समाधान के लिए तत्काल कदम उठाएगा।

4. खातों में नोट्स के बिंदु संख्या 10 (टीडीएस समाधान) के अनुसार खाता बही के अनुसार टीडीएस 3,54,24,361.60 रुपये है और फॉर्म 26 एस के अनुसार 3,54,29,143.95 रुपये है। इस प्रकार, 4782.35 रुपये के अंतर को सही करने की जरूरत है।

5. अचल संपत्ति (अनुसूची-8) को गलत शीर्षक दिया गया है, 31 मार्च 2022 जबकि यह 31 मार्च 2023 होना चाहिए। इसे सुधारने की जरूरत है।

6. वाऊचर दो प्रतियों में तैयार नहीं किये गये हैं।



## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)  
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2023 तक

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	2022-23	2021-22
<b>कोष एवं देयताएं</b>			
समग्र निधि	1	261,625,205	261,625,205
सामान्य निधि	1	2,095,624,422	1,943,662,942
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	9,957,905,818	22,856,804,791
<b>कुल</b>		<b>12,315,155,445</b>	<b>25,062,092,938</b>
<b>आस्तियाँ</b>			
स्थायी संपत्तियाँ	8	60,472,716	62,603,493
निवेश- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश- अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम आदि।	11	12,254,682,729	24,999,489,445
विविध व्यय		-	-
(उस सीमा तक जिसे बड़े खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
<b>कुल</b>		<b>12,315,155,445</b>	<b>25,062,092,938</b>
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न हिस्सा बनाती हैं			
सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न			

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)  
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2023 तक

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	2022-23	2021-22
<b>आय</b>			
बिक्री / सेवाओं से आय	12	306,385,264	430,607,372
एनवीबीडीसीपी को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	652,177,398	495,665,691
एफडब्ल्यूपी को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	719,243,271	493,883,421
एनटीईपी (आरएनटीसीपी) को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	9,539,004,260	7,517,243,303
एनएसीओ को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	5,083,456,303	8,032,090,479
एनवीएचसीपी को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	253,569,237	898,929,507
यूआईपी को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	1,695,895,453	3,597,650,374
सीडीएससीओ को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	37,989,142	816,560
सीएचडी को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	61,721,145	135,904,807
पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	-	1,000,764,320
जेएसआर ऑक्सीजन सिलिंडरों को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	-	890,517,680
परीक्षण के लिए हस्तांतरित माल का मूल्य और कालातीत दवा का निपटान	26	51,510,485	-
अनुदान / अनुवृत्ति	13	-	-
शुल्क / सदस्यता	14	-	-
निवेश से आय	15	-	-
अधिशुल्क, प्रकाशन आदि से आय	18	-	-
अर्जित ब्याज	17	51,226,643	50,183,474
अन्य आय	16	9,041,813	91,173,012
<b>तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / कमी और कार्य-प्रगति</b>	19	-3,277,738,088	2,108,467,652
<b>कुल - ए</b>		<b>15,183,482,325</b>	<b>25,743,897,652</b>
<b>व्यय</b>			
एनवीबीडीसीपी की ओर से माल की खरीद	24	712,107,767	388,007,089
परिवार नियोजन विभाग (एफ डब्ल्यू पी) की ओर से माल की खरीद	24	809,548,177	364,943,909
एनटीईपी (आरएनटीसीपी) की ओर से माल की खरीद	24	6,705,673,853	10,300,645,796
एन ए सी ओ की ओर से माल की खरीद	24	4,735,278,678	8,125,192,529
एनवीएचसीपी की ओर से माल की खरीद	24	59,935,869	471,493,649
यूआईपी की ओर से सामान की खरीद	24	1,694,104,859	3,524,558,243
सीडीएससीओ की ओर से माल की खरीद	24	37,537,182	816,560
सीएचडी की ओर से माल की खरीद	24	62,642,219	111,298,043
पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की ओर से माल की खरीद	24	-	1,000,764,320
जेएसआर ऑक्सीजन सिलिंडरों की ओर से माल की खरीद	24	-	890,517,680
पूर्व अवधि खरीद	24	-	-
स्थापना और प्रशासनिक व्यय	20	206,162,547	194,940,207
परिचालन व्यय	21	-	-
अनुदान, अनुवृत्ति आदि पर व्यय	22	-	-
व्याज खर्च	23	-	-
<b>मूल्यहास (अनुसूची 8 के अनुरूप)</b>	8	<b>8,529,694</b>	<b>8,594,094</b>
<b>कुल - बी</b>		<b>151,961,480</b>	<b>362,125,533</b>

## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)  
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

प्राप्ति और भुगतान खाता

31 मार्च 2023 तक

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	2022-23	2021-22	भुगतान	2022-23	2021-22
I- प्रारंभिक शेष राशि			I- स्थापना और प्रशासनिक व्यय	190,294,265	182,422,604
ए) हाथ में नकद	-	8,341	II- परिवहन भुगतान	32,426,388	34,477,914
बी) बैंक बैलेंस			III- परीक्षण व्यय	34,058,132	51,118,578
एसबीआई, निर्माण भवन एसबी खाता संख्या 32719062216	146,344	1,592,487,556	IV- निवेश- एफडीआर बनाएं	-	20,233,418,644
आईडीबीआई एसबी खाता संख्या 0127104000022163	597,139	579,603	V- ईएमडी/एसडी और निष्पादन गारंटी वापस की गई	27,692,735	40,824,077
एसबीआई खाता संख्या 38019940410 (भोपाल डब्ल्यूएच)	42	16,565	VI- कार्यक्रम के लिए धनवा. पसी (एफडीआर ब्याज)	3,236,139,612	607,138,365
एसबीआई सीएचडी, खाता संख्या 40049381344	150,000	45,587,134	VII- कर एवं शुल्क	302,733,887	484,730,671
एसबीआई एफडब्ल्यूपी, खाता संख्या 39923834554	150,000	1,800,287	VIII- अचल आस्तियां खरीदी/पूंजीकृत	6,246,564	8,323,333
एसबीआई नाको, खाता संख्या 39924350550	150,000	8,031,748	IX- दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए भुगतान	14,462,014,158	23,257,301,303
एसबीआई एनटीईपी, खाता संख्या 39924196110	150,000	1,403,342	X- दूर एडवांस	2,302,773	3,061,946
एसबीआई, एनवीबीडीसीपी, खाता संख्या 39923991528	150,000	142,198,587	पीएम केयर-2 रेमिटेंस (एचआईटीईएस एंड डीईबीईएल)	-	5,884,751,674
एसबीआई एनवीएचसीपी, खाता संख्या 39923836801	150,000	168,350			
एसबीआई पीएम केयर्स फंड खाता संख्या 39935538863	100,260	18,536,214			
एसबीआई यूआईपी, खाता संख्या 39923801992	36,602	23,918,937			
एसबीआई पीएम केयर्स-2 फंड एड्रेसी नंबर 40161300626	712,267	-			
एफडी बैलेंस					
एफडीआर बनाया गया	15,868,268,120				
II- प्राप्त ब्याज					
अवधि जमा	278,769,549	-			
बचत बैंक खाता	26,982,496	41,844,026			

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)  
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पैन AABAC6275F)

31 मार्च 2023 तक

III-	अन्य प्राप्तियाँ			एफडीआर बैलेंस		
	स्क्रैप बिक्री और विविध प्राप्तियाँ	-	-	एफडीआर निवेश- समापन शेष राशि	6,136,733,934	-
	एफडीआर/पलेवसी नकदीकरण	-	28,475,045,938			
	निष्पादन/सुरक्षा जमा	57,086,630	83,471,950	XI- समापन शेष		
	अन्य प्राप्तियाँ	7,061,874	14,856,678			
IV-	बचत राशि जमा	40,535,669	3,219,228	क) हाथ में नकदी	-	-
V-	कार्यक्रम से खरीद निधि			ख) बैंक बैलेंस		
	सीआरपीएफ	21,162,060	10,831,424	एसबीआई, निर्माण भवन एसबी ए/सी नंबर 32719082216	72,801	146,344
	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)	313,406,683	517,406,282	आईडीबीआई एसबी ए/सी नंबर 0127104000022163	246,421	597,139
	परिवार नियोजन विभाग (एफडब्ल्यूपी)	598,716,294	105,974,336	एसबीआई ए/सी नंबर 38019940410 (भोपाल डब्ल्यू/एच)	14,593	43
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीओ)	4,696,881,946	3,356,462,111	एसबीआई सीएचडी, ए/सी नंबर 40049381344	100,508	150,000
	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (आरएनटीसीपी)	1,484,968,442	5,931,004,209	एसबीआई एफडब्ल्यूपी, ए/सी नंबर 39923834554	100,945	150,000
	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	10,678,532	515,275,050	एसबीआई नाको, ए/सी नंबर 39924350550	2,077	150,000
	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	1,057,132,730	2,742,742,092	एसबीआई एनटीईपी, ए/सी नंबर 39924196110	126,317	150,000
	बाल स्वास्थ्य विकास (सीएचडी)	57,785,791	94,987,640	एसबीआई, एनवीबीडीसीपी, ए/सी नंबर 39923991528	1,116,052	150,000
	जेएसआर - ऑक्सीजन सिलेंडर	-	933,814,648	एसबीआई एनवीएचसीपी, खाता नंबर 39923838801	102,355	150,000
	पीएम केयर्स फंड-II	-	6,078,280,000	एसबीआई पीएम केयर्स फंड ए/सी नंबर 39935538883	100,000	100,260
	जेआईसीए	-	50,000,000	एसबीआई यूआईपी, ए/सी नंबर 39923801992	100,835	36,602
	एफडब्ल्यूपी (ईपीडब्ल्यू) थर्मामीटर	-	109,489	एसबीआई पीएम केयर्स-2 फंड ए/सी नंबर 40161300826	100,000	712,267.00
	राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशालाएं (एनटीटीएल)	31,252,584	-	सीएमएसएस आईसीआईसीआई एसीसी. 028601001837	140,167,623	-
	पीएम केयर- ओएनजीसी ए/सी	19,918,272	-	सीएमएसएस पीएनबी ए/सी नं	107,351	
	कुल	24,573,100,327	50,790,061,765	कुल	24,573,100,327	50,790,061,765

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS





## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां  
31 मार्च 2023 तक

### अनुसूची 1 : समग्र/सामान्य निधि

(राशि रुपये में)

विवरण	2022-23	2021-22
ए. समग्र निधि	261,625,205	261,625,205
बी. सामान्य निधि	1,943,662,942	1,581,537,409
सी. जोड़ें: आय और व्यय खाते का शुद्ध शेष (उपरोक्त प्रारंभिक अनुदान बी पर ब्याज को छोड़कर)	151,961,480	362,125,533
वर्ष के अंत में शेष राशि	2,357,249,627	2,205,288,147

### अनुसूची 2 : भंडार और अधिशेष

(राशि रुपये में)

विवरण	2022-23	2021-22
1) पूँजी आरक्षित		
पिछले खाते के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—
कम: वर्ष के दौरान कटौती	—	—
2) पुनर्गूल्यांकन आरक्षित		
पिछले खाते के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—
कम: वर्ष के दौरान कटौती	—	—
3) विशेष रिजर्व		
पिछले खाते के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—
कम: वर्ष के दौरान कटौती	—	—
4) जनरल रिजर्व		
पिछले खाते के अनुसार	—	—
वर्ष के दौरान वृद्धि	—	—
कम: वर्ष के दौरान कटौती	—	—
कुल	—	—

DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2023 तक

### अनुसूची 3 : निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

(राशि रुपये में)

विवरण		निधि आधारित विवरण				कुल	
		एककालिक अनुदान	निधि XX	निधि YY	निधि ZZ	2022-23	2021-22
अ)	निधियों का प्रारंभिक शेष	-					
ब)	निधियों में वृद्धि						
i)	दान/अनुदान	-	-	-	-	-	
ii)	निधियों के कारण किए गए निवेश से आय						
iii)	अन्य जोड़/कटौती (आय और व्यय से हस्तांतरित अधिशेष/घाटा)	-	-	-	-	-	-
	कुल (ए. बी)	-	-	-	-	-	-
स)	निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय						
i)	पूँजीगत व्यय						
	अचल सम्पत्ति	-	-	-	-	-	-
	अन्य	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-
ii)	राजस्व व्यय						
	वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
	किराया	-	-	-	-	-	-
	अन्य प्रशासनिक खर्च	-	-	-	-	-	-
	कुल सी						
	वर्ष के अंत में निवल शेष (ए+बी+सी)	-	-	-	-	-	-

### अनुसूची 4 : सुरक्षित ऋण और उधार

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
1.	केन्द्रीय सरकार	-	-
2.	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3.	वित्तीय संस्थान		
	क) सावधि ऋण	-	-
	ख) ब्याज अर्जित और देय	-	-
4.	बैंक		
	क) सावधि ऋण	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
5.	अन्य संस्थान और एजेंसियाँ	-	-
6.	डिबेंचर और बांड	-	-
	कुल	-	-

## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां  
31 मार्च 2023 तक

### अनुसूची 5 : असुरक्षित ऋण और उधार

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
1.	केन्द्रीय सरकार	-	-
2.	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3.	वित्तीय संस्थानों		
	क) सावधि ऋण	-	-
	ख) ब्याज अर्जित और देय	-	-
4.	बैंक		
	क) सावधि ऋण	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
5.	अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6.	डिबेंचर और बांड	-	-
7.	सावधि जमा	-	-
8.	अन्य निर्दिष्ट)	-	-
कुल अन्य		-	-

### अनुसूची 6 : आस्थगित ऋण देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
1.	पूजी उपकरण और अन्य संपत्तियों के दृष्टिबंधक द्वारा सुरक्षित स्वीकृति	-	-
2.	अन्य (विद्युत और सिविल कार्य की सुरक्षा जमा)	-	-
कुल		-	-

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2023 तक

### अनुसूची 7 : वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(राशि रुपये में)

	विवरण	2022-23	2021-22
अ)	वर्तमान देनदारियां		
1)	विविध लेनदार		
	क) माल के लिए	1,914,472,080	2,081,219,143
	ख) अन्य के लिए	528,613	1,567,845
2)	कार्यक्रमों से प्राप्त अग्रिम		
	क) सीडीएससीओ	37,463,901	75,453,043
	ख) एफडब्ल्यूपी	-	125,596,087
	ग) एनएसीओ	1,258,725,635	2,569,020,927
	घ) एनवीबीडीसीपी	12,977,368	159,599,133
	च) एनवीएचसीपी	189,240,289	433,174,801
	छ) पीएओ सीआरपीएफ	-	10,526,165
	ज) आरएनटीसीपी	5,112,943,592	12,476,242,473
	झ) यूआईपी	-	481,246,941
	ट) सीएचडी	38,399,787	46,940,364
	ठ) जेएसआर ऑक्सीजन सिलेंडर	221,361,346.63	15,997,323
	ड) पीएम केयर्स फंड	524,946,370	536,416,590
	ढ) पीएम केयर्स फंड II	55,391,657	55,391,657
	ण) जेआईसीए	50,000,000	50,000,000
	त) एमओएचएडएफडब्ल्यू धर्मांतर	-	105,000
	थ) राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशालाएं (एनटीटीएल)	30,360,000	
3)	अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:		
	क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	-
	ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	-
4)	सांविधिक देयताएं :		
	क) अतिदेय	-	-
	ख) अन्य	-	-
5)	अन्य वर्तमान देनदारियां		
	बयाना राशि जमा-आईपी	-	-
	बयाना राशि जमा-अन्य	-	-
	सुरक्षा जमा (सिविल और विद्युत कार्य)	-	-
	परिसमापन नुकसान-खरीद	-	-
	लिविडेटेड डैमेज-लैब टेस्टिंग	-	-
	नमूनाकरण और परीक्षण अग्रिम	21,236,754	70,386,418
	परिसमापन हर्जाना	356,566,387	1,529,209,791

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS





## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2023 तक

	प्रदर्शन गारंटी		-	-
	सुरक्षा जमा और बयाना राशि जमा		72,699,403	66,147,405
	अन्य कटौती		19,491	19,491
	गोदाम अग्रदाय		20,330	38,985
	विभिन्न कार्यक्रमों के लिए देय ब्याज		234,140,639	2,028,200,143
	सीडीएससीओ ब्याज देय	8,217,997	-	-
	सीएचडी ब्याज देय	72,131	-	-
	एफडब्ल्यूपी ब्याज देय	4,081,649	-	-
	नाको देय ब्याज	24,463,165	-	-
	एनवीबीडीसीपी ब्याज देय	-	-	-
	एनवीएचसीपी ब्याज देय	1,798,122	-	-
	आरएनटीसीपी ब्याज देय	174,508,067	-	-
	ऑक्सीजन सिलेंडर ब्याज देय	-	-	-
	यूआईपी ब्याज देय	2,644,900	-	-
	जेआईसीए ब्याज देय	17,383,088	-	-
	पीएम केयर फंड ब्याज देय	971,520		
	<b>कुल - ए</b>		<b>9,932,268,429</b>	<b>22,812,499,725</b>
ब )	वैधानिक दायित्व			
	टीडीएस - आईटी - देय		1,506,752	2,311,600
	टीडीएस (आईटी)		-	-
	आउटपुट - आईजीएसटी		4,508	
	आरसीएम-आईजीएसटी देय		66,011	55,542
	आरसीएम-सीजीएसटी देय		30,414	14,076
	आरसीएम-एसजीएसटी देय		30,414	14,076
	जीएसटी टीडीएस-देय		9,222,533	28,258,195
	<b>कुल-बी</b>		<b>10,860,631</b>	<b>30,653,489</b>
स)	प्रावधान			
	लेखापरीक्षा शुल्क		117,400	234,800
	कैब किराए पर लेने का शुल्क		185,850	-
	विद्युत शुल्क		-	152,121
	अवकाश नकदीकरण देय		2,833,140	2,133,682
	ग्रेच्युटी देय		3,475,878	4,571,831
	टेलीफोन और इंटरनेट व्यय		24,696	24,696
	जनशक्ति आउटसोर्स शुल्क		2,325,254	-
	आंतरिक लेखापरीक्षा देय		112,100	112,100
	डेटा होस्टिंग शुल्क (सी-डैक शुल्क) देय		4,970,452	6,422,347
	गोदाम किराया देय		389,400	-
	निविदा विज्ञापन शुल्क देय		342,588	-
	<b>कुल - सी</b>		<b>14,044,770</b>	<b>13,651,577</b>
	<b>कुल (ए+बी+सी)</b>		<b>9,957,173,830</b>	<b>22,856,804,791</b>

## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1980 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)  
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2023 तक

अनुसूची 8 : अवल संपत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण	सकल ब्लॉक		वर्ष के दौरान हटाना	मूल्यदास दर	मूल्यदास		वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए	वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए	वर्ष के दौरान पर कटौती	कुल मूल्यदास	कुल वर्ष के अंत तक	फिक्स्ड वर्ष के अंत की तरह
	डब्ल्यूडीपी 01-04/2019 के अनुसार	इसके अलावा वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए	इसके अलावा वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए		डब्ल्यूडीपी खोलने पर लगने वाला मूल्यदास	वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए						
<b>A- अवल संपत्तियां</b>												
<b>1 इमारत</b>												
सिविल नवीकरण कार्य	5,276,047	-	-	10%	527,605.00	-	-	-	-	527,605.00	4,748,441.93	5,276,047
सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्य (डब्ल्यू/एच)	19,671,823	-	-	10%	1,967,182.00	-	-	-	-	1,967,182.00	17,704,641.07	19,671,823
<b>2 सामान तथा जोड़ा गया उपकरण</b>												
सेक्टर टेबल	332,497	-	-	10%	33,250.00	-	-	-	-	33,250.00	299,247.27	332,497
कुर्सी (स्वस्तिक)	22,542	-	-	10%	2,254.00	-	-	-	-	2,254.00	20,287.88	22,542
कुर्सेयां	911,092	23,124.00	92,960.00	10%	91,109.00	2,312.00	4,648.00	-	-	98,069.00	929,106.95	911,092
सम्मेलन मेज	120,757	-	-	10%	12,076.00	-	-	-	-	12,076.00	108,681.21	120,757
ग्लास बोर्ड	9,534	-	-	10%	953.00	-	-	-	-	953.00	8,581.05	9,534
चिन अप बोर्ड	15,799	-	-	10%	1,580.00	-	-	-	-	1,580.00	14,218.68	15,799
सूचना बोर्ड	-	-	2,100.00	10%	-	-	105.00	-	-	105.00	1,995.00	-
साइन बोर्ड स्थापना और फिटिंग	-	-	54,740.00	10%	-	-	2,737.00	-	-	2,737.00	52,003.00	-
साइड मेज	162,856	-	-	10%	16,286.00	-	-	-	-	16,286.00	146,570.13	162,856
सोफा सेट	84,782	-	-	10%	8,478.00	-	-	-	-	8,478.00	76,303.85	84,782
स्टील अलमारी	246,887	-	42,484.00	10%	24,689.00	-	2,124.00	-	-	26,813.00	262,557.79	246,887
स्टील टेबल	79,965	-	-	10%	7,996.00	-	-	-	-	7,996.00	71,968.81	79,965
टेबल (स्वस्तिक)	1,278	-	-	10%	128.00	-	-	-	-	128.00	1,149.58	1,278
टेडर बोक्स	1,076	-	-	10%	108.00	-	-	-	-	108.00	968.17	1,076
लकड़ी की मेज	176,451	-	42,780.00	10%	17,645.00	-	2,139.00	-	-	19,784.00	199,447.12	176,451
गोदाम के लिए फर्नीचर	391,085	-	-	10%	39,108.00	-	-	-	-	39,108.00	351,976.77	391,085
लकड़ी की अलमारी	8,424	-	24,890.00	10%	842.00	-	1,245.00	-	-	2,087.00	31,227.00	8,424
टेबल	15,927	-	-	10%	1,593.00	-	-	-	-	1,593.00	14,334.30	15,927
व्हाइट बोर्ड	29,736	-	-	10%	2,974.00	-	-	-	-	2,974.00	26,762.00	29,736
एल्यूमीनियम विभाजन	-	260,150.00	193,700.00	10%	-	26,015.00	9,685.00	-	-	35,700.00	418,150.00	-
मॉड्यूलर वर्क स्टेशन	-	388,768.00	113,380.00	10%	-	38,877.00	5,669.00	-	-	44,546.00	457,602.00	-

	बोर्ड के पाइप और फिटिंग	-	-	24,520.00	-	10%	-	-	-	1,226.00	-	1,226.00	23,294.00	-
	स्टेनलेस स्टील सिक	-	-	12,750.00	-	10%	-	-	-	638.00	-	638.00	12,112.00	-
	स्थायी विभाजन पैनल	-	-	363,340.00	-	10%	-	-	-	18,167.00	-	18,167.00	345,173.00	-
<b>3</b>	<b>दफ्तर के उपकरण</b>													
	एसी 1.5 (इन्वर्टर)	503,558	-	-	-	15%	-	75,534.00	-	-	-	75,534.00	428,023.94	503,558
	एसी 2.0 (इन्वर्टर)	758,961	-	-	-	15%	-	113,844.00	-	-	-	113,844.00	645,116.85	758,961
	एयर कंडीशनर	398,606	-	284,152.00	-	15%	-	59,791.00	-	21,311.00	-	81,102.00	601,656.35	398,606
	कोण रैक	45,445	-	-	-	15%	-	6,817.00	-	-	-	6,817.00	38,628.25	45,445
	बैटरी	217,090	165,600.00	-	-	15%	-	32,564.00	24,840.00	-	-	57,404.00	325,286.00	217,090
	एलईडी टीवी	79,051	-	340,000.00	-	15%	-	11,858.00	-	25,500.00	-	37,358.00	381,692.78	79,051
	रिफ्रिज एसी	151,746	-	-	-	15%	-	22,762.00	-	-	-	22,762.00	128,983.80	151,746
	इपीबीएक्स मशीन	74,918	-	-	-	15%	-	11,238.00	-	-	-	11,238.00	63,680.49	74,918
	फैक्स मशीन	2,439	-	-	-	15%	-	366.00	-	-	-	366.00	2,073.40	2,439
	फाइलिंग प्रणाली	52,763	-	-	-	15%	-	7,914.00	-	-	-	7,914.00	44,848.84	52,763
	हॉट केस	1,073	-	-	-	15%	-	161.00	-	-	-	161.00	912.37	1,073
	मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर	22,685	-	-	-	15%	-	3,403.00	-	-	-	3,403.00	19,281.79	22,685
	फोटोकॉपीयर	148,877	-	-	-	15%	-	22,332.00	-	-	-	22,332.00	126,544.75	148,877
	प्रोजेक्शन स्क्रीन	1,501	-	-	-	15%	-	225.00	-	-	-	225.00	1,276.43	1,501
	टेलीफोन सेट	19,651	-	1,790.00	-	15%	-	2,948.00	-	134.00	-	3,082.00	18,359.01	19,651
	कूलर	6,379	-	-	-	15%	-	957.00	-	-	-	957.00	5,422.48	6,379
	गीजर	2,209	-	-	-	15%	-	331.00	-	-	-	331.00	1,877.96	2,209
	वेयर श्रैडिंग मशीन	4,370	-	-	-	15%	-	656.00	-	-	-	656.00	3,714.03	4,370
	फ्रिज	51,072	-	-	-	15%	-	7,661.00	-	-	-	7,661.00	43,411.13	51,072
	सर्पिल वाइडिंग मशीन	2,631	-	-	-	15%	-	395.00	-	-	-	395.00	2,236.00	2,631
	बॉयोमीट्रिक मशीन	7,754	-	-	-	15%	-	1,163.00	-	-	-	1,163.00	6,590.94	7,754
	तेलीय रूम हीटर	82,148	-	-	-	15%	-	12,322.00	-	-	-	12,322.00	69,825.64	82,148
	रूम हीटर	-	-	18,460.00	-	15%	-	-	-	1,385.00	-	1,385.00	17,075.00	-
	अग्निशामक यंत्र	126,580	-	21,476.00	-	15%	-	18,987.00	-	1,611.00	-	20,598.00	127,457.83	126,580
	वायु शोधक	30,630	24,989.00	-	-	15%	-	4,594.00	3,748.00	-	-	8,342.00	47,276.94	30,630
	कैमरा	243,235	-	-	-	15%	-	36,485.00	-	-	-	36,485.00	206,750.36	243,235
	सीसीटीवी कैमरे	51,987	-	-	-	15%	-	7,798.00	-	-	-	7,798.00	44,189.49	51,987
	माइक्रोवेव ओवन	12,501	-	-	-	15%	-	1,875.00	-	-	-	1,875.00	10,626.38	12,501
	इयरर	162,631	-	-	-	15%	-	24,395.00	-	-	-	24,395.00	138,235.50	162,631
	शू शाइनिंग मशीन	6,373	-	-	-	15%	-	956.00	-	-	-	956.00	5,417.30	6,373
	सोनी वॉक्स रिकॉर्डर	4,844	-	-	-	15%	-	727.00	-	-	-	727.00	4,117.15	4,844
	देक्को ट्रांसपरेट पॉलिमिथाइल शीट्स	112,277	-	-	-	15%	-	16,842.00	-	-	-	16,842.00	95,435.35	112,277
	वॉटर डिस्पेंसर	107,117	-	-	-	15%	-	16,068.00	-	-	-	16,068.00	91,049.00	107,117
	ऑक्सीजन संकेंद्रक	55,250	-	-	-	15%	-	8,288.00	-	-	-	8,288.00	46,962.00	55,250



शेल्क रैक	133,918	-	-	-	15%	20,088.00	-	-	-	20,088.00	113,829.50	133,918
स्मार्ट टेलीविजन	-	235,520.00	-	-	15%	-	35,328.00	-	-	35,328.00	200,192.00	-
कार्यालय उपकरण	-	13,827.00	12,510.00	-	15%	-	2,074.00	938.00	-	3,012.00	23,325.00	-
एचओ स्मिथ 25 एल बॉटर होटर	-	-	21,582.00	-	15%	-	-	1,619.00	-	1,619.00	19,963.00	-
कॉट आरओ पक	-	-	111,388.00	-	15%	-	-	8,354.00	-	8,354.00	103,034.00	-
वजन करने की मशीन	-	-	24,013.00	-	15%	-	-	1,801.00	-	1,801.00	22,212.00	-
<b>4</b> क्यूटुर / परिधीय / सॉफ्टवेयर										-	-	
क्यूटुर के सहायक उपकरण	15,479	2,190.00	36,620.00	-	40%	6,192.00	876.00	7,324.00	-	14,392.00	39,897.37	15,479
डेस्कटॉप	1,040,978	-	-	-	40%	416,391.00	-	-	-	416,391.00	624,587.18	1,040,978
यूपीएस	119,880	173,112.00	-	-	40%	47,952.00	69,245.00	-	-	117,197.00	175,795.05	119,880
लैपटॉप	196,127	479,520.00	227,700.00	47,700	40%	78,451.00	191,808.00	45,540.00	-	315,799.00	539,848.06	196,127
मद्रक	61,498	24,790.00	66,889.00	-	40%	24,599.00	9,916.00	13,378.00	-	47,893.00	105,284.40	61,498
बेहरा उपस्थिति मशीन	49,420	-	53,867.00	-	40%	19,768.00	-	10,773.00	-	30,541.00	72,745.60	49,420
डी लिंक	17,280	-	-	-	40%	6,912.00	-	-	-	6,912.00	10,368.00	17,280
वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर	2,714	-	-	-	40%	1,086.00	-	-	-	1,086.00	1,628.40	2,714
<b>5</b> अमूर्त आस्तियां												
सॉफ्टवेयर	80,286	-	23,069.00	-	25%	20,071.00	-	2,884.00	-	22,955.00	80,399.61	80,286
ई-ऑफिश सॉफ्टवेयर	1,247,595	-	-	-	25%	311,899.00	-	-	-	311,899.00	935,695.79	1,247,595
वेबसाइट विकास शुल्क	176,149	-	-	-	25%	44,037.00	-	-	-	44,037.00	132,111.75	176,149
<b>6</b> गोदाम के उपकरण												
पैलेट्स ट्रक	180,440	-	-	-	15%	27,066.00	-	-	-	27,066.00	153,374.02	180,440
प्लास्टिक पैलेट	13,395,544	-	-	-	10%	1,339,554.00	-	-	-	1,339,554.00	12,055,989.87	13,395,544
इलेक्ट्रिक स्टेकर	9,200,859	-	-	-	15%	1,380,129.00	-	-	-	1,380,129.00	7,820,730.20	9,200,859
पैलेट्स एव सेल्क रैक	4,168,431	-	1,624,881.00	-	10%	416,843.00	-	81,244.00	-	498,087.00	5,295,224.63	4,168,431
एचबीएससी डेम्बर्स	-	-	497,700.00	-	10%	-	-	24,885.00	-	24,885.00	472,815.00	-
ईपीवीएस	41,341	-	-	-	15%	6,201.00	-	-	-	6,201.00	35,140.03	41,341
वेब स्पीकर और कैमरा	27,150	-	-	-	15%	4,072.00	-	-	-	4,072.00	23,077.85	27,150
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल फिटिंग	-	110,133.00	205,324.00	-	15%	-	16,520.00	15,399.00	-	31,919.00	283,538.00	-
लॉक (पिंड लॉक)	-	2,380.00	-	-	15%	-	357.00	-	-	357.00	2,023.00	-
स्टैंडिंग फेन	-	3,450.00	-	-	15%	-	518.00	-	-	518.00	2,932.00	-
<b>7</b> कार्य प्रगति (खुदवाइपी)												
वेबसाइट विकास शुल्क	1,341,492	-	-	-	25%	335,373.00	-	-	-	335,373.00	1,006,119.00	1,341,492
वर्तमान वर्ष का शेष	62,603,492	1,907,553	4,539,065	47,700		7,794,797	422,434	312,463	-	8,529,694	60,472,716	62,603,492
पिछले वर्ष का शेष	62,916,977	2,993,161.00	5,287,449.00	-		7,746,165.27	636,507.05	211,361.85	-	8,594,094.17	62,603,492.39	62,916,977



## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2023 तक

### अनुसूची 9 : निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2.	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3.	शेयर	-	-
4.	डिबेंचर और बांड	-	-
5.	सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		-	-

### अनुसूची 10 : निवेश – अन्य

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2.	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3.	शेयर	-	-
4.	डिबेंचर और बांड	-	-
5.	सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6.	अन्य- एसबीआई के साथ सावधि जमा	-	-
कुल		-	-

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2023 तक

### अनुसूची 11 : वर्तमान सम्पतियाँ, ऋण अग्रिम आदि

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23		2021-22	
क)	वर्तमान संपत्ति				
1)	मालसूची				
	क) सामान और कल - पुर्जे				
	ख) लूज टूल्स				
	स्टॉक इन ट्रेड				
	निर्मित माल		5,056,646,031		8,334,384,119
	बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम - सीएचपी	24,973,636		24,488,018	
	परिवार कल्याण कार्यक्रम - एफडब्ल्यूपी	293,325,208		149,063,307	
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम - नाको	1,294,380,088		1,708,323,334	
	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम - एनवीबीडीसीपी	186,511,002		136,963,666	
	राष्ट्रीय वेक्टर डेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम - एनवीएचसीपी	95,398,814		338,060,114	
	संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम - आरएनटीसीपी	3,162,057,283		5,977,485,681	
	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम - यूआईपी	-		-	
	कार्य प्रगति में				
	कच्चा माल				
	स्टेशनरी का स्टॉक	240,705	240,705	189,225	189,225
2)	विविध देनदार :				
	क) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण				
	ख) अन्य	-	-	-	-
3)	हाथ में नकद शेष (वेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	-	-	8,341	8,341
4)	बैंक में जमा राशि :				
	:- जमा खातों पर	6,136,733,934		15,868,268,120	
	:- बचत खातों पर				
	एसबीआई, निर्माण भवन एसबी खाता संख्या 32719082216	72,801		146,345	
	आईडीबीआई एसबी खाता संख्या 0127104000022163	246,421		597,139	
	एसबीआई खाता संख्या 38019940410 (मोपाल डब्ल्यू / एच)	14,593		42	
	एसबीआई सीएचडी, खाता संख्या 40049381344	100,508		150,000	
	एसबीआई एफडब्ल्यूपी, खाता संख्या 39923834554	100,945		150,000	
	एसबीआई नाको, खाता संख्या 39924350550	2,077		150,000	
	एसबीआई एनटीईपी, खाता संख्या 39924196110	126,317		150,000	
	एसबीआई, एनवीबीडीसीपी, खाता संख्या 39923991528	1,116,052		150,000	
	एसबीआई एनवीएचसीपी, खाता संख्या 39923836801	102,355		150,000	
	एसबीआई पीएम केयर्स फंड खाता संख्या 39935538663	100,000		100,260	
	एसबीआई यूआईपी, खाता संख्या 39923801992	100,835		36,602	
	एसबीआई पीएम केयर्स फंड ए / सी II नंबर 40181300628	100,000		712,267	
	सीएमएसएस आईसीआईसीआई खाता संख्या 028801001837	140,167,623			

## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)  
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2023 तक

	सीएमएसएस पीएनडी खाता संख्या 0153000110128888	107,351			
		6,279,191,813	6,279,191,813	15,870,760,775	15,870,760,775
	<b>ब) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ</b>				
	चालू खातों पर	-	-	-	-
	जमा खातों पर	-	-	-	-
5)	<b>छाकधर - बचत खाते</b>				
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
	<b>कुल - अ</b>		<b>11,336,078,549</b>		<b>24,205,342,460</b>
ख)	विविध परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम एवं अन्य संपत्तियां				
	अग्रिम और अन्य राशियां जो नकद या मूल्य में वसूली योग्य हैं				
1	<b>सुरक्षा जमा</b>				
	क) एमटीएनएल सुरक्षा जमा	2,500	-	2,500	-
	ख) जल सुरक्षा जमा	700	-	700	-
	ग) एलपीजी गैस सुरक्षा जमा	6,707	-	6,707	-
	घ) टेलीफोन सुरक्षा जमा (गोदाम)	12,713	-	12,713	-
		<b>22,620</b>		<b>22,620</b>	
2	<b>अर्जित ब्याज</b>				
	क) बचत बैंक (एसबीआई) पर अर्जित ब्याज	315,416	-	322,106	-
	ख) मीयादी जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	97,773,913	-	94,279,584	-
		<b>98,089,329</b>		<b>94,601,690</b>	
3	<b>दिए गए अग्रिम</b>				
	क) स्टाफ टूर एडवांस	13,488	-	65,191	-
		<b>13,488</b>		<b>65,191</b>	
4	<b>अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां</b>				
	क) वेतन की वसूली	-	-	-	-
	ख) वसूली योग्य आयकर	104,943,130	-	126,605,398	-
	ग) गोदाम का भंडार	-	-	-	-
	घ) अन्य वसूलिया	-	-	149,956	-
	च) जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक केश खाता	-	-	-814	-
	छ) प्रयोगशाला परीक्षण निधि - वसूली योग्य	72,923,482	-	110,835,773	-
	ज) परिवहन शुल्क (गोदाम) - वसूली योग्य	72,548,146	-	120,251,057	-
	झ) प्रशासनिक शुल्क वसूली योग्य	480,270,279	-	336,589,151	-
	ट) पीएम केयर ओएनजीसी ऑक्सीजन कंसट्रेटर वसूली योग्य	-	-	5,035,304.00	-
	ठ) यूआईपी से प्राप्य धन	84,402,693			
	ड) एफडब्ल्यूपी से प्राप्य धन	4,662,912			
	ड) अदालत में ग्रेच्युटी जमा	728,101			
		<b>820,478,744</b>	<b>918,604,180</b>		<b>94,689,501</b>
	<b>कुल - ब</b>	<b>918,604,180</b>	<b>918,604,180</b>	<b>94,689,501</b>	<b>794,155,326</b>
	<b>कुल (अ+ब )</b>		<b>5,975,490,916</b>		<b>24,999,489,445</b>

## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2023 तक

अनुसूची 12 : सेवाओं से आय

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
1)	बिक्री से आय		
	क) तैयार माल की बिक्री	-	-
	ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
	ग) रक़्क़ीप की बिक्री	-	-
2)	अन्य सेवाओं से आय		
	एनवीडीसीपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	3,011,587	44,358,973
	एनवीएचसीपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	-	1,026,782
	एनटीईपी (आरएनटीसीपी) की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	90,777,350	150,823,507
	एफडब्ल्यूपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	25,496,603	8,023,826
	नाको की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	178,435,351	167,335,867
	नाको की खरीद के लिए प्रशासन शुल्क का प्रत्यावर्तन	11,099,484	
	यूआईपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	-	107,460,165
	सीडीएससीओ की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	-	4,127,556
	सीएचडी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	2,277,000	
	जेएसआर ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	17,096,110	
	पीएम केयर्स की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	-	58,708,806
	दूसरों की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	390,747	17,124,322.00
कुल		306,385,264	430,607,372

अनुसूची 13 : अनुदान/सबसिडी

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं प्राप्त सबसिडी)			
1.	केन्द्रीय सरकार	-	-
2.	राज्य सरकार	-	-
3.	सरकारी संस्थाएं	-	-
4.	संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		-	-

अनुसूची 14 : शुल्क/सदस्यता

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
1.	प्रवेश शुल्क	-	-
2.	वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	-
3.	संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4.	परामर्श/प्रशिक्षण शुल्क	-	-
5.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		-	-



## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)  
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2023 तक

### अनुसूची 15 : निवेशों से आमदनी

(राशि रुपये में)

विवरण		उद्दिष्ट निधियों से निवेश		निवेश – अन्य	
निवेश से आय, निर्धारित/बंदोबस्ती से निधियों को हस्तांतरित		2022-23	2021-22	2022-23	2021-22
1.	ब्याज				
	क) सरकारी प्रतिभूति पर	-	-	-	
	ख) अन्य फंड/डिबेंचर लाभांश	-	-	-	
2.	लाभांश				
	क) शेयरों पर	-	-	-	
	ख) म्यूचुअल फंड सिक्क्योरिटीज पर	-	-	-	
3.	किराये	-	-	-	
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)– मीयादी जमा	-	-		
कुल		-	-		

### अनुसूची 16 : रॉयल्टी, प्रकाशन, आदि से आय

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
1)	रॉयल्टी से आय	-	-
2)	प्रकाशनों से आय	-	-
3)	निविदा शुल्क	-	-
4)	सुरक्षा जब्ती	-	30,000
5)	अन्य प्राप्तियां	128,423	35,239
6)	गोदामों का जीएसटी ब्याज	-	2,346
7)	पूर्व अवधि के खर्च वापिसी	3,195,222	84,851,917
8)	आयकर रिफंड पर ब्याज आय	5,714,160	6,253,510
9)	राउंड ऑफ	4,008	-
कुल		9,041,813	91,173,012

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)  
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2023 तक

अनुसूची 17 : अर्जित ब्याज

(राशि रुपये में)

विवरण		निर्धारित धन से निवेश	
स्थानांतरित करने के लिए धनराशि रखी/बंदोबस्ती से निवेश से आय		2022-23	2021-22
1)	सावधि जमा पर:		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	409,368,959	438,278,308
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
2)	बचत खातों पर:		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	27,092,657	40,051,482
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
3)	ऋण पर		
	क) कर्मचारी / कर्मचारी	-	-
	ख) अन्य	-	-
4)	कार्यक्रमों में अंतरित किया जाने वाला ब्याज	-385,234,973	-428,146,316
5)	देनदारों और प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल		51,226,643	50,183,474

अनुसूची 18 : रॉयल्टी, प्रकाशन, आदि से आय

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
1)	संपत्ति की बिक्री/निपटान पर लाभ		
	क) स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
	ख) अनुदान से अर्जित या मुफ्त में प्राप्त संपत्ति	-	-
2)	निर्यात प्रोत्साहन जारी करना	-	-
3)	विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4)	विविध आय	-	-
कुल		-	-

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)  
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001  
(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2023 तक

**अनुसूची 19 : तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति** (राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
अ)	आखरी बचा हुआ माल		
	क) तैयार माल	5,056,646,031	8,334,384,119
	ख) कार्य-प्रगति		
ब)	कम: ओपनिंग स्टॉक	8,334,384,119	6,225,916,467
	क) तैयार माल		
	ख) कार्य-प्रगति		
	शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ-ब)	-3,277,738,088	2,108,467,652

**अनुसूची 20 : स्थापना और प्रशासनिक व्यय** (राशि रुपये में)

	विवरण	2022-23	2021-22
क)	ओएसडी को वेतन (मूल, डीए और जीआर वेतन)	6,088,245	3,720,861
ख)	पेंशन फंड योगदान	-	-
ग)	अवकाश वेतन अंशदान	-	-
घ)	एचआरए भुगतान	-	-
च)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-
छ)	समाचार पत्र प्रतिपूर्ति	-	-
ज)	टेलीफोन प्रतिपूर्ति	-	-
झ)	एल टी सी	-	-
ट)	वेतन प्रतिनियुक्ति	-	-
	<b>कुल</b>	<b>6,088,245</b>	<b>3,720,861</b>
ब)	अन्य कार्मिकों को परिलब्धियां	27,117,933	27,439,890
ट )	प्रशासनिक व्यय		
1	विज्ञापन खर्च (निविदा)	1,643,288	2,195,080
2	वार्षिक रखरखाव अनुबंध	309,795	553,266
3	लेखा परीक्षा शुल्क	386,990	117,400
4	बैंक प्रभार	557	34,782
5	पुस्तकें और पत्रिकाएं	59,987	36,250
6	कैब हायरिंग	2,673,149	1,861,424
7	कंप्यूटर मरम्मत और रखरखाव	31,131	20,186
8	कॉर्पोरेट वीडियोग्राफी सेवाएं	16,250	19,175
9	ई-औषधि (सी-डैक डेटा होस्टिंग और जनशक्ति शुल्क)	8,665,717	10,024,861
10	बिजली शुल्क (गोदाम)	738,991	2,088,841
11	बिजली और पानी का शुल्क	1,221,131	1,122,677
12	खाद्य शुल्क	286,035	271,664
13	मानदेय	274,800	328,200
14	होटल शुल्क	408,626	252,585
15	टीडीएस पर ब्याज	17,459	1,320
16	जीएसटी पर देरी शुल्क	-	-

## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2023 तक

	विवरण	2022-23	2021-22
17	कानूनी व्यय	1,132,982	316,167
18	स्थानीय वाहन	654,437	814,543
19	अवकाश नकदीकरण	960,032	571,365
20	आनुतोषिक	-	2,200,366
21	श्रमशक्ति प्रभार (गोदाम)	30,806,946	22,996,876
22	मिनरल वाटर शुल्क	65,555	25,700
23	कार्यालय किराया	37,463,092	31,381,614
24	कार्यालय मरम्मत और रखरखाव	548,168	373,866
25	अन्य कार्यालय व्यय	-	-
26	डाक और कूरियर शुल्क	393,811	1,677,895
27	छपाई और स्टेशनरी	741,366	953,155
28	व्यावसायिक शुल्क	15,930	356,850
29	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	112,100	112,100
30	वेतन (प्रतिनियुक्ति पर गोदाम कर्मचारी)	-	-
31	कर्मचारी कल्याण	463,940	111,896
32	टेलीफोन और इंटरनेट व्यय	504,190	506,986
33	यातायात भुगतान	682,595	1,384,263
34	यात्रा खर्च	999,594	386,582
35	जलपान व्यय	308,660	204,730
36	गोदाम किराया	78,014,054	78,355,290
37	एलपीजी गैस शुल्क	25,615	19,407
38	कार्यशाला व्यय	-	64,000
39	जेआईसीएस परियोजना व्यय	-	171,567
40	पेंद्री खरीद व्यय	409,293	417,466
41	गोदाम अग्रदाय	1,465,253	1,316,462
42	स्थापना शुल्क	-	-
43	दवा निपटान व्यय-रसीद खाता		
44	विविध व्यय	5,250	8,341
45	सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग और विकास शुल्क	-	-
46	आयकर का भुगतान	-	123,206
47	अन्य विज्ञापन	449,600	-
48	पूर्व अवधि के खर्च	-	-
49	कम और अतिरिक्त	-	1,052
	<b>कुल</b>	<b>206,162,547</b>	<b>194,940,207</b>

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS





## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2023 तक

### अनुसूची 21 : परिचालन व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
1.	श्रम शुल्क	-	-
2.	परिवहन शुल्क (गोदाम)	-	-
कुल		-	-

### अनुसूची 22 : व्यय, अनुदान, सब्सिडी आदि

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
1.	संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
2.	संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	-	-
कुल		-	-

### अनुसूची 23 : ब्याज

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
1.	निश्चित ऋण पर	-	-
2.	अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
3.	अन्य (अनुपयोगित अनुदान पर खेल मंत्रालय को भुगतान	-	-
कुल		-	-

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)  
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2023 तक

### अनुसूची 24 : माल की खरीद

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
क)	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)	712,107,767	388,007,089
ख)	परिवार कल्याण योजना (एफडब्ल्यूपी)	809,548,177	364,943,909
ग)	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीईपी)	6,705,673,853	10,300,645,796
घ)	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीओ)	4,735,278,678	8,125,192,529
च)	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	59,935,869	471,493,649
छ)	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	1,694,104,859	3,524,558,243
ज)	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ)	-	-
झ)	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)	37,537,182	816,560
ट)	बाल स्वास्थ्य विकास (सीएचडी)	62,642,219	111,298,043
ठ)	मेडिकल ऑक्सीजन पीएसए प्लांट	-	1,000,764,320
ड)	ऑक्सीजन सिलिंडर	-	890,517,680
ढ)	पूर्व अवधि की खरीद	-	-
कुल		14,816,828,604	25,178,237,818

### अनुसूची 25: कार्यक्रम प्रभाग को हस्तांतरित माल की लागत

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
क)	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)	652,177,398	495,665,691
ख)	परिवार कल्याण योजना (एफडब्ल्यूपी)	719,243,271	493,883,421
ग)	राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीईपी)	9,539,004,260	7,517,243,303
घ)	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीओ)	5,083,456,303	8,032,090,479
च)	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	253,569,237	898,929,507
छ)	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	1,695,895,453	3,597,650,374
ज)	केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)	37,989,142	816,560
झ)	बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (सीएचडी)	61,721,145	135,904,807
ट)	मेडिकल ऑक्सीजन पीएसए प्लांट	-	1,000,764,320
ठ)	ऑक्सीजन सिलिंडर	-	890,517,680
कुल		18,043,056,208	23,063,466,142

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## केन्द्रीय औषधी सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय  
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या S/094/2012 दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन AABAC6275F)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2023 तक

### अनुसूची 26: स्थानान्तरित दवा की लागत क्यूसी और निपटान

(राशि रुपये में)

विवरण		2022-23	2021-22
क)	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)	165,654.44	11,116,201.39
ख)	परिवार कल्याण योजना (एफडब्ल्यूपी)	7,926,034.30	9,494,526.20
ग)	राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीईपी)	3,370,430.26	216,174.60
घ)	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (नाको)	9,619,916.23	8,957,511.06
च)	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	633,094.18	
छ)	बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (सीएचपी)	10,941.86	
कुल		21,726,071.26	29,784,413.26

  
DEBABRATA MOHAPATRA  
GM-FINANCE, CMSS

  
RAJESH GUPTA  
DG & CEO, CMSS



## वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में लेखा और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के लिए नोट्स

### 1. परिचय

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) की स्थापना 24.08.2011 को कैबिनेट की मंजूरी के साथ भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के रूप में की गई है। सीएमएसएस की स्थापना 2012 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या XXI) के तहत पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आवश्यक गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य क्षेत्र के सामान और सेवाओं की खरीद के लिए पंजीकृत की गई थी। आपूर्ति श्रृंखला में दक्षता सुनिश्चित करके उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के सामान सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध हैं।

सीएमएसएस, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। जिसका का पंजीकृत कार्यालय: निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 स्थित है और सोसायटी का कार्यालय विश्व युवक केंद्र की दूसरी मंजिल, पंडित उमा शंकर दीक्षित मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 में है।

कैबिनेट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के रूप में कार्य करना है। इसलिए, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सीएमएसएस द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ निष्पादित की गईं।

दवाओं/चिकित्सा उपकरणों की खरीद, भंडारण और वितरण:

- क) परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी)।
- बी) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)।
- ग) राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी)।
- घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी)।
- ई) राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)।
- च) सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)।
- छ) दवाओं/चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं का पैनेल बनाना।

### 2. अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और संबंधित लागू अधिनियमों में निर्धारित कानून के अनुसार तैयार किए गए हैं।

### 3. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन करते हुए ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत तैयार किए जाते हैं, सिवाय इसके कि जहां अन्यथा कहा गया हो।

### 4. दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद, वितरण और अंतिम स्टॉक

वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएमएसएस ने कार्यक्रम प्रभाग की ओर से लगभग 1482 करोड़ रुपये की दवाएं और चिकित्सा उपकरण खरीदे हैं और संबंधित कार्यक्रम प्रभागों को लगभग 1804 करोड़ की सामग्री की आपूर्ति की है। सीएमएसएस के पास 31 मार्च, 2023 तक लगभग 506 करोड़ का स्टॉक 18 गोदामों में शेष था।



खरीदे गए सामान, कार्यक्रम प्रभाग को हस्तांतरित किए गए सामान और समापन स्टॉक का मूल्य केवल प्रस्तुतिकरण उद्देश्य के लिए आय और व्यय खाते में दिखाया गया है। सामान को खरीद मूल्य (सभी कर और व्यय शामिल) पर कार्यक्रम प्रभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। इसलिए, यह सीएमएसएस के राजस्व और व्यय को प्रभावित नहीं करता है।

506 करोड़ रुपये (लगभग) के क्लोजिंग स्टॉक में 66.97 करोड़ रुपये की एक्सपायर्ड दवाएं शामिल हैं। जिसमें से 45.97 करोड़ रुपये की दवाएं वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 2.97 करोड़ रुपये की एक्सपायर्ड दवाओं का निपटान किया गया जोकि क्लोजिंग स्टॉक का हिस्सा नहीं है।

विवरण	राशि
ओपनिंग एक्सपायरी स्टॉक	23,62,66,807
वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक्सपायरी स्टॉक	45,97,41,922
कुल समाप्ति	69,60,08,729
निपटान	-2,97,84,413
कुल एक्सपायरी स्टॉक	66,62,24,316

## 5. बैलेंस शीट आइटम

31 मार्च, 2023 तक नकद और बैंक शेष

नकद शेष: रु. शून्य

बैंक शेष इस प्रकार हैं:

बैंक का नाम	खाता नंबर	31.03.2023 को शेष (खातों की पुस्तकों के अनुसार)
एसबीआई बचत बैंक खाता	32719062216	72,801.39
एसबीआई खाता संख्या (भोपाल डब्ल्यू/एच)	38019940410	14,592.80
एसबीआई सीएचडी खाता	40049381344	1,00,508.00
एसबीआई एफडब्ल्यूपी खाता	39923834554	1,00,945.10
एसबीआई एनएसीओ, खाता	39924350550	2,077.00
एसबीआई एनटीईपी, खाता	39924196110	1,26,317.00
एसबीआई, एनवीबीडीसीपी, खाता	39923991528	11,16,052.00
एसबीआई एनवीएचसीपी, खाता	39923836801	1,02,355.00
एसबीआई पीएम केयर्स फंड खाता	39935538663	1,00,000.10
एसबीआई पीएम केयर्स II फंड खाता	40161300626	1,00,000.00
एसबीआई यूआईपी, खाता	39923801992	1,00,835.10
आईडीबीआई बचत बैंक खाता	0127104000022163	2,46,421.00
आईसीआईसीआई बैंक (सीएनए खाता)	028601001837	14,01,67,623.00
पंजाब नेशनल बैंक	0153000110128688	1,07,351.33

## 6. सावधि जमा

सोसायटी द्वारा किए गए सावधि जमा के वर्ष के अंत में शेष राशि को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है: —

राशि (रु.)

क्र.स.	बैंक नाम	सावधि जमा रसीद संख्या	राशि 31.03.2022
1	आईडीबीआई बैंक	0127105400106955	6,24,404.50
2	आईडीबीआई बैंक	0127105400107792	9,02,190.00
3	आईडीबीआई बैंक	0127105400107822	7,51,827.70
4	आईडीबीआई बैंक	0127105000025726	25,03,262.00
5	आईडीबीआई बैंक	0413106000061506	2,03,30,558.60
6	आईडीबीआई बैंक	0413106000064284	1,99,00,000.00
कुल			4,50,12,242.80

क्र.स.	बैंक नाम	सावधि जमा रसीद संख्या	राशि 31.03.2022
1	पंजाब नेशनल बैंक	15300PU00076221	4,14,99,332.00
कुल			4,14,99,332.00

क्र.स.	बैंक नाम	सावधि जमा रसीद संख्या	राशि 31.03.2022
1	भारतीय स्टेट बैंक	39884255386	9,30,58,557.00
2	भारतीय स्टेट बैंक	41799275551	1,62,00,000.00
3	भारतीय स्टेट बैंक	37856902036	35,01,710.00
4	भारतीय स्टेट बैंक	38080701329	53,95,680.00
5	भारतीय स्टेट बैंक	38360039876	38,61,58,818.00
6	भारतीय स्टेट बैंक	38905890120	35,60,385.00
7	भारतीय स्टेट बैंक	38905891146	70,48,594.00
8	भारतीय स्टेट बैंक	38998361119	50,22,796.00
9	भारतीय स्टेट बैंक	39965775246	49,20,17,372.00
10	भारतीय स्टेट बैंक	40666918276	5,42,23,454.00
11	भारतीय स्टेट बैंक	40666924937	51,25,91,922.10
12	भारतीय स्टेट बैंक	40667049337	48,32,76,138.00
13	भारतीय स्टेट बैंक	41000613885	7,95,41,625.00
14	भारतीय स्टेट बैंक	40091585982	49,59,56,103.10
15	भारतीय स्टेट बैंक	40558225115	30,63,59,727.00
16	भारतीय स्टेट बैंक	40558225397	1,02,72,88,780.00

17	भारतीय स्टेट बैंक	40558225681	1,02,72,88,780.00
18	भारतीय स्टेट बैंक	40558225987	18,49,11,980.00
19	भारतीय स्टेट बैंक	40888153797	18,20,53,939.21
20	भारतीय स्टेट बैंक	41016635586	45,00,00,000.00
21	भारतीय स्टेट बैंक	41799388779	4,73,00,000.00
22	भारतीय स्टेट बैंक	41799391306	4,11,95,000.00
23	भारतीय स्टेट बैंक	41799392854	31,27,000.00
24	भारतीय स्टेट बैंक	41799394341	1,15,43,999.00
25	भारतीय स्टेट बैंक	41799504106	13,16,00,000.00
कुल			6,05,02,22,359.00

ध्यान दें: 31.03.2023 को ऊपर उल्लिखित सावधि जमा राशि में 9,80,89,329 रुपये का अर्जित ब्याज शामिल नहीं है।

## 7. अचल संपत्ति

सीएमएसएस ने आम तौर पर मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। सीएमएसएस द्वारा अचल संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव किया गया है।

## 8. मूल्यहास

अचल संपत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के तहत निर्धारित दरों पर डब्ल्यूडीवी के आधार पर लगाया गया है।

## 9. इन्वेंटरी

लागत के आधार पर इन्वेंटरी का मूल्यांकन किया जाता है। पूरे देश में 18 गोदामों में रखी गई इन्वेंटरी का सारा विवरण ई-औषधि सॉफ्टवेयर में रखा गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 6 गोदामों के लिए चरणबद्ध तरीके से इन्वेंटरी का भौतिक सत्यापन किया गया है।

## 10. टीडीएस सगाधान

विवरण	2022-23
खाते की पुस्तकों में	3,54,24,361.60
फॉर्म 26AS	3,54,29,143.95
अंतर	4,782.35

टीडीएस की राशि का अंतर सीएमएसएस के बजाय उनकी पार्टी मेसर्स कॉर्पोरेट चैनल द्वारा टीडीएस रिटर्न गलत भरने के कारण है और इसके लिए उन्होंने पुष्टि की है कि वे रिटर्न को संशोधित करेंगे।



## 11. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में वेतन, पारिश्रमिक, ग्रेच्युटी, अप्रयुक्त अर्जित अवकाश के लिए अवकाश वेतन का नकदीकरण और अन्य टर्मिनल लाभ शामिल हैं। सीएमएसएस कर्मचारियों के रोजगार की शर्तों के अनुसार, जो सीएमएसएस के रोल पर हैं, ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए पात्र हैं, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का प्रावधान बनाया गया है।

क. 31.03.2022 को ग्रेच्युटी देनदारी की गणना मार्च 22 और संख्या के महीने के वेतन को ध्यान में रखकर की गई थी। 31 मार्च 2022 को पूरे हुए दिनों की संख्या निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार आनुपातिक रूप से: ग्रेच्युटी प्रावधान = (मासिक वेतन) x सेवा के वर्षों की संख्या x 15/26 और 31.03.2021 को पहले से बनाए गए प्रावधान को धटाना।

हालाँकि, जैसा कि सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में सलाह दी गई है, देनदारी 31.03.2023 को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार 31.03.2023 को देनदारी रु 39,82,776 और बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2023 को आवश्यक देनदारी रु 34,75,877 इसलिए रुपये की अंतर राशि 5,06,899 को उलट दिया गया है और पूर्व अवधि व्यय उत्क्रमण शीर्ष के तहत दिखाया गया है।

ख. 31.03.2022 को देय अवकाश वेतन के प्रति देयता की गणना 31 मार्च 2022 को अर्जित अवकाश को ध्यान में रखकर की गई थी, जिसे सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 10 दिनों तक सीमित किया गया था और प्रति दिन वेतन के आधार पर इसे गुणा किया गया था। मार्च 2022 महीने के वेतन के आधार पर और सकल राशि 31.03.2021 को पहले से बनाए गए प्रावधान से कम किया गया है।

हालाँकि, जैसा कि सीएजी ऑडिट रिपोर्ट में सलाह दी गई है, देनदारी 31.03.2023 को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2023 को आवश्यक देनदारी 28,33,140 रुपये है। और इसे वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खातों की पुस्तकों में प्रदान किया गया है।

## 12. परिवहन शुल्क

सीएमएसएस गोदाम से प्रोग्राम कंसाइनी स्थानों तक विभिन्न कार्यक्रमों की ओर से दवाओं और चिकित्सा सामानों की आवाजाही के लिए सीएमएसएस द्वारा परिवहन शुल्क लगाया गया है। इसे वास्तविक लागत के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों से 31.03.2023 को वसूली योग्य लागत के रूप में वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में दिखाया गया है।

विवरण	राशी
वित्तीय वर्ष 2022-23 तक प्राप्य परिवहन शुल्क	7,25,48,146.15
कुल	7,25,48,146.15

## 13. राजस्व मान्यता

(i) सीएमएसएस मुख्य रूप से प्रशासनिक शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करता है जो कि एमओएचएंडएफडब्ल्यू के विभिन्न कार्यक्रमों की ओर से दवाओं और चिकित्सा सामानों की खरीद के लिए एमओएचएंडएफडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 3%/1.9% निर्धारित है।

प्रशासनिक शुल्कों से होने वाली आय का हिसाब-किताब संबंधित कार्यक्रमों के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए एलओए (अनुदान पत्र) या खरीद आदेश जारी करने के आधार पर किया जाता है। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए



सीएमएसएस खातों के ऑडिट के बाद प्रशासनिक शुल्कों पर उठाए गए सीएजी ऑडिट की सिफारिश के अनुपालन में प्रशासनिक शुल्कों से आय संचय के आधार पर की गई है:

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु.)
1.	वित्तीय वर्ष (2022-23) के दौरान अर्जित प्रशासनिक शुल्क	20,46,19,304.00

(ii) ब्याज आय को बैंक में रखे गए बचत और सावधि जमा खाते पर मान्यता दी गई है, जिसका हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया गया है। दवाओं की खरीद के लिए विभिन्न कार्यक्रमों से प्राप्त निधि पर अर्जित ब्याज को वर्तमान देनदारियों के तहत कार्यक्रम में वापसी योग्य ब्याज के रूप में दिखाया गया है। कोष और प्रशासन पर अर्जित ब्याज को सीएमएसएस की आय के रूप में दिखाया गया है।

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग बैंक खाते खोले गए हैं। 31 मार्च 2023 तक अर्जित और अर्जित कुल ब्याज को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए फंड प्रवाह के आधार पर सीएमएसएस कॉर्पस राशि पर अर्जित ब्याज को बनाए रखने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया है। चूंकि प्रत्येक नियमित कार्यक्रम प्रभाग के लिए अलग-अलग खाता खोला गया है, इसलिए अर्जित ब्याज एफडी पर अर्जित ब्याज और संबंधित बैंक खातों से जुड़ी शेष राशि पर आधारित है।

एकमुश्त खरीद लेनदेन के लिए प्राप्त धनराशि के रूप में, कोई अलग बैंक खाता नहीं खोला गया है और प्राप्त धनराशि को सीएमएसएस खाते में रखा गया है, वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की गणना नियमित एफडी ब्याज दर @ 3.2% प्रतिवर्ष पर की गई है।

31.03.2023 तक ब्याज आवंटन		
कार्यक्रम	निधि शेष	ब्याज दर @ 3.2%
जेआईसीए	5,10,12,500	16,32,400
जेएसआर ऑक्सीजन सिलेंडर-II	2,68,52,958	8,59,295
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)	4,42,65,404	14,16,493
राष्ट्रीय तंबाकू परीक्षण प्रयोगशालाएँ (एनटीटीएल)	3,03,60,000	9,71,520

ब्याज आय को वहीं मान्यता दी जाती है जहां भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु.)
1.	चालू वित्त वर्ष (2022-23) के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कारण ब्याज	23,41,40,639

ब्याज राशि में उपरोक्त तालिका में आवंटित ब्याज शामिल है।

#### 14. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान स्रोत पर काटे गए कर का रिफंड:

26AS के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा सीएमएसएस को निम्नलिखित आयकर वापस किया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार हैं:

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	आयकर 31.03.2023 तक वापस किया जाएगा
1.	#2022-23	3,54,24,361.60
2.	*2021-22	5,40,60,348.00
3.	2017-18	76,04,300.00
4.	2015-16	33,57,730.00
5.	2014-15	43,91,270.00
6.	2013-14	1,05,120.00
कुल		10,49,43,129.60

\* वित्तीय वर्ष के लिए रिफंड 2021-22 दिनांक 03.05.2023 को प्राप्त हुआ है।

# वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर अभी दाखिल होना बाकी है।

### 15. अदालती मामले-

अदालती मामलों के संबंध में, 7,28,101 रुपये की आकस्मिक देनदारी दिखाई गई है क्योंकि यह राशि भुगतान के लिए चल रहे अदालती मामले के खिलाफ सुरक्षा के रूप में मुख्य श्रम आयुक्त दिल्ली (ग्रेच्युटी) के पास जमा की गई है। जोकि श्री राजेश बजाज, (पूर्व जीएम एलएससी) को ग्रेच्युटी के रूप में देनी है।

क्रम सं.	फोरम/न्यायालय	मामले	आदेशों/अनुपालन का संक्षिप्त विवरण
1	श्रम न्यायालय	डब्ल्यू.पी.(सी) 4565 / 2021 राजेश बजाज बनाम सीएमएसएस	1. 24.08.2022 को अपीलीय प्राधिकारी ने अदालत का आयोजन नहीं किया। 2. 23.11.2022 को राजेश बजाज ने हमारी अपील पर जवाब दाखिल किया था, जो सुनवाई की तारीख पर हमें सौंप दिया गया था। ग्रेच्युटी अथॉरिटी ने प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 22.02.2023 को होगी। 3. दिनांक 22.02.2023 को एल.डी. कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में व्यस्त थे, मामला नहीं उठा। इसे 05.07.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

सीएमएसएस के खिलाफ किसी अन्य अदालती मामले की उम्मीद नहीं है क्योंकि ज्यादातर मामले पुराने भुगतानों की वसूली, या बैंक गारंटी जारी करने और काली सूची को रद्द करने आदि से संबंधित हैं। नीचे दी गई मामलों की तालिका देखें:

क्रम सं.	फोरम/न्यायालय	मामले	आदेशों/अनुपालन का संक्षिप्त विवरण
1.	भारत का सर्वोच्च न्यायालय	W-P- (C) No-686/2022 Network of People Living with HIV/AIDS v- UOI & Ors-	1. 12.09.2022 को उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया गया था।

			<p>2. एसजी सभी उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है।</p> <p>3. 22.10.2022 को मामले को पैरवी पूरी करने के लिए रजिस्ट्रार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।</p> <p>4. 18.11.2022 याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वकील द्वारा प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए प्रसारित पत्र के मद्देनजर विशेष अनुमति याचिका को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया।</p>
2.	डीएचसी	W-P-(C) 6929/2019 M/s Bharat Mineral & Chemical Industries Vs Union of India & Anr	<p>1. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर जवाबी हलफनामा, विलम्ब क्षमा प्रार्थना पत्र सहित।</p> <p>2. प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन में इस आधार पर रिट याचिका को खारिज करने की मांग की गई है कि याचिकाकर्ता पहले ही एमएसईएफसी, जयपुर के समक्ष वर्तमान याचिका पर दबाव नहीं डालने का वादा कर चुका है।</p> <p>3. याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन के लिए जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।</p> <p>4. 07.10.2022 को कोर्ट ने बर्खास्तगी की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई की अदालत को अवगत कराया गया कि एक मध्यस्थ अवार्ड प्रदान किया गया था और उक्त मध्यस्थ पुरस्कार को चुनौती देते हुए सीएमएसएस द्वारा एक धारा 34 याचिका दायर की गई है। इसके अलावा, काली सूची में डालने की अवधि समाप्त होने के मद्देनजर, रिट याचिका में शेष मुद्दा काफी हद तक अकादमिक है।</p> <p>हालाँकि, न्यायालय का विचार था कि चूंकि याचिकाकर्ता को भविष्य की निविदाओं में अपनी ब्लैकलिस्टिंग की घोषणा करनी होगी, इसलिए सीमित मुद्दे का निर्णय वर्तमान रिट याचिका में किया जा सकता है।</p> <p>याचिकाकर्ता को माननीय न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ अवार्ड दाखिल करने का निर्देश दिया गया था, जो रिकॉर्ड पर नहीं था। तदनुसार, मामला अब 28.03.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।</p> <p>5. 28.03.2023 को कुछ दलीलें सुनने के बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि उन्हें याचिका के निपटारे पर कोई आपत्ति नहीं होगी यदि यह स्पष्ट किया जा सके कि पारित ब्लैकलिस्टिंग आदेश को याचिकाकर्ता पर कलंक नहीं माना जाएगा।</p>

			<p>कोर्ट ने निर्देश दिया था कि इस संबंध में अपेक्षित निर्देश मांगे जाएं। हम आपसे इसे उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हैं।</p> <p>सुनवाई की अगली तारीख 19.07.2023 तय की गई है।</p>
3.	डीएचसी	ARB-P- 1278/2022 CENTURION LABORATORIES PVT- LTD VS CEN- TURION LABORA- TORIES PVT- LTD	<p>1. सुश्री आकांक्षा कौल, अग्रिम प्रति पर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी वकील, नोटिस स्वीकार करती हैं और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। याचिका का जवाब 06 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए। उसका प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, उसके बाद 04 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाए और साथ ही विरोधी वकील को प्रतियाँ दी जायें।</p> <p>2. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में संशोधन आवेदन दायर किया है।</p> <p>3. संशोधन का जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया।</p> <p>4. सीएमएसएस ने रिट याचिका और संशोधन आवेदन का जवाब दाखिल किया। संशोधन आवेदन का उत्तर विलंब के कारण त्रुटिपूर्ण है। देरी माफी आवेदन को एनडीओएच के समक्ष दायर किया जाना चाहिए। विलंब क्षमा प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है।</p> <p>5. मामला 01.02.2023 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था और याचिकाकर्ता के अनुरोध पर मामला 10.03.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।</p> <p>6. मामला 10.03.2023 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन माननीय न्यायाधीश की सुनवाई नहीं होने के कारण मामला 06.04.2023 तक के लिए स्थगित हो गया।</p> <p>7. मामला 06.04.2023 को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन माननीय न्यायाधीश की सुनवाई नहीं होने के कारण मामला 27.04.2023 तक के लिए स्थगित हो गया।</p> <p>8. मामले का निपटारा कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता ने मामला वापस ले लिया और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 21 के तहत नोटिस लागू करते हुए उचित मध्यस्थता भेज दी।</p>



			<p>9. विक्रेता ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 21 के तहत क्रेता को मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए एक आवेदन भेजा है।</p> <p>10. नोटिस का जवाब तैयार किया जा रहा है।</p>
4.	डीएचसी	W-P-(C) 6769/2021 M/s Uttam Air Ltd- Vs- CMSS & Anr-	<p>1. सीएमएसएस ने याचिकाकर्ता को एक वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और याचिकाकर्ता को इस आधार पर 5387480 रुपये की ईएमडी राशि जमा करने के लिए कहा कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को पीबीजी राशि जमा नहीं की, जो निविदा खोले जाने पर 5-10% थी, लेकिन उसके बाद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने मौजूदा प्रदर्शन सुरक्षा को 5-10% से घटाकर 3% करने के लिए एक ओएम जारी किया।</p> <p>2. प्रतिवादी नंबर 1 ने प्रस्तुत किया कि वित्त मंत्रालय द्वारा 02.11.2021 को जारी किए गए हालिया दिशानिर्देशों के मद्देनजर, प्रतिवादी को छोड़कर किसी भी पार्टी द्वारा जारी किसी भी अन्य निविदा में भाग लेने में याचिकाकर्ता के रास्ते में नहीं आएगा।</p> <p>3. अभिवचन पूर्ण हो गये। अंतिम निस्तारण हेतु सूचीबद्ध किया गया।</p> <p>16.11.2022 याचिकाकर्ता नहीं आये।</p> <p>4. 27.04.2023 जज कोर्ट में नहीं आये थे, इसलिए मामले को 05.10.2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया।</p>
5.	मध्यस्थता	Arb- P 431 2021 M/s Centurion Labora- tories Division of Centurion Remedies P- Ltd- Vs- Central Medical Service Society	<p>1. 21.05.2022 को सीएमएसएस ने दावेदार के दावे को रखरखाव योग्य नहीं मानते हुए खारिज करने के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 16 के तहत एक आवेदन दायर किया।</p> <p>2. 20.07.2022 को मध्यस्थ द्वारा आदेश पारित किया गया कि 16 के तहत आवेदन को साक्ष्य दर्ज करने के बाद अंतिम चरण में निर्णय लेने के लिए लंबित रखा जाता है।</p> <p>3. बचाव पक्ष का बयान 17.08.2022 को दाखिल किया गया है।</p> <p>05.12.2022 को क्रॉस के लिए सूचीबद्ध।</p> <p>4. दिनांक 05.12.2022 को श्री अम्बालाल पटेल से आंशिक प्रतिपरीक्षण किया गया। सीई 05.01.2023 को जारी रहेगा।</p> <p>5. 04.02.2023 ओपी के वकील उपलब्ध नहीं थे इसलिए मामला 25.02.2023 तक के लिए स्थगित हो गया।</p>

			<p>6. 25.02.2023 को अंतिम सीई किया गया था और मध्यस्थ ने ओपी को धारा 65 बी का एक आवेदन दायर करने और सीएमएसएस द्वारा दायर किए जाने वाले उसी का जवाब देने के लिए कहा है। एनडीएच 15.03.2023 है।</p> <p>7. दावेदार का आवेदन जिसमें श्री अशोक कुमार अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट और श्री रिकल पटेल, अकाउंटेंट के साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी(4) के तहत रिकॉर्ड शपथ पत्र दर्ज करने की मांग की गई है।</p> <p>तदनुसार, वकील ने उसी का उत्तर तैयार किया। उसी की मंजूरी मांगी जा रही है।</p> <p>8. 15.03.2023 को मामला 12.04.2023 तक के लिए स्थगित हो गया क्योंकि हमने धारा 65 बी के तहत आवेदन का उत्तर दाखिल करने के लिए एक्सटेंशन ले लिया था। उत्तर दाखिल करने के लिए मध्यस्थ द्वारा एक सप्ताह का विस्तार दिया गया।</p> <p>9. धारा 65 बी के तहत आवेदन का जवाब दाखिल किया गया है।</p> <p>10. 20.04.2023 के लिए सूचीबद्ध आवेदन के तहत 12.04.2023 का आदेश धारा 65बी (4) के तहत आरक्षित किया गया था।</p> <p>11. 20.04.2023 को धारा 65 बी (4) के तहत आवेदन की अनुमति है। अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिरह के लिए एनडीएच यानी 16.05.2023 निर्धारित है।</p> <p>12. 16.05.2023 को सीडब्लू 2 और सीडब्लू 3 की क्रॉस परीक्षा समाप्त हो गई और छुट्टी दे दी गई। हमारी गवाह एजीएम साक्षी जुनेजा की जिरह के लिए एनडीएच निर्धारित है।</p>
6.	मध्यस्थता	Arb- M/S ReŪon products India Vs- CMSS	<p>मध्यस्थों का निर्णय किया जाना है। उन्होंने कुछ नाम प्रस्तावित किये थे, हमने उन पर आपत्ति जतायी, अब डीआईएसी नाम प्रस्तावित करेंगे। डीआईएसी से अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है, जब आखिरी बार डीआईएसी से जांच की गई, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने न तो शुल्क जमा किया है और न ही एसओसी दाखिल किया है, इसलिए जब तक ऐसा नहीं किया जाता, वे आगे नहीं बढ़ सकते।</p>

7.	पटियाला कोर्ट	Case no- 6573/2019 StateVs-Ambalal Das Patel	<p>1. दिनांक 07.12.2022 को तीनों आरोपियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया जाता है क्योंकि वे सुनवाई के समय उपस्थित नहीं थे।</p> <p>2. तर्क के लिए सूचीबद्ध।</p> <p>3. 15.03.2023 को कोर्ट ने माना कि इस मामले में आगे की जांच की जरूरत है।</p>
8.	एमएसईएफसी, जयपुर	RJ/02/RJS/01017 M/s Bharat Mineral & Chemical Indus- tries Vs Union of India & Anr-	<p>1. एमएसईएफसी द्वारा 12.11.2021 को मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया गया है। इसे सीएमएसएस द्वारा एमएसईएफसी के समक्ष चुनौती दी गई थी। सीएमएसएस ने एमएसईएफसी के फैसले को चुनौती देते हुए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपील दायर की।</p> <p>2. बीएमसीआई द्वारा धारा 34(3) के तहत दायर आवेदन में चुनौती दी गई है कि सीएमएसएस द्वारा दायर किया गया आवेदन सीमा अवधि के अंतर्गत नहीं है।</p> <p>3. सीएमएसएस द्वारा उत्तर दाखिल किया गया है।</p> <p>4. एमएसएमई अधिनियम की धारा 19 के तहत बीएमसीआई द्वारा दायर एक अन्य आवेदन में अदालत में अवार्ड राशि का 75% जमा न करने पर अवार्ड को रद्द करने के आवेदन की स्थिरता पर आपत्ति जताई गई है।</p> <p>अवार्ड राशि का 75% हो चुका है।</p> <p>5. बीएमसीआई द्वारा दायर आवेदन पर बहस के लिए सूचीबद्ध।</p> <p>28.07.2022 चिकित्सीय कारणों से वाणिज्यिक न्यायालय क्रमांक 1 के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे। मामले में कोर्ट की अगली तारीख 27.08.2022 है।</p> <p>27.08.2022 मामला वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 1 से जहां यह पहले सूचीबद्ध था, वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 4 में स्थानांतरित कर दिया गया है।</p> <p>07.09.2022 आपको विधिवत सूचित किया जाता है कि मामले में अगली तारीख 22.09.2022 है। अगली तारीख पर, बीएमसीआई द्वारा दायर दो आवेदनों पर बहस लर्नड कमर्शियल कोर्ट नंबर 4 के समक्ष होगी।</p> <p>22.09.2022 लर्नड कमर्शियल कोर्ट नंबर 4 के पीठासीन न्यायाधीश आज छुट्टी पर थे और परिणामस्वरूप, कोर्ट में नहीं बैठे।</p>

			<p>20.10.2022: पीठासीन अधिकारी आधे दिन पर थे और हमारी बात नहीं पहुंची।</p> <p>24.11.2022: जयपुर में हड़ताल के कारण कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई।</p> <p>22.02.2023 जयपुर में हड़ताल के कारण कोर्ट नहीं बैठी।</p> <p>24.03.2023 इस मामले पर जमकर बहस हुई और 75% पूर्व-जमा के संबंध में प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदनों में से एक का निपटारा कर दिया गया है। हमने पीठासीन अधिकारी के निर्देश पर मूल सावधि जमा रसीद (एफडीआर) विधिवत न्यायालय को सौंप दी है।</p> <p>मामले में अगली तारीख 31.03.2023 है, जिस दिन लिमिटेशन से संबंधित अन्य आवेदन पर विद्वान न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी।</p> <p>31.03.2023: दूसरा पक्ष नहीं आया, मामला 06.04.2023 तक के लिए स्थगित हो गया।</p> <p>06.04.2023 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का संबंधित न्यायालय की तारीख पर अनुपस्थित रहना।</p>
9.	डीएचसी	W-P-(C) 1018/2023 RADHA MADHAB BANDYOPAD- HYAY Vs- CEN- TRAL MEDICAL SERVICES SOCI- ETY (CMSS) AND OTHERS	<p>1. उपरोक्त मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 27.02.2023 को एचएमजे मिनी पुष्करणा के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। हमने अदालत को अवगत कराया था कि याचिकाकर्ता को सीएमएसएस की तीन सदस्यीय सोसाइटी (सीएमएसएस) के समक्ष सुनवाई की अनुमति दी गई थी और उचित विचार के बाद ही उसका रोजगार समाप्त कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता उसे सौंपे गए कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने में दोषी रहा है। इसके अलावा, अदालत को यह भी बताया गया कि उसने अपने आवेदन में झूठा कहा था कि उसे पहले किसी अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया था।</p> <p>2. माननीय न्यायाधीश ने हमें जवाबी हलफनामे के साथ संबंधित दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 12.05.2023 को होनी है।</p> <p>3. 12.05.2023 को वकील ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि जवाबी हलफनामा दायर किया गया है लेकिन यह आपत्ति के अधीन है। याचिकाकर्ता ने प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा है। एनडीएच 08.09.2023 है।</p>



10.	मध्यस्थता, शिमला	Diagnocure Vs-CMSS	<p>भुगतान न करने पर 15.07.2022 को सीएमएसएस को नोटिस दिया गया। नोटिस दिनांक 15.07.2022 का उत्तर दिया गया है।</p> <p>1. 05.09.2022 को हमने अदालत में प्रस्तुत किया कि हम पहले ही लगभग 1.82 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुके हैं। आपूर्तिकर्ता को और केवल लगभग 36 लाख रुपये का भुगतान करना बाकी है, जिसके लिए हमें चालान प्राप्त नहीं हुए हैं। परिषद ने हमसे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान का विवरण जैसे लेनदेन आईडी या यूटीआर नंबर आदि लाने के लिए कहा है, जिसके माध्यम से आपूर्तिकर्ता को भुगतान सुनवाई की अगली तारीख पर किया गया था। चूंकि आपूर्तिकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए परिषद ने यह भी कहा है कि यदि वे अगली तारीख पर भी उपस्थित नहीं हुए, तो वे मामला छोड़ देंगे।</p> <p>2. 05.12.2022 ऑर्डर अभी आना बाकी है।</p> <p>3. शिमला एमएसईएफसी में फाइल निरीक्षण। मध्यस्थता शुरू की गई।</p> <p>4. मध्यस्थता के पहले दिन यानी 27.03.2023 को डायग्नोक्थोर के वकील दावे का विवरण प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद सीएमएसएस दो सप्ताह के भीतर यानी 10.04.2023 को अपना एसओडी प्रस्तुत करेगा। एसओडी जमा होने के बाद सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी।</p> <p>दावेदार ने 20.04.2023 को अपना एसओडी जमा किया।</p> <p>हमें अपना एसओडी 15.05.2023 से पहले जमा करना होगा।</p> <p>15.05.2023 को हमें ट्रिब्यूनल के समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने से छूट देने के लिए एक आवेदन के साथ एसओडी दायर किया गया है।</p>
-----	------------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. जहां भी आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
2. वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान NACO की खरीद के लिए मांग संख्या CMSS/FIN/048/2019&20/45 के विरुद्ध अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क (1.9% के बजाय 3%) प्रदान किया गया था। अब वित्त वर्ष 2022-23 में इसे सुधार लिया गया है।

#### 16. सामान्य जानकारी: —

- (i) जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार, सीएमएसएस नियमित रूप से धन के उपयोग के लिए त्रैमासिक आधार पर आवधिक रिपोर्ट एमओएचएंडएफडब्ल्यू को प्रस्तुत कर रहा है।
- (ii) सीएमएसएस ने माल की देर से डिलीवरी पर रु 33,93,10,855 और लैब परीक्षण शुल्क पर

रु. 23,15,636 लिक्व्यूवीडेटिड डैमेज (एलडी) में कटौती की है। जिसे 31.03.2023 को वर्तमान देनदारियों के रूप में दिखाया गया है, आपूर्तिकर्ताओं के खाते के मिलान के बाद और विशेष मांगों के खिलाफ सभी आपूर्ति के पूरा होने के बाद, विभिन्न कार्यक्रमों में वापसी योग्य है।

- (iii) राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में विभिन्न स्थानों पर वर्तमान में 18 गोदाम हैं। 15 गोदाम स्थान केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) से और शेष 3 गोदाम निजी मालिकों से किराए पर लिए गए हैं। दवाओं के भंडारण के लिए गोदामों को उपयुक्त रूप से बनाए रखा गया है।
- (iv) सीएमएसएस सी-डैक द्वारा उपलब्ध कराए गए और बनाए गए अनुकूलित सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। खरीद आदेश जारी करने, माल की प्राप्ति, उपभोग के लिए सामान जारी करने और नमूने/परीक्षण के लिए जारी की गई दवाओं से लेकर सभी लेनदेन ई-औषधि में दर्ज किए जाते हैं।
- (v) सीएमएसएस खरीदी गई सभी दवाओं की विशिष्ट गुणवत्ता जांच का अनुपालन सुनिश्चित करता है, गुणवत्ता नीति लागू है। सार्वजनिक औषधि खरीद/आपूर्ति प्रणाली में क्यूए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोगी तक पहुंचने वाली प्रत्येक दवा/उत्पाद वांछित गुणवत्ता का हो। नमूनों के परीक्षण के लिए आईपीसी, सीडीटीएल, एनआईएमआर, एम्स, सीआईपीईटी, ईएफआरएसीएल, ईक्यूडीसी, आब्री, श्री राम, आईआईबीएटी और आरएमआरआईएमएस जैसी शीर्ष स्तर की सरकारी प्रयोगशालाएं सूचीबद्ध हैं।
- (vi) कॉर्पस मूवमेंट को इस प्रकार दिखाया गया है:

विवरण	राशि रुपये में
31.03.2022 तक शेष कॉर्पस फंड	26,16,25,205
31.03.2022 तक शेष सामान्य निधि	1,94,36,62,942
जोड़ें/कम करें: वर्ष 2022-23 के लिए आय हस्तांतरण	15,19,61,479
31.03.2023 तक शेष सामान्य निधि	2,09,56,24,421
31.03.2023 तक शेष कॉर्पस फंड	26,16,25,205

‘कॉर्पस पर ब्याज रु 1,67,41,920 (वित्तीय वर्ष 2021-22 रु 83,72,007 और वित्तीय वर्ष 2022-23 रु. 83,69,913) सामान्य निधि खाते पर ब्याज में शामिल है।





## **Central Medical Services Society**

Department of Health & Family Welfare  
Ministry of Health & Family Welfare  
Government of India